

राजस्थान सरकार



जिला आपदा प्रबंधन योजना
डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान
(डी.डी.एम.पी.) –2025
जिला – पाली (राजस्थान)



—: द्वारा :-

लक्ष्मीनारायण मंत्री (भा.प्र.से.)
अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन समिति
नियन्त्रक (कलक्टर) नागरिक सुरक्षा, पाली



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, पाली (राज.)



लक्ष्मीनारायण मंत्री I.A.S

संदेश

जिला आपदा प्रबन्धन योजना किसी भी प्राकृतिक या मानवजनित आपदा के पूर्व में, आपदा के समय, व आपदा के बाद में एक सही एवं सुदृढ़ कार्य और जिम्मेदारी तय करने की एक निर्देशिका है। आपदा को रोकने या आपदा की स्थिति में उसका बेहतर तरीके से मुकाबला करने के लिए आपदा प्रबन्धन एक संस्थागत व्यवस्था है।

इस निर्देशिका का मुख्य उद्देश्य आपदा प्रतिरोधी व्यवस्थाओं को एवं कार्यों को सम्पादित करना है। इस निर्देशिका की सहायता से किसी भी प्रकार की आपदा के समय विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी त्वरित कार्यवाही कर सकेंगे, जिससे आपदा से होने वाले जान-माल की क्षति को न होने देने या कम करने के साथ-साथ मानवनिर्मित आपदाओं को रोकना एवं स्थानीय संसाधनों की क्षमता संवर्धन एवं विकास करना है।

मैं जिला आपदा प्रबन्धन योजना 2025 तैयार करने के सफल प्रयास की प्रशंसा करता हूँ तथा कामना करता हूँ कि आपदा प्रबंधन योजना के माध्यम से जिले को आपदा प्रतिरोधी बनाने के लिये समस्त विभाग आपसी समन्वय सहयोग की भावना के साथ कार्य करते हुये इस योजना को मूर्त रूप देंगे।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
अध्यक्ष जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
पाली



राजस्थान सरकार

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, पाली (राज.)

जिला आपदा प्रबंधन योजना –2025



डॉ बजरंग सिंह R.A.S

अति. जिला कलक्टर एवं

अति. जिला मजिस्ट्रेट

प्राक्कथन

मनुष्य तभी से आपदाओं का सामना करता आ रहा है जब से उसने सामाजिक समूहों में शामिल होकर परिश्रम करना, संसाधनों को आपस में बांटना और जिम्मेदारी ग्रहण करना आरम्भ किया है। आपदा से अभिप्राय प्राकृतिक या मानवजनित कारणों से आने वाली किसी भी विपत्ति, दुर्घटना, अनिष्ट और गम्भीर घटना से है।

जिला आपदा प्रबंधन योजना सभी प्रकार की आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन हेतु व्यापक संसाधनों एवं प्रशिक्षित मानव शक्ति के समावेश से बनाई जाती है। जिला आपदा प्रबंधन योजना-2025 को बनाने हेतु राजस्थान के आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग के दिशा-निर्देश, जिला, तहसील, स्थानीय निकायों एवं ग्राम स्तर के सभी अधिकारियों आमजनों के बहुमूल्य सुझावों को इसमें समाहित किया गया है। मुझे विश्वास है कि सभी विभागों के कार्मिक व अधिकारी पुलिस प्रशासन व जिला प्रशासन स्वयं सेवी संस्थाएँ, रेस्क्यू टीमों आमजन के सहयोग से घटित होने वाली किसी भी आपदा से प्रभावित परिवारों के जान-माल की सुरक्षा, बचाव व राहत कार्यों का समन्वय के साथ जिले को आपदा प्रतिरोधी बनायेंगे।

अति. जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट,
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पाली

प्रस्तावना

आदिकाल से ही मानव अपने अस्तित्व को बनाये रखने के लिए प्रकृति से संघर्ष कर रहा है। मानव ने सभ्य बनने के लिए प्रकृति से खिलवाड़ करना आरंभ किया। प्रकृति के पंचतत्त्व पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश जिनसे मानव शरीर बना उसी ने कुपित होकर क्रमशः भूकंप, बाढ़, चक्रवात, दावाग्नि/वाडवाग्नि और तड़ित के रूप में आपदा बनकर मानव जीवन का क्षति पहुँचाई। आज मानव ने सामाजिक, वैज्ञानिक व तकनीकी के क्षेत्र में काफी प्रगति कर ली है। परन्तु आज भी आपदाएं उसके नियंत्रण में नहीं हैं वरन् प्रौद्योगिक उन्नति और औद्योगिक विकास ने मनुष्यकृत आपदाओं के लिए नये द्वार खोल दिए हैं जो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। प्रतिवर्ष विश्व के कई भागों में एक या अधिक प्रकार की आपदाओं का विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। भारत देश में भी समय समय पर बाढ़, भूकम्प, सूखा, चक्रवात, सूनामी तथा महामारी आदि प्राकृतिक आपदाएँ घटित होती रहती हैं, जिनसे जान व माल का काफी नुकसान होता है। सूखा, बाढ़, चक्रवात व टिड्डी दल के हमले जैसी आपदाओं से फसल और वनस्पति के भारी नुकसान के अलावा पशु धन के साथ निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तियाँ भी नष्ट हो जाती हैं।

आपदाओं का स्वरूप—

आपदाओं का स्वरूप प्राकृतिक और मानवजनित दोनों प्रकार का हो सकता है तथा मानव सभ्यता ने हमें तकनीकी क्षेत्र में इतना समृद्ध कर दिया कि हम जिन आपदाओं का पूर्व अनुमान लगा सकते उनका प्रबंधन कर उनसे होने वाले क्षति को कम किया जा सकता है। आपदा प्रबंधन योजना राज्य एवं जिले में होने वाली संभावित आपदाओं जैसे भूकम्प, बाढ़, चक्रवात, सूखा, महामारी, औद्योगिक व रासायनिक दुर्घटनाएं, आगजनी, सड़क दुर्घटनाएं, रेल व वायुयान दुर्घटनाएं इत्यादि से निपटने हेतु एक सहायक दस्तावेज है। सूखा मात्र प्राकृतिक कारणों से ही नहीं वरन् मानव के अनियन्त्रित जल विदोहन, गलत फसलों के चयन, पर्यावरण में असन्तुलन के कारण भी होता है। इसका प्रभाव प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सभी वर्ग के लोगों तथा मवेशियों पर पड़ता है। बाढ़ व भूकम्प भी ऐसी आपदाएँ हैं जो विस्तृत क्षेत्र में जन, धन एवं पर्यावरण को प्रभावित करते हैं जबकि महामारी जैसी आपदा का प्रभाव विशाल जन समूह पर देखा जाता है।

आपदा प्रबंधन —

उक्त सभी प्रकार की आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन हेतु व्यापक संसाधनों एवं प्रशिक्षित मानवशक्ति की आवश्यकता होती है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय आपदा अधिनियम 2005 संसद द्वारा पारित किया है। राष्ट्रीय आपदा अधिनियम 2005 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया तथा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का तथा जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के गठन की व्यवस्था की गई है। उक्त अधिनियम में राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल तथा राज्य आपदा अनुक्रिया बल के गठन का प्रावधान है। इसी के साथ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना का प्रावधान किया गया है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का उद्देश्य पूरे राष्ट्र में एकीकृत, संगठित एवं समन्वित आपदा प्रबंधन योजना को बनाना एवं राष्ट्र को आपदाओं से निपटने में सुदृढ़ एवं सक्षम बनाना है।

आपदा प्रबंधन के चरण :-

आपदा प्रबंधन के तीन प्रमुख चरण हैं

1. आपदा पूर्व तैयारी— आपदा को रोकने अथवा आपदाओं के जोखिम को कम करने के लिए शुरु की गई गतिविधियों में निम्न कार्य सम्मिलित हैं— क्षमता संवर्धन, प्रशिक्षण, आपदा पूर्व चेतावनी, चिकित्सकीय तैयारी, संचार तंत्र, पूर्व अभ्यास MOCK DRILL एवं आपदा प्रबंधन योजना का निर्माण आदि हैं
2. आपदा के दौरान— यह मुख्य गतिविधि है जिसमें आकस्मिक स्थितियों से निपटने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया लेना और पीड़ितों की जरूरतों और आवश्यकताओं को संबोधित करना या आपदा जब घटित हो रही हो या प्रभावित हुई है जैसे बाढ़ आने पर बाढ़ शिविर चलाना, खोज एवं बचाव अभियान, राहत सामग्री वितरण आदि।
3. आपदा के बाद— आपदाओं के पश्चात प्रतिकूल परिस्थितियों से जल्द से जल्द उबरने के उद्देश्य से निम्न कार्य किए जाते हैं— आकलन, तत्काल राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण।

आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005—

आपदा प्रबन्धन के विचार में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब 26 दिसम्बर, 2004 को हिन्द महासागर में सुनामी ने दस्तक दी। इसका भारत पर जबरदस्त असर पड़ा और सात राज्य प्रभावित हुए। उसी समय महसूस कि याग या कि चेतावनी, तालमेल और आपदा प्रबन्धन के कामों में भारी अन्तर है। 9 जनवरी, 2005 को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर प्राकृतिक और मानवकृत आपदाओं से निपटने की जरूरत पर जोर दिया गया। इस बैठक के बाद भारत सरकार ने आपदा प्रबन्धन पर एक कानून बनाने का निश्चय किया जिसका उद्देश्य इस काम के लिए एक संस्थागत तन्त्र की रचना और आपदा प्रबन्धन योजनाओं को लागू करने और इनकी प्रगति पर नजर रखना होगा। 11 मई, 2005 को राज्यसभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया।

आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 में व्यवस्था की गई है कि आपदाओं के समय केन्द्रीय, राज्य, जिला और स्थानीय स्तरों पर कानूनी, वित्तीय और समन्वय तन्त्र बनाए जाएंगे। ये संस्थान समानान्तर नहीं होंगे और एक-दूसरे के साथ निकट समन्वय बनाकर काम करेंगे। 2005 में आपदा प्रबन्धन अधिनियम बन जाने के बाद प्रधानमन्त्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की स्थापना की गई। उपर्युक्त अधिनियम में राज्य स्तर और जिला स्तर के आपदा प्रबन्धन प्राधिकरणों के गठन की व्यवस्था है। इसीलिए देश में अब आपदा प्रबन्धन की व्यवस्था के लिए कानूनी आधार भी प्रदान कर दिया गया। इस अधिनियम में आपदा में कमी लाने और राहत कार्यों के लिए बजट आवंटन की भी व्यवस्था कर दी गई है

इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित उपाय जरूरी होंगे—

1. विकास के कार्य में आपदा जोखिम कम करने के उपायों को मुख्यधारा में लाना।
2. विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए पूर्व चेतावनी व्यवस्था को प्रभावशाली बनाना।
3. जागरूकता और तैयारी बढ़ाना।
4. राहत और बचाव तन्त्र को मजबूत बनाना।
5. बेहतर पुनर्वास और पुनर्निर्माण।

राजस्थान आपदा प्रबंधन नियम, 2009— आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 78 की उपधारा 1 ओर 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान आपदा प्रबंधन नियम, 2009 लागू किया गया। राजस्थान आपदा प्रबंधन नियम, 2009 की धारा 14 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राजस्थान आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की गई।

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण — राजस्थान आपदा प्रबंधन नियम, 2009 की धारा 14 की उपधारा 1 द्वारा राजस्थान के प्रत्येक जिले में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की गई है।

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में अध्यक्ष सहित 7 या अनधिक सदस्य होंगे।

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की शक्तियों का उल्लेख अधिनियम की धारा 30, 31, 33 ओर 34 में किया गया है।

—: अनुक्रमणिका :—

क.सं.	विषय सूची	पृष्ठ संख्या
अध्याय—1	परिचय	11—15
अध्याय— 2	जोखिम, भेद्यता, क्षमता और खतरे का आंकलन	16—20
अध्याय—3	आपदा प्रबंधन के लिए संस्थागत व्यवस्था	21—22
अध्याय—4	रोकथाम और शमन के उपाय	23—34
अध्याय—5	तत्परता के उपाय	35—37
अध्याय—6	क्षमता संवर्धन और प्रशिक्षण के उपाय	38—40
अध्याय—7	प्रतिक्रिया और राहत के उपाय	41—43
अध्याय—8	पुनर्निर्माण, पुनर्वास और वसूली के उपाय	44
अध्याय—9	DDMP लागू करने के वित्तीय संसाधन	45
अध्याय—10	DDMP लागू करने के तरीके, निगरानी, मूल्यांकन, अद्यतनीकरण और रखरखाव	46—47
अध्याय—11	DDMP लागू करने के लिए समन्वय का तरीका	48—49
अध्याय—12	मानक परिचालन का तरीका और जाँच सूची	50—54

परिशिष्टों की सूची

परिशिष्ट नं.	विवरण	पेज सख्या
परिशिष्ट नं 1	जिला की रूपरेखा	55—59
परिशिष्ट नं 2	आपदा जोखिम प्रबंधन से संबंधित कानून और नीतियां	60—61
परिशिष्ट नं 3	आश्रय प्रबंधन योजना	62
परिशिष्ट नं 4	निकासी योजना	63—70
परिशिष्ट नं 5	मीडिया प्रबंधन योजना	71
परिशिष्ट नं. 6.	चिकित्सा और अस्पताल प्रबंधन योजना	72—81
परिशिष्ट नं. 7.	आपदाओं की रोकथाम के लिए परियोजनाएं	82
परिशिष्ट नं. 8.	आपदा के बाद की क्षति, हानि, जरूरतों और क्षमता मूल्यांकन के लिए प्रारूप	83
परिशिष्ट नं. 9	जिले में उपलब्ध संसाधनों की सूची (सार्वजनिक और निजी)	84—93
परिशिष्ट नं. 10	जिले में बुनियादी ढांचे की सूची (सार्वजनिक और निजी) जैसे पुलिस स्टेशन, आश्रय की सूची	94—108
परिशिष्ट नं. 11	एनजीओ, सीबीओएस सार्वजनिक स्वयंसेवकों की सूची उनकी विशेषता और क्षमताओं के क्षेत्र	109—111
परिशिष्ट नं. 12	प्रशिक्षित कर्मियों की सूची, विभिन्न हितधारकों के साथ जिले में उपलब्ध मशीनरी और उपकरण	112—114
परिशिष्ट नं. 13	आपातकालीन आपूर्तिकर्ताओं के लिए संपर्कों के साथ आवश्यक आपातकालीन आपूर्ति की सूची	115—132
परिशिष्ट नं. 14	आम तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली परिभाषाएं शर्तें	133—134
परिशिष्ट नं. 15	आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए विभागीय केंद्र बिन्दुओं की सम्पर्क निर्देशिका	135—144
परिशिष्ट नं. 16	आपदा नियंत्रण कक्ष	145
	मानचित्र	146 —147

पाली जिला मानचित्र



पाली उपखण्ड



अध्याय-1 परिचय

District Disaster Management Programme

जिला आपदा प्रबंधन योजना

परिचय—

जिले के आपदा प्रबंधन योजना का प्रमुख उद्देश्य प्राकृतिक एवं मानवकृत आपदाओं के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने हेतु जिला प्रशासन एवं जन साधारण की क्षमताओं में वृद्धि करना तथा इससे निपटने कम से कम जन-धन की हानि हो अथवा उसके दुष्प्रभावों को कम किया जा सकें या बचा जा सकें।

जिला आपदा प्रबंधन कार्य योजना के उद्देश्य Purpose of District Disaster management Plan

To responds promptly in a coordinated manner in a disaster like situation, it is mandatory to mitigate the potenial of disasters in order to save lives of people and property in pali District.

जिले में आपदाओं से खतरे के प्रभाव का विश्लेषण कर जिले की तैयारियों को निर्धारित करना।

क्या करना है	अधिकारी व सदस्य	कार्य कैसे किया जावे
आंकलन एवं विश्लेषण	जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, आयुक्त नगर परिषद, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सहायता /प्रशासन, नगर नियोजक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य पशुपालन अधिकारी, सा.नि.वि, जल संसाधन, पी.एच.डी, विद्युत, अग्निशमन, सिविल डिफेन्स, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, एनजीओ, वार्ड/पंचायत प्रतिनिधी	पूर्व की घटित विभिन्न आपदाओं का आंकलन, विश्लेषण एवं चर्चा। नुकसान एवं सेवेरिटी के प्रभाव का रिकॉर्ड। पूर्व चेतावनी का विश्लेषण एवं प्रकृति। आपदा के वक्त बचाव एवं राहत का आंकलन एवं समन्वय।
परिस्थिति का विश्लेषण	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य, डीडीएमसी सदस्य व विभिन्न विभागों के अध्यक्ष व कार्मिक, उपखण्ड स्तरीय आपदा प्रबंधन कमेटी के सदस्य, ग्राम पंचायत स्तरीय आपदा प्रबंधन कमेटी के सदस्य, एनजीओ व जनप्रतिनिधी	संभावित नुकसान, प्रभावित क्षेत्र का भौगोलिक एवं टॉपोग्राफी का नक्शा बनाना। डेमोग्राफी/मानव के रहन-सहन का विस्तृत विवरण तैयार करना। हेविटेशन पैटर्न का विस्तृत नक्शा तैयार करना। प्राकृतिक सम्पदा को नक्शे पर दर्शाना। सभी तरह के जिविकोपार्जन एवं सम्पत्ति की सूची तैयार करना। सुरक्षित संसाधन/संभावित नुकसान, सड़क, रेल, हवाई अड्डे की सूची तैयार कर नक्शे पर

		दर्शना।
खतरे का विश्लेषण	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य, डीडीएमसी सदस्य व विभिन्न विभागों के अध्यक्ष व कार्मिक, उपखण्ड स्तरीय आपदा प्रबंधन कमेटी के सदस्य, ग्राम पंचायत स्तरीय आपदा प्रबंधन कमेटी के सदस्य, एनजीओं व जनप्रतिनिधी	पूर्व अनुभव के आधार एवं रिकॉर्ड के अनुसार आने वाले खतरों को चिन्हीकरण करना, अधिक संवेदनशील क्षेत्रों का चिन्हीकरण जहां मानव जीवन को खतरा, जिवीकोपार्जन एवं सम्पत्ति के नुकसान की संभावना है।
संवेदनशीलता का विश्लेषण	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य, डीडीएमसी सदस्य व विभिन्न विभागों के अध्यक्ष व कार्मिक, उपखण्ड स्तरीय आपदा प्रबंधन कमेटी के सदस्य, ग्राम पंचायत स्तरीय आपदा प्रबंधन कमेटी के सदस्य, एनजीओं व जनप्रतिनिधी	संवेदनशील जगहों एवं कारकों की अलग-अलग सूचना तैयार कर नक्शा तैयार करना

जिला आपदा प्रबंधन कार्य योजना के लक्ष्य –

जिला पाली DDMP के निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं :-

- प्रतिक्रिया कार्यों के सही क्रम की पूर्व योजना तैयार करना।
- भागीदारी विभागों की जिम्मेदारी निर्धारित करना।
- कार्यरत विभिन्न विभागों के कार्य करने के तरीके का मानकीकरण करना।
- उपलब्ध सुविधा और स्रोतों की सूची तैयार करना।
- स्रोतों के प्रभावी प्रबंधन की रचना करना।
- सभी सहायता कार्यों का पारम्परिक समन्वय करना।
- राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष से सहायता के लिए समन्वय स्थापित करना।

आपदा प्रबंधन अधिनियम – 2005, महत्वपूर्ण जानकारी

आपदा प्रबंधन अधिनियम 23 दिसम्बर 2005 से लागू किया गया है। यह आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए निर्मित किया गया है। उक्त अधिनियम में आपदा से तात्पर्य किसी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानवकृत कारणों से या दुर्घटना या उपेक्षा से उद्भूत ऐसी कोई महाविपत्ति, अनिष्ट विपत्ति या घोर घटना अभिप्रेत है जिसका परिणाम जीवन की सम्पूर्ण हानि या मानवीय पीडाएं या संपत्ति का नुकसान और विनाश या पर्यावरण का नुकसान या अवक्रमण है और ऐसी प्रकृति या परिमाण का है जो प्रभावित क्षेत्र के समुदाय की सामना करने की क्षमता से परे है।

राष्ट्र व राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन जो आपदा प्रबंधन हेतु नीति निर्धारण का कार्य करेगा।

- आपदा राहत व बचाव हेतु राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF तथा राज्य आपदा मोचन बल SDRF का गठन प्रत्येक राज्य व जिलेमें आपदा प्रबंधन योजना होगी जिसमें त्रैमासिक, वार्षिक तथा पंचवर्षीय मूल्यांकन व आधुनिकरण होगा।

- आपदा से निपटने हेतु राष्ट्र-राज्य-जिला के मध्य प्रभावी समन्वय तंत्र विकसित किया जायेगा। आपदा से निपटने हेतु क्षमता वर्धन प्रशिक्षण, पूर्व चेतावनी प्रणाली, पूर्व तैयारी पर विशेष जोर होगा।

आपदा प्रबन्धन अधिनियम – 2005, महत्वपूर्ण जानकारी

राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

धारा 3 (1) – राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की स्थापना।

ऐसी तारीख से जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करें।

इस अधिनियम के प्रायोजनों के लिए राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण नाम से ज्ञात एक प्राधिकरण की स्थापना की जायेगी।

(2) राष्ट्रीय प्राधिकरण में एक अध्यक्ष और 9 से अनधिक उतने सदस्य होंगे, जितने केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किये जायें।

धारा 6 (1) –राष्ट्रीय प्राधिकरण इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, आपदा का समय पर और प्रभावी मोचन सुनिश्चित करने के लिए आपदा प्रबन्धन के लिए नीतियां, योजनाएं और मार्गदर्शक सिद्धान्त अधिकथित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राष्ट्रीयप्राधिकरण :-

(क) आपदा प्रबन्धन के संबंध में नीतियां अधिकथित कर सकेगा।

(ख) राष्ट्रीय योजना का अनुमोदन कर सकेगा।

(ग) भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों द्वारा राष्ट्रीय योजना के अनुसार तैयार की गई योजनाओं का अनुमोदन कर सकेगा।

(घ) राज्य योजना तैयार करते समय राज्य प्राधिकरणों द्वारा अनुसरित किये जाने वाले मार्गदर्शक सिद्धान्त अधिकथित कर सकेगा।

(ङ) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों या विभागों द्वारा अपनी विकास योजनाओं और परियोजनाओं में आपदाओं के निवारण या उसके प्रभावों के शमन के उपायों के एकीकरण के प्रायोजनों के लिए अपनाये जाने वाले मार्गदर्शन सिद्धान्त अधिकथित कर सकेगा।

राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

धारा 14 (1) – राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की स्थापना।

प्रत्येक राज्य सरकार धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी किये जाने के पश्चात यथाशीघ्र राज्यपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य के लिए ऐसे नाम से जो राज्य सरकार की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये राज्य आपदा प्राधिकरण की स्थापना करेगी।

जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

धारा 25 – जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का गठन :—

(1) प्रत्येक राज्य सरकार, धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी किये जाने के पश्चात यथाशीघ्र राज्य में प्रत्येक जिले के लिए ऐसे नाम से, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये, एक जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की स्थापना करेगी।

(2) जिला प्राधिकरण में अध्यक्ष और 7 से अनधिक उतने अन्य सदस्य होंगे, जितने राज्य सरकार द्वारा विहित किये जायें और जब तक की नियमों में अन्यथा उपबन्ध न किया जाये,

इसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

(क) जिले का यथास्थिति कलक्टर या जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त जो पदेन अध्यक्ष होगा।

(ख) स्थानीय प्राधिकारी का निर्वाचित प्रतिनिधि, जो पदेन सह अध्यक्ष होगा।

(ग) जिला प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी—सदस्य।

(घ) पुलिस अधीक्षक—सदस्य

(ङ) जिले का मुख्य चिकित्साधिकारी—सदस्य

(च) दो से अनधिक जिला स्तर के अन्य अधिकारी जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(3) ऐसे किसी जिले में जहां जिला परिषद विद्यमान है, उसका अध्यक्ष जिला प्राधिकरण का सह अध्यक्ष होगा।

जिले में विभाग व हिताधारकों एवं उनकी जिम्मेदारियां

जिलों में DDMP योजना से संबंधित विभिन्न कार्य हेतु विभाग, हिताधिकारी व उनका दायित्व निम्न है—

क्र.स.	नोडल विभाग	संबंधित आपदा
1	आपदा प्रबंधन व सहायता	ओलावृष्टि, पाला, शीतलहर, चक्रवात
2	ऊर्जा	विद्युत वितरण, उत्पादन, प्रसारण, संबंधी आपदा
3	गृह	आतंकी हमला, पुलिस बल, कानून व्यवस्था, भगदड़, सड़क, रेल दुर्घटना
4	जल संसाधन	बाढ़, बांध टूटना, बादल फटना
5	सार्वजनिक निर्माण विभाग	भूकम्प, बड़े भवनों का गिरना
6	खान	खान में आग, पानी भरना, डूबना
7	उद्योग	रासायनिक व औद्योगिक आपदा, तेल फैलना
8	नगरीय विकास	शहरी अग्नि
9	राजस्व	गाँव की आग, नाव पलटना
10	वन	वनों में आग
11	चिकित्सा व स्वास्थ्य	जैविक तथा महामारी, खराब खाने से बीमारी
12	कृषि	फसलों का खराबा, टिड्डी दल का हमला
13	पशुपालन	पशु महामारी

DDMP की उपयोग प्रक्रिया

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पाली विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया का अनुसरण करती है। जिससे संभावित आपदा और उसके प्रभावों तथा आपदा शमन व रोकथाम के उपाय सुझाती है। इसके लिए DDMP मानव संचालन प्रणाली व क्रियान्वयन का अनुसरण करती है।

DDMP मूल्यांकन व आधुनिकीकरण

जिला DDMP एक गतिक व परिवर्तनशील अभिलेख है। समय व आवश्यकतानुसार DDMP का मूल्यांकन व आधुनिकीकरण सतत् व निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया होगी। DDMP अभिलेख का मूल्यांकन वार्षिक तथा पंचवर्षीय व आधुनिकीकरण प्रस्तावित होगा। DDMP अधिनियम 2005 के अनुसार DDMP के आंशिक रूप से वार्षिक तथा प्रत्येक पांच वर्ष में व्यापक परिवर्तन आवश्यक है। जिला पाली DDMP में मूल्यांकन व आधुनिकीकरण में इसी पद्धति का अनुसरण किया जाएगा।

अध्याय-2 खतरा क्षमता एवं जोखिम मूल्यांकन

सामान्य तौर पर आपदा का तात्पर्य किसी ऐसी दुर्घटना से लगाया जाता है, जिसका सामना करने के लिए कोई व्यक्ति या समूह अपने आप में तैयार एवं समर्थ न हो। आपदा को प्राकृतिक, मानव जनित, दुर्घटना अथवा लापरवाही से हुई किसी ऐसी बड़ी दुर्घटना के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें व्यापक जन-धन की हानि, पर्यावरण की क्षति कारित हो तथा प्रभावित क्षेत्र के लोग उसका सामना करने में असमर्थ हो। परम्परागत रूप में प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, सूखा, अग्निकाण्ड, आकाशीय बिजली, ओलावृष्टि आदि के उपरान्त पीड़ितों को राहत सहायता, पुर्नवास आदि उपलब्ध कराना राज्यों का मुख्य कार्य होता रहा है। नयी परिस्थितियों में अनेक मानव जनित दुर्घटनायें इस प्रकार हो सकती हैं, जिसका असर प्राकृतिक आपदाओं के बराबर या उससे बहुत अधिक हो। इसी कारण आपदा की वर्तमान अवधारणा में प्राकृतिक आपदाओं के साथ ही मानव जनित कारकों को भी शामिल किया गया है। वर्तमान में आपदा प्रबन्ध का उद्देश्य इस तरह की घटनाओं को यथा संभव रोकना, आपदा के प्रभाव को कम करना, आपदा के दौरान सीधे मदद पहुँचाना, प्रभावितों को आपदा से उबरने में मदद एवं उनका पुर्नवास करना है। कभी-कभी भीषण बाढ़ से पूरे गाँव के गाँव नदी में बह जाते हैं, तथा भूकम्प आने पर शहरो की इमारतें धराशायी हो जाती हैं एवं चक्रवात आदि प्राकृतिक आपदा से बड़ी मात्रा में जन-धन की हानि होती है, जिससे भोजन, वस्त्र एवं पुर्नवास की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार सूखा पड़ने पर किसानों की फसलों के सूख जाने से खाने हेतु अनाज की समस्या, पीने के पानी की समस्या, चारा, भूसा, इत्यादि की आवश्यकता होती है, जिसकी व्यवस्था करना सरकार का दायित्व हो जाता है।

आपदाएं जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं तथा आपदा के घटित होने के उपरान्त सर्वत्र विनाश, दुर्दशा, संत्रास का दृश्य उत्पन्न हो जाता है। आपदा प्रभावित लोगों को पुनः पूर्व स्थिति में आने में कई दशकों का समय लग जाता है। जीविका के निम्नस्तर व कम जागरूकता ने न केवल आपदाओं के भयंकर प्रभाव को बढ़ाया है बल्कि यह आर्थिक विकास में रुकावट का गंभीर कारण भी बना है। आपदा के घटने से उसके प्रभाव व क्षेत्र की परिधि में सभी लोग प्रभावित होते हैं। लेकिन गरीब, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग व अपंग लोग इससे अधिक प्रभावित होते हैं क्योंकि उनकी आर्थिक एवं शारीरिक कष्ट सहन करने की क्षमता बहुत कम होती है।

अतः यह आवश्यक है कि किसी भी जिले में संभावित घटित होने वाली विपदाओं की पहचान, उससे होने वाले जोखिम, उसकी परिधि में आने वाले क्षेत्रों, बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं, निःशक्तजनो व गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की पहचान, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की आर्थिक, सामाजिक व भौतिक संवेदनशीलता की पहचान तथा आपदा के प्रभाव से निपटने के लिए उनकी क्षमता का आंकलन करके जोखिम की संवेदनशीलता को ज्ञात किया जाये ताकि आपदाओं के खतरे को कम करने के लिए योजना तैयार करके क्रियान्वित की जा सके।

संभावित विपदाओं की पहचान

आपदा प्रबन्धन पर घटित उच्च स्तरीय कमेटी ने 31 तरह की आपदाओं को चिन्हित किया है जिन्हें मुख्यतः पांच भागों में विभक्त किया है।

- **जलवायु सम्बन्धित**— बाढ़, सूखा, चक्रवात, बादल का फटना, गर्म और ठंडी हवायें, तूफान एवं बिजली का गिरना।
- **भूगर्भ सम्बन्धित** — भूकम्प, भूस्खलन, बाँध का टूटना, खान में आग लगना।
- **रासायनिक, औद्योगिक एवं परमाणु सम्बन्धित** — रासायनिक एवं औद्योगिक विपदा एवं परमाणु विपदा।

- **दुर्घटना सम्बन्धित** – आग, बम विस्फोट, वायु, सड़क एवं रेल दुर्घटना, खान में बाढ़ आना, मुख्य भवनों का ढहना।
- **जैविक आपदाएँ** – महामारी, टिड्डी दल आक्रमण, जानवरों की महामारी इत्यादि।

पाली जिले की विपदा व जोखिम की संवेदनशीलता के आंकलन के लिए जिले के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, गैर सरकारी संगठनों ने जिला आपदा प्रबन्धन योजना पर एक दिवसीय कार्यशाला में जिले में होने वाली संभावित आपदाएं, उनसे प्रभावित होने वाले लोग तथा विपदाओं से निपटने के लिए जिले की क्षमता का आंकलन किया।

कार्यशाला में जिले में संभावित 7 आपदाएं चिन्हित की गयीं। इनमें से मुख्य पाँच विपदाओं के लिए विस्तृत व विशिष्ट कार्य योजना एवं अन्य विपदाओं के लिए सामान्य कार्य योजना बनाने की अनुशंसा की गयी। पाँच मुख्य विपदाएं निम्न हैं –

जिले में विशिष्ट सम्भावित आपदाएं

- | | | | | |
|---------|---------|-------------|-------|-----------|
| 1. सूखा | 2. बाढ़ | 3. दुर्घटना | 4. आग | 5. भूकम्प |
|---------|---------|-------------|-------|-----------|

वरन् अन्य 2 विपदाएं रासायनिक एवं औद्योगिक विपदाएं तथा ताप (लू) व शीतघात हैं।

संवेदनशीलता

किसी भी स्थान की संवेदनशीलता वहां के लोगों के जीवन स्तर, वहां की स्थिति, रहने के स्थान व घटना घटने के समय पर निर्भर करती है।

(1) भौतिक संवेदनशीलता

भवन, आधारभूत ढांचा, जीवन धारक वस्तुओं की पूर्ति का मार्ग, परिवहन, दूरसंचार, जन सुविधाएं आवश्यक जन सेवाएं जैसे स्वास्थ्य, जलापूर्ति, तथा कृषि, भौतिक साधन हैं जिनसे भौतिक संवेदनशीलता का आंकलन किया जाता है।

घरों को उनकी बनावट तथा भवन सामग्री के आधार पर चार मुख्य भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं।

(अ) मिट्टी की दीवार ढालू, कच्ची मिट्टी की ईंटों एवं स्थानीय उपलब्ध पत्थर

(ब) पकी हुई ईंटों या बड़े पत्थर के घर

(स) सुदृढ़ या मजबूत इमारतें, लकड़ी के ढाँचों के साथ

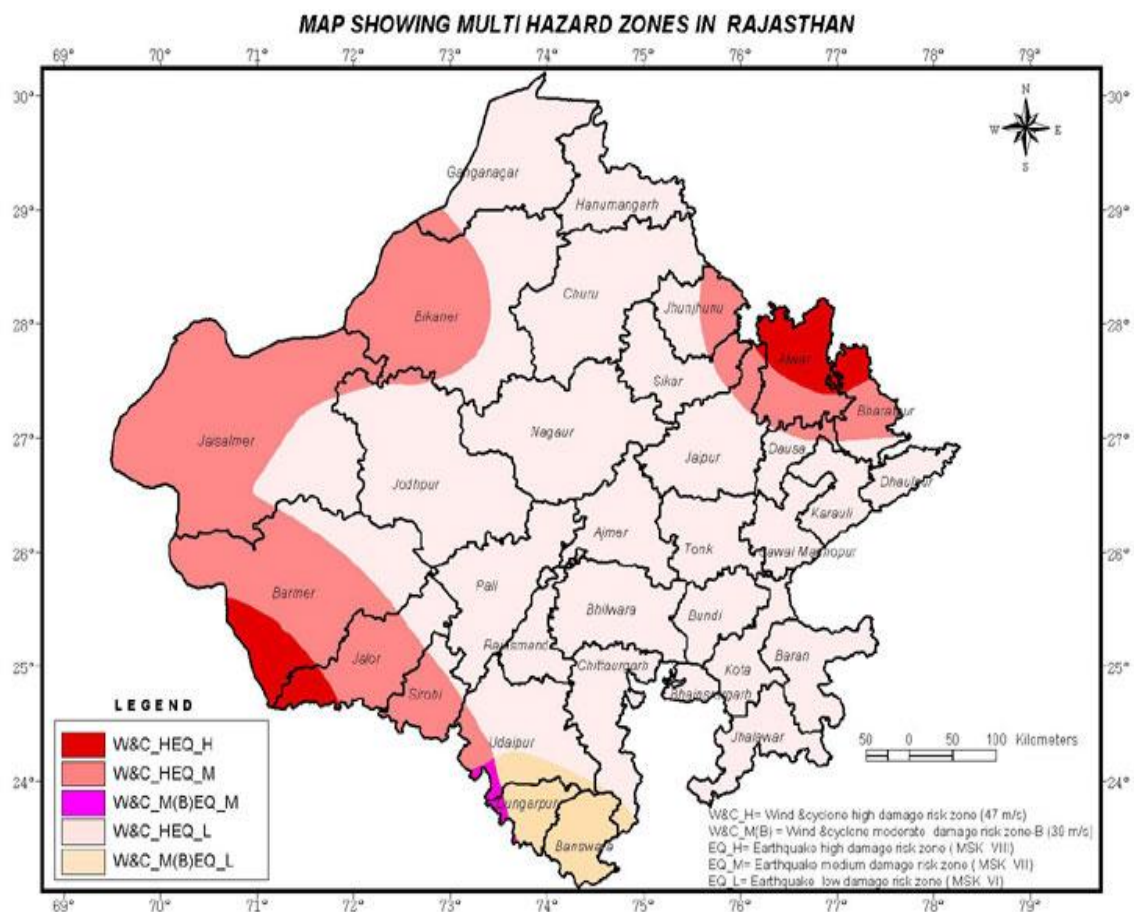
(द) हल्के, लकड़ी, पत्तों आदि की झोंपड़ियाँ

(2) आर्थिक, सामाजिक संवेदनशीलता

हानि, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष, गौण प्रभाव, गरीबी, संसाधनों की कमी।

खतरा

भौतिक, सामाजिक एवं पारिस्थितिक आदि कमजोर संरचनाओं को खतरा अधिक होता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि विपदा की प्रचण्डता कितनी थी और असुरक्षा की स्थिति कितनी थी। खतरा, विपदा और संवदेनशीलता पर निर्भर करता है।



Disclaimer: This map was collated based on the data/information compiled by the Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation, UNDP has not verified the accuracy of information of the Map. Source: BIS:853 (Part I): 2002, GMTPC, India

जिले में पूर्व में हुई सड़क दुर्घटनाओं का ब्यौरा

वर्ष	दुर्घटनाएं	व्यक्ति मारे गये
2001	760	200
2002	834	244
2003	775	255
2004	862	264
2005	734	278
2006	741	332
2007	778	289
2008	824	355
2009	958	387
2010	915	396
2011	755	315
2012	821	377
2013	767	348
2014	758	382
2015	664	335
2016	603	389
2017	663	436
2018	227	200
2019	374	339
2020	309	292
2021	80	100
2022	113	113
2023	70	71
2024	49	55

पाली में स्थिति औद्योगिक विकास रूप से पाली की जनसंख्या से जुड़ा हुआ। उद्योगों का सीधा प्रभाव आसपास की बस्तियों/आवासीय बस्तियों में निवास करने वाली जनसंख्या पर पड़ता है। इन उद्योगों के फलस्वरूप जल एवं वायु प्रदूषित हो गयी है साथ ही यातायात दुर्घटनाएं भी बढ़ गई हैं।

कारखानों में दुर्घटनाएं

वर्ष	दुर्घटनाओं के प्रकार		
	घातक	अघातक	योग
2002	2	104	106
2003	2	81	83
2004	1	91	92
2005	1	116	117
2006	4	147	151
2007	3	118	121
2008	2	115	117
2009	3	113	116
2010	1	101	102
2011	2	89	91
2012	1	105	106
2013	1	95	96
2014	8	122	130
2015	—	154	154
2016	3	20	23
2017	2	35	37
2018	5	45	50
2019	2	17	19
2020	1	14	15
2021	3	54	57
2022	0	49	49
2023	0	48	48
2024	0	40	40
मई 2025 तक	0	21	21

अध्याय-3 आपदा प्रबंधन के लिए संस्थागत व्यवस्था

जिला, राज्य एवं राष्ट्र स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए एक समेकित प्रशासनिक तंत्र बना हुआ है। जैसा कि वर्तमान में है, किसी भी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में खोज एवं बचाव, राहत तथा पुनर्वास का बुनियादी दायित्व संबंधित राज्य सरकार का है। राज्य सरकारों के प्रयास में वित्तीय एवं रसद सहायता भारत सरकार देती है। सभी सरकारी गतिविधियों तथा योजनाओं का कार्यान्वयन में जिला प्रशासन केन्द्रीय भूमिका निभाता है। वास्तव में, जिलाधिकारी ही सभी दैनिककार्य एवं राहत सहायता के जबाबदेह हैं और उन्हें ही जिले के सभी विभागों के बीच समन्वयन एवं पर्यवेक्षण की शक्ति प्राप्त है। 73 एवं 74वें संविधान संशोधन ने पंचायतीराज संस्थाओं को स्वशासन की संस्था के रूप में पहचान दी है। संशोधन में पंचायतराज व्यवस्था की संरचना, शक्तियाँ, कार्य, वित्त हस्तान्तरण, नियमित चुनाव तथा महिला समेत अन्य कमजोर वर्गों के आरक्षण संबंधी आवश्यक मार्ग निर्देशिका तय कर दिया है। पूर्व चेतावनी प्रणाली, राहत वितरण, पीड़ितों को आश्रय देना तथा स्वास्थ्य सहायता आदि उपलब्ध कराने के लिए इन स्थानीय संस्थाओं का उपयोग प्रभावी उपकरण के रूप में किया जा सकता है। राष्ट्रीय, राज्यीय, जिला एवं स्थानीय स्तर पर उपरोक्त व्यवस्था के अतिरिक्त अनेक ऐसे संस्थागत हितधारक भी हैं, जो इस देश में विविध स्तरों पर आपदा प्रबंधन के काम में लगे हुये हैं। इनमें पुलिस, पैरामिलिटरी, नागरिक सुरक्षा और गृह रक्षक, अग्निशमन सेवा, पूर्व सैनिक, सरकारीसंगठन, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के उद्यम, मीडिया और हेम ऑपरेटर आदि संगठन भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपदा प्रत्युत्तर, राहत एवंपुनर्वास के लिए जिले में सुस्थापित सांस्थानिक एवं नीति निर्माण तंत्र कार्यरत है। ये तंत्र अभी तक इन कामों में मजबूत एवं प्रभावी साबित हुए हैं। यह खंड जिले के इस तंत्र की संक्षिप्त जानकारी देता है। जिले के विविध संस्थानों को नीचे दिये गये तरीके से अलग-अलग समूहों में बाँटा जा सकता है—

• जिला स्तर • तहसील स्तर • ब्लॉक स्तर • ग्राम पंचायत स्तर • समुदाय स्तर

1— जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण— यह प्राधिकरण राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत किसी आपदा के प्रत्युत्तर एवं प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए गठित है।

2—पंचायतराज संस्थायें:— जिले में जिला परिषद एक स्थानीय सरकारी निकाय है। पंचायतीराज व्यवस्था में जिला परिषद तृतीय श्रेणी का संस्था है। जिला परिषद जिले के ग्रामीण क्षेत्र के प्रशासन के मामले देखता है और इसका मुख्यालय जिले में होता है। पंचायतीराज संस्था के जिला, एवं ग्राम पंचायत स्तर के निर्वाचित प्रतिनिधि ग्रामीण क्षेत्र के विकास की योजनायें, निर्माण एवं कार्यान्वयन में लोगों की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित कराते हैं।

गैर सरकारी हितधारक

1 इंटर एजेंसी ग्रुप : जिले में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भूमिका निभाने वाले अन्यहितधारकों के अतिरिक्त विभिन्न गैर सरकारी स्वयं सेवी संगठनों के साझा मंच के रूप में एक सक्रिय इंटर एजेंसी ग्रुप जिला स्तर पर आपसी सहयोग एवं समन्वयन के लिए कार्यशील है।

2 गैर सरकारी संगठन : जिले में आपदा प्रबंधन, क्षमता निर्माण सामुदायिक क्षमता विकास आदि विविध मुद्दों पर सक्रिय कार्य करने वाली अनेक गैर सरकारी स्वयंसेवी संस्थान हैं।

3 अन्य हितधारक : जिले में ऐसे अनेक अन्य हितधारक समूह हैं जिनके पास किस्म-किस्म के संसाधन एवं क्षमता उपलब्ध है और जिन्होंने विभिन्न आपदा के समय में सहायनीय सहयोगी भूमिका निभाई है। संविधान के अनुसार अपने संबंधित क्षेत्र में आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए ग्राम पंचायत योजना निर्माण

एवं कार्यान्वयन दोनों करेंगे। इस बात के लिए विश्वास किया जाता है कि राज्य सरकार पंचायतों को ये काम सौंपेगी तथा इसके लिए आवश्यक कोष, राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार उपलब्ध करायेगी। जिस तरह की केन्द्र एवं राज्य सरकारों में अलग-अलग मंत्रालय हैं उसी तरह से पंचायतों के कार्य के लिए अलग-अलग समितियाँ हैं। इन समितियों को स्टैंडिंग कमेटी/स्थायी समिति/उपसमिति कहा जाता है। हर कमेटी का प्रभारी कोई एक सदस्य होता है, जबकि समस्त समितियों का प्रभारी पंचायत अध्यक्ष होता है। पंचायतों को अधिकार है कि राज्य सरकार के नियमों के अनुरूप अपने क्षेत्र में राजस्व वृद्धि के लिए कर वसूले या शुल्क एवं दंड लागू करे। स्वैच्छिक संस्थान, नगर संस्थाएँ, बुद्धिजीवी वर्ग के प्रतिनिधि, युवा संगठन, इण्डियन मेडिकल एसोसियेशन, लायन्स क्लब, रोटरी क्लब आदि सहित जिलाप्रशासन, रेड क्रॉस एवं संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के लोग इसके सदस्य हैं। विविध सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों सहित आपदा प्रबंधन मुद्दे पर समुदाय की क्षमता वृद्धि, ग्राम स्तरीय योजना बनाना, टास्क फोर्स का गठन करना तथा युवा एवं महिला समूहों की क्षमता वृद्धि की महत्वपूर्ण भूमिका जिले में सक्रिय अनेक गैर सरकारी संगठनों ने निभाई है। समुदाय तक पहुँचकर सही लाभांशितों को राहत पहुँचाने एवं पुनर्वास के कार्यों में उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब भी कोई आपदा घटित होती है, चाहे वह प्राकृतिक आपदा या मानव जनित हो। इस आपदा से जो व्यक्ति, पशु आदि प्रभावित होते हैं, उनको तत्काल मदद की आवश्यकता होती है। इन पीड़ितों की तत्काल मदद स्थानीय व्यक्ति ही पहुँचाते हैं, उसके बाद शासन-प्रशासन मदद के लिए पहुँचते हैं। आपदा घटित होने पर तत्काल सहायता पहुँचाने हेतु आपदा प्रबन्ध योजना में नेहरू युवा केन्द्र, एन0सी0सी0, एन0एस0एस0, स्काउट एण्ड गाइड के सदस्यों, स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि, नागरिक सुरक्षा विभाग के वार्डन, स्कूलों के अध्यापकों, रेड क्रॉस सोसाइटी, रोटरी क्लब, बार काउन्सिल, कॉर्पोरेट सेक्टर के प्रतिनिधि, स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि जो इस कार्य में रुचि रखते हैं, को शामिल किया जा रहा है। स्वयंसेवी संस्थाओं ने विगत वर्षों में विभिन्न जनपदों में आपदा आने पर बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आपदा के क्षेत्रों में जाकर सामग्री उपलब्ध कराकर आपदा पीड़ितों को राहत सहायता उपलब्ध कराने में अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान दिया गया, इसके साथ ही साथ कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं ने चिकित्सकीय सहायता चिकित्सकों एवं दवाएँ वितरित कर उल्लेखनीय योगदान किया गया है। अधिकांश स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में जाकर राहत सामग्रियों का वितरण किया गया है। स्वयंसेवी संस्थाओं /संगठनों, व्यक्तियों तथा स्कूल कालेजों के बच्चों को अधिक से अधिक सक्रिय करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रमुख स्वयंसेवी संस्थाओं/संगठनों को चिन्हित किया जा रहा है। यह भी हो सकता है कि एक क्षेत्र में कई संस्थाएँ एक साथ पहुँच जायें तथा कोई क्षेत्र पूर्ण रूपेण खाली रह जाय। अभी से भ्रमण करके क्षेत्र की समुचित जानकारी, जन सम्पर्क, जनसंख्या आदि की जानकारी होने से कार्य करने में सहूलियत होगी। चिन्हित किये गये बाढ़ क्षेत्रों (फ्लड पिकेट्स) के साथ स्वयंसेवी संस्थाओं को भीसम्बद्ध/अंगीकृत कराया जा रहा है। प्रमुख स्वयंसेवी संस्थाओं/संगठनों के अतिरिक्त अधिकांश संस्थाएँ/संगठन एवं व्यक्ति आपदा के समय ही सम्पर्क करते हैं जो कि सामग्री एकत्र कर आपदा क्षेत्रों में वितरण हेतु ले जाते हैं। स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा दवाओं के वितरण तथा चिकित्सकीय सुविधा के लिये मुख्य चिकित्साधिकारी के नियन्त्रण कक्ष से संपर्क किया जायेगा। स्वयंसेवी संस्थाओं/संगठनों द्वारा प्रतिदिन वितरित की जाने वाली राहत सहायता के संबंध में प्रतिदिन प्रेस नोट जारी करके स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञप्तियाँ भी प्रकाशित कराई जायेंगी।

अध्याय-4 रोकथाम और शमन उपाय



पाली जिला उत्तरी अक्षांश 25-77° और देशांतर 73-33° पूर्व है। इसका मतलब है कि यह स्थान 25°77' उत्तर अक्षांश और 73°33' पूर्व देशांतर पर स्थित है। यहा के अधिकांश भूमि दुमट बलुई है तथा पानी का सामान्य स्तर जमीन से 15 मीटर गहरा है। पाली जिले की सीमाएं 7 जिलों से मिलती है। पाली की जलवायु शुष्क है यहां गर्मीयों में अधिक गर्मी तथा सर्दियों में अधिक सर्दी पडती है यहा की औसत वर्षा 584.7 मिली मीटर दर्ज की गई है। जिले में वर्षा का असमान वितरण होने के कारण कृषि उत्पादन पर प्रभाव पडता है। जिसके कारण यहां कभी – कभी सूखे की स्थिती भी बनती है। पाली जिले में मुख्य रूप से जिन प्राकृतिक आपदाओ की पहचान की गई है, उसमें बाढ, सूखा, भूकम्प, महामारी जैसे कोविड-19 है।

सूखा :- सूखा जल के अभाव के कारण पडता है। सूखे के कारण कृषि प्राकृतिक परिवेश से पलायन, पशुधन की कमी, आदि घटनाए होती है। सूखा दो भागों में बांटा गया है प्रचंड सूखा सामान्य सूखा प्रचंड सूखे में 50

प्रतिशत में कम सूखे वाले क्षेत्र को रखा गया है तथा सामान्य सूखे में 25 प्रतिशत से कम सूखे वाले क्षेत्र को रखा गया है। इसका प्रमुख कारण बारिश की कमी तथा जल वर्षा का सही संरक्षण का अभाव है।

2- सूखे की परिभाषा: -

सूखे का मुख्य कारण औसत से कम वर्षा होना है जिसके कारण सतही जल की कमी हो जाती है नदिया बांध तालाब बावड़ी आदि सभी सुख जाते हैं पेयजल स्रोतों में पानी की कमी से चारों ओर त्राहि त्राहि मच जाती है जिले में पशुधन भी इस सूखे से प्रभावित होता है सूखे के कारण पशुओं के लिए चारे की समस्या उत्पन्न हो जाती है जिसके कारण पशुपालक अपने पशुओं के साथ मालवा की ओर पलायन कर जाते हैं।

पाली जिले में समय-समय पर सूखे की स्थिति ज्यादा हुई है जिसका विवरण निम्नानुसार है -

- वर्ष 2004-05 में पाली जिले के 973 गांवों में से 569 गांव अभावग्रस्त घोषित किये हैं।
- वर्ष 2005-06 में पाली जिले के 973 गांवों में से 731 गांव अभावग्रस्त घोषित किये हैं।
- वर्ष 2006-07 में पाली जिले के 973 गांवों में से 53 (45 अकाल व 8 ओलावृष्टि) गांव अभावग्रस्त घोषित किये हैं।
- वर्ष 2007-08 में पाली जिले के रोहट तहसील के 19 गांव अभावग्रस्त घोषित किये हैं।
- वर्ष 2008-2009 में पाली जिले के 485 ग्राम अभाव ग्रस्त घोषित किये गये।
- वर्ष 2009-2010 में पाली जिले के 1050 ग्राम अभाव ग्रस्त घोषित किये गये।
- वर्ष 2010-2011 में पाली जिले को अकाल ग्रस्त घोषित नहीं किया गया है।
- वर्ष 2011-2012 में पाली जिले को अकाल ग्रस्त घोषित नहीं किया गया है।
- वर्ष 2012-2013 में पाली जिले को अकाल ग्रस्त घोषित नहीं किया गया है।
- वर्ष 2013-2014 में पाली जिले के 937 ग्राम अभाव ग्रस्त घोषित किये गये।
- वर्ष 2014-2015 में पाली जिले के 232 ग्राम अभावग्रस्त घोषित किये गये।
- वर्ष 2015-2016 में पाली जिले के 291 ग्राम अभावग्रस्त घोषित किये गये।
- वर्ष 2016-2017 में पाली जिले के 170 ग्राम अभावग्रस्त घोषित किये गये।
- वर्ष 2017-2018 में पाली जिले के 509 ग्राम अभावग्रस्त घोषित किये गये।
- वर्ष 2018-2019 में पाली जिले के 80 ग्राम अभावग्रस्त घोषित किये गये।
- वर्ष 2019-2020 में पाली जिले के 150 ग्राम अभावग्रस्त घोषित किये गये।
- वर्ष 2020-2021 में पाली जिले के 122 ग्राम अभावग्रस्त घोषित किये गये।
- वर्ष 2021-2022 में पाली जिले के 516 ग्राम अभावग्रस्त घोषित किये गये।
- वर्ष 2022-2023 में पाली जिले के 92 ग्राम अभावग्रस्त घोषित किये गये।
- वर्ष 2023-2024 में पाली जिले में एक भी ग्राम अभावग्रस्त घोषित नहीं किया गया।
- वर्ष 2024-2025 में पाली जिले के 299 ग्राम अभावग्रस्त घोषित किये गये।

पाली जिला
19वीं पशुगणना 2012—तहसीलवार

तहसील	गाय	भैंस	बकरी	घोड़े	ऊँट	भेड़	मुर्गी
बाली	56207	51986	98972	147	596	69118	18314
देसूरी	38754	48283	82541	222	1962	145529	2676
मारवाड़ जंक्शन	37033	31870	74823	169	1059	73174	8989
पाली	43786	31731	68313	183	1206	147032	2784
रोहट	29568	19869	52068	78	1225	105011	1352
सोजत	40696	29305	78199	58	581	81249	3161
सुमेरपुर	26673	22571	90641	121	906	82291	1909
योग	272717	235615	545557	978	7535	703404	39185

मुख्य फसल — पाली जिले में वर्ष 2024 में मुख्य रूप से मूंग, ज्वार, तिल, बाजरा, ग्वार कपास एवं मक्का, की बुवाई की गई। मुख्य रूप से रबी 2024-25 में लगभग 2.63071 लाख हैक्टर चना, गेहूँ, राया, एवं जौ आदि फसलों की बुवाई की गई हैं। बरसात कम होने से मुख्य रूप से खरीफ की फसले खराब होती है।

खसरा गाव तहसील का पृष्ठ संख्या	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	जोती गई भूमि	
		सिंचित क्षेत्र	असिंचित क्षेत्र
		कुल सिंचित	योग असिंचित
1	2	3	4
पाली	143856	14913	36309
बाली	143980	27633	579
रोहट	135622	11106	46098
देसूरी	82067	20163	143
सुमेरपुर	95973	34023	1248
सोजत	167755	12837	20519
मारवाड़ जं.	140307	19334	2274
रानी	77677	13921	1971
योग	987237	153930	109141

सिंचाई — पाली जिले में सिंचाई के साधन मुख्य रूप से जवाई बांध के पानी का उपयोग किया जाता है यहां से नहरों से पानी कृषि भूमि तक सिंचाई के लिए ले जाया जाता है। अन्य सिंचाई साधन के रूप में भूमिगत जल स्रोत कुएं , बावडी, बोरवेल, तालाब, इत्यादि हैं। कुल भूमि का वर्षा आधारित कृषि की जाती है। सूखे की स्थिति में पशुधन की भी हानि होती है जिसको रोकने के लिए निःशुल्क चारा डिपो अनुधारित दर पर पशुपालकों को चारा उपलब्ध कराना है जिल में प्रति पशु औसत 5 किलों चारे की आवश्यकता होती है।

पेयजल की उपलब्धता —

पाली जिले में कुल 10 नगरीय जल प्रदाय योजना एवं 8 पंचायत समितियों में कुल 771 गांव हैं। पाली जिले के लिए पेयजल योजनाओं का मुख्य स्रोत पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा जवाई बांध है जिससे पाली जिले के 9 शहरों एवं पाली व ब्यावर जिले के 775 गांवों को पेयजल वितरण किया जा रहा है। जिले में ग्रामीण एवं शहरी योजनाओं पर जल आपूर्ति का सामान्य अंतराल 48 –72 घण्टों का है।

पाली, ब्यावर एवं सिरौही जिले के कुल 858 ग्रामों (126 ब्यावर, 68 सिरौही ,664 पाली जिले) को जवाई बांध आधारित योजनाओं से लाभान्वित किये जाने प्रस्तावित है । वर्तमान में लगभग 783 ग्रामों को जवाई बांध से लाभान्वित किया जा चुका है एवं अन्य ग्रामों के लिए विभिन्न परियोजनाएं प्रगतिरत हैं। रोहट एवं सोजत क्षेत्र के अन्तिम छोर के लगभग 50 ग्रामों में जलापूर्ति अन्तराल 72 घण्टे से अधिक । वर्तमान में रोहट क्षेत्र में वर्तमान में 15 ग्रामों में टैकर द्वारा जलापूर्ति की जा रही है।

जिले के मुख्य पेयजल स्रोत जवाई बांध की कुल भराव क्षमता 61.25 फीट पर 7327.50 एमसीएफटी है । वर्तमान में जवाई बांध में वर्तमान में दिनांक 24.06.2025 को 16.20 फीट पर 1028.40 एम.सी.एफ.टी पानी उपलब्ध है जिससे जवाई-हेमावास बांध से जुड़े गाँवों में 10 अगस्त 2025 तक जलापूर्ति सुचारु की जा सकेगी। तत्पश्चात डेड स्टोरेज पम्पिंग हेतु योजना स्वीकृति हेतु प्रस्तुत कर दी गई है ।

विभाग में उपलब्ध सभी डि वाटरिंग पम्पस की टैस्टिंग एवं दुरुस्तीकरण कार्य किया जा रहा है एवं शीघ्र ही सभी उपलब्ध डि वाटरिंग पम्प सेट क्रियाशील कर दिये जायेंगे जिससे अत्यधिक वर्षा के कारण विभाग को असुविधा न हो एवं जलापूर्ति सुचारु की जा सके एवं विभाग में वर्तमान में पेयजल को रासायनिक रूप से शुद्ध करने के लिए विभाग के पास पर्याप्त मात्रा में रसायन (क्लोरीन एवं एलम ईत्यादि) उपलब्ध है।

पाली जिले में अकाल या सूखे की स्थिति में उत्पन्न होने वाली विकट परिस्थितियों से निपटने हेतु पेयजल व्यवस्था के लिए निम्न प्रयास किए जाते हैं।—

रेलमार्ग द्वारा जल परिवहन कार्य करवाना — विभाग द्वारा रेल के माध्यम से जोधपुर से पाली के लिए विशेष ट्रेन द्वारा जल लाया जाता है ट्रेन द्वारा अंतिम बार जल वर्ष 2019 में 5 दिन में 9 ट्रेनों के माध्यम से 50 वैगन द्वारा 17–50 लाख लीटर प्रति 10 जल परिवहन किया गया।

सड़क मार्ग से पानी के टैंकर द्वारा जल परिवहन करवाना — पाली जिले में सतही जल की उपलब्धता न होने पर सड़क मार्ग द्वारा पानी के टैंकरों से गांवों और ढाणियों में जल पहुंचाया जाता है पिछली बार वर्ष 2021–22 में 37 गांवों और 91 ढाणियों में जल परिवहन किया गया।

रोहट क्षेत्र के लिए जोधपुर स्थित कुड़ी हौद से पाइपलाइन द्वारा जलापूर्ति करवाना रोहट क्षेत्र के गांवों के लिए जोधपुर के कुड़ी हौद में अस्थाई पंप रूम बनाकर पेयजल आपूर्ति की गई।

जवाई बांध में उपलब्ध डैड स्टोरेज जल को पंप द्वारा लिफ्ट कर जलापूर्ति करवाना।

पेयजल योजना के लिए चलाए जा रहे हैं जल जीवन मिशन के तहत सन् 2025 तक पाली जिले के प्रत्येक गांव के हर घर में जल कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है।

पलायन —सूखे की स्थिति में पशुधन व लोग अपने क्षेत्र से पलायन कर जाते हैं जिसे रोकने के लिए जिले में विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की जाती हैं। सूखा होने पर जिले के पशुपालक अपने पशुधन के साथ मालवा की ओर प्रस्थान करते हैं।

अकाल या सूखे से निपटने के उपाय :-

राजस्थान के परिपेक्ष्य में सूखा एक विकराल समस्या है परन्तु कुछ दीर्घकालीन उपाय अपनाकर हम इस स्थिति को उत्पन्न होने से रोक सकते हैं अथवा इसके विकरालता को कम कर सकते हैं।

दीर्घकालीन उपाय :-

- वर्षा के पानी का अधिकतम उपयोग करना तथा संरक्षण करना।
- पानी के बहाव को कम करना तथा उसे संचित करना।
- पानी के परम्परागत स्रोतों का पुनर्जीविकरण।
- अवक्रमित भूमि एवं वनों की पुनः स्थापना सुनिश्चित करना।
- पानी के संग्रहण एवं भू-कूपों का पुनर्भरण।
- मिट्टी व नमी का संरक्षण।
- अत्यधिक मात्रा में पेड़ लगाना तथा पेड़ों की कटाई को रोकना।
- फसल चक्र में फसलों का बदलाव तथा उन्नत बीजों का उपयोग।
- फसलों में फव्वारा पद्धति का विकास करके जल संरक्षण को बढ़ावा देना।
- कृषि के साथ अन्य प्रकार के रोजगारों व परम्परागत उद्योगों को बढ़ावा देना।
- स्वयंसहायता समूहों का गठन करके लोगों में पानी बचाने के लिए जागरूकता लाना।

सूखा पूर्व तैयारी

इस वर्ष इस जिले का कोई गांव सूखाग्रस्त घोषित नहीं है पूर्व में सुखाग्रस्त होने के कारण निम्न रूप से तैयारिया की जाती रही है।

- अकाल प्रभावित क्षेत्रों का चिन्हिकरण करना।
- चारा डिपो स्थापित करने हेतु गांवों का चिन्हीकरण करना।
- अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- जानवरों के लिए शिविरों के स्थान चिन्हित करना।
- पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- स्वयंसेवी संस्थाओं का चिन्हिकरण करना।
- सूखे के दौरान फैलने वाली संभावित बीमारियों से लड़ने हेतु तैयारी करना।
- रोजगार सृजन के अवसर हेतु राहत कार्य आदि की विकास योजना तैयार करना।

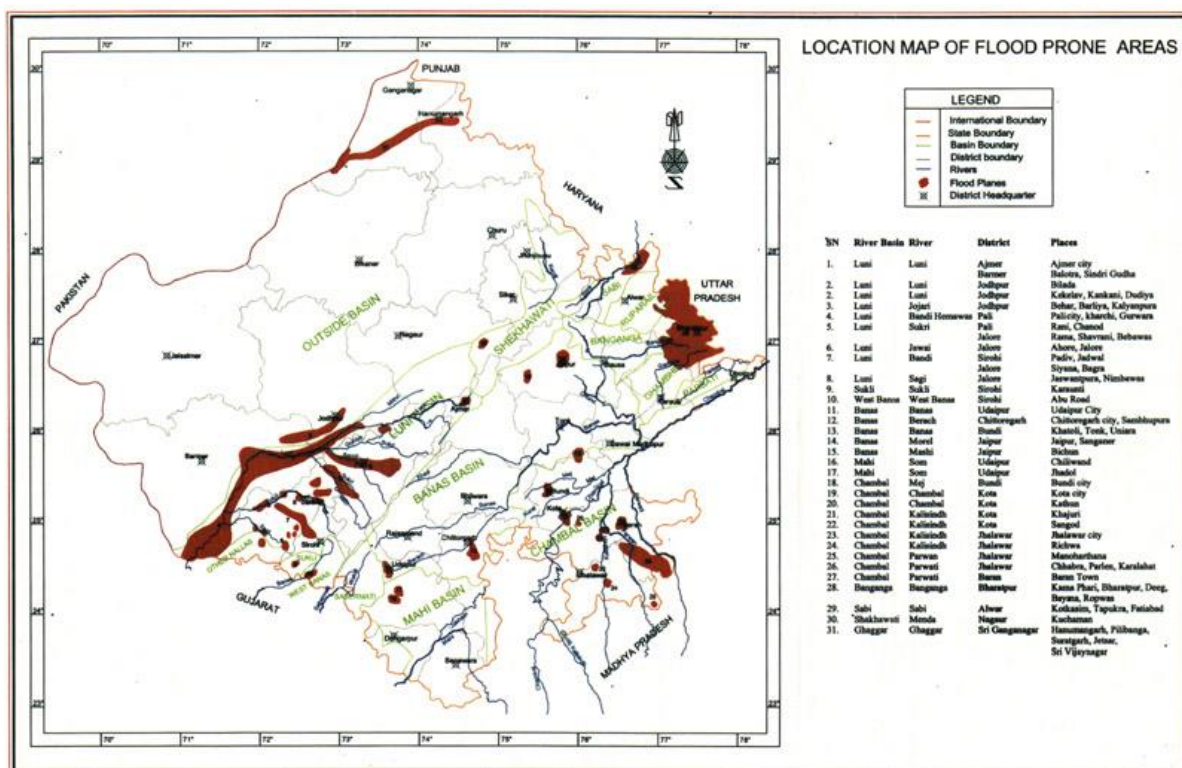
सूखे के समय कार्य योजना :-

- सूखा प्रभावित क्षेत्रों की घोषणा करना।
- सभी सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवाएं काम में लेना।

जिला प्रशासन :-

- सहायता विभाग सूखा नियन्त्रण कक्ष की स्थापना करेगा।
- राहत कार्य की शुरुआत।
- कुओं को गहरा करना।
- उपलब्ध पानी के स्त्रोंतों का संवर्धन।
- निजी कुओं को किराये पर लेना।
- हैण्डपम्पों की मरम्मत करवाना।
- परम्परागत जल स्त्रोंतों जैसे बावड़ी, टांकों आदि का पुनः जीविकरण।
- आवश्यक खाद्य सामग्री का सार्वजनिक वितरण।
- खाद्य सामग्री पर मूल्य नियंत्रण।
- सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम जैसे वृद्धावस्था पेंशन योजना, अन्त्योदय अन्न योजना, समन्वित बाल विकास सेवाएं, मध्याह्न योजना कार्यक्रम, अन्नपूर्णा आदि का क्रियान्वयन।
- पशुओं के लिए चारा डिपो स्थापित करना।
- पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था करना।
- किसानों को सिंचाई हेतु बिजली व डीजल उपलब्ध करना।
- प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार सृजन।

- अकाल राहत के तहत आरम्भ किये गये कार्यो हेतु मजदूरों को समय पर भुगतान।



1. बाढ़

प्राकृतिक जल चक्र का एक अंग बाढ़ भी है। जिसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध वर्षा से है एवं यह जल प्रबन्धन को प्रभावित करती है। यदि किसी क्षेत्र में वर्षा अधिक मात्रा में होती है, तो नदियाँ असंतुलित होकर उफान अवस्था में आ जाती है और बाढ़ की उत्पत्ति होती है। इस विकट पर्यावरणीय परिस्थिति का प्रभाव उक्त क्षेत्र की पारिस्थितिकी पर भी पड़ता है। बाढ़ का सामान्य अर्थ होता है—विस्तृत स्थलीय भाग का लगातार कई दिनों तक जलमग्न रहना। यद्यपि बाढ़ के लिए प्रकृति ही उत्तरदायी है लेकिन मानवीय क्रियाकलाप भी कम उत्तरदायी नहीं हैं।

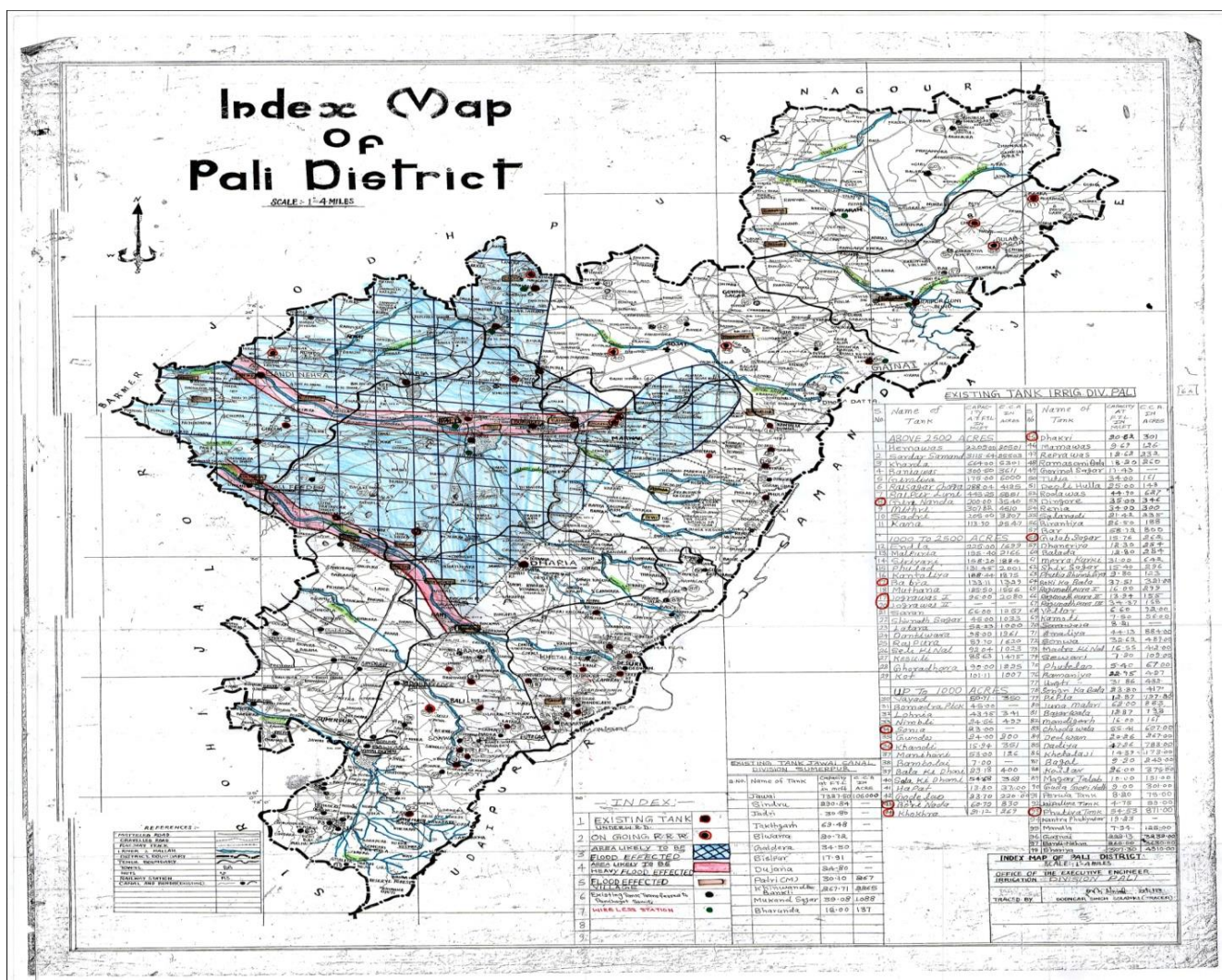
बाढ़ के मुख्य कारण :-

1. अत्यधिक वर्षा
2. बांध का टूटना
3. पेड़ों की संख्या में कमी
4. वृहत अपवाह क्षेत्र
5. उष्ण कटिबंधीय व विक्षोभ
6. अपवाह में अवसादीकरण
7. बादल का फटना
8. भूकम्प

वर्ष 2024 में जिला पाली में भारी वर्षा होने से बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई थी। बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिये स्थानीय जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन तथा स्थानीय रेस्क्यू टीम के माध्यम से प्रयास किये गये लेकिन भारी वर्षा होने के कारण स्थिति काबू में नहीं आ पाई जिससे भारी बहाव वाले क्षेत्र में क्रमशः नया गाव, मण्डिया रोड, सांसी बस्ती एवं कच्ची कॉलोनीयों में पानी भर जाने के कारण जोधपुर से सुरक्षा बल के जवानों को बुलाया गया पाली जिले में हॉमगार्ड, सिविल डिफेंस,

एनडीआरएफ (7 दिन), एसडीआरएफ (7 दिन), आर्मी (11 दिन) तथा आरएसी (19 दिन) के जवानों द्वारा सर्च ऑपरेशन कर रेस्क्यू किया। पाली शहर की बस्तियों को पुलिस प्रशासन एवं सुरक्षा बलों के जवान के सहयोग से खाली करवाया गया। बाढ़ से प्रभावित लोगों को ठहरने के लिये दो जगह शिविर की व्यवस्था की गई जिसमें माली समाज भवन एवं बांगड धर्मशाला शिविर शामिल है। शिविरों में जिला रसद अधिकारी के माध्यम से खाने के पैकेट एवं अन्य सामग्री उपलब्ध करवाई गई। पाली जिले में हाल ही में 2024 में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हुए थे। बाढ़ से जान-माल की हानि होती है, फसल नष्ट हो जाती है, मिट्टी का कटाव, रेल लाइन के नीचे से मिट्टी निकलना, सड़क मार्ग अवरोध, पशुधन हानि, ग्रामीण इलाकों में ईंधन की कमी हो जाती है और बीमारी फैलने की सम्भावना बढ़ जाती है।

पाली जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को दर्शाता मानचित्र



बाढ़ की रोकथाम के उपाय :-

- सर्वप्रथम जिले की अपवाह प्रणाली का गहन अध्ययन करवाया जाये।
- अपवाह प्रणाली के अध्ययन एवं पूर्व की घटनाओं के अध्ययन के पश्चात जिले में बाढ़ की रोकथाम एवं खतरे को कम करने के लिए दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन योजनाओं निर्माण करना।
- अपवाह प्रणाली के बहाव क्षेत्र में आने वाले स्थलो एवं बस्तियों का चिन्हीकरण करना।
- चेतावनी तंत्र विकसित करना।
- बाढ़ से होने वाले सम्भावित नुकसान से बचने के उपायों का प्रचार-प्रसार करना।
- जिला कार्यालय में बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना करना।
- सभी संबंधित विभागों में जिला स्तर एवं ब्लॉक स्तर पर बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना करना।
- उपखण्ड स्तर, पंचायत समिति स्तर, नगर निकाय स्तर में बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना करना।
- समस्त ग्राम पंचायत में बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना करना।
- समस्त बाढ़ नियंत्रण कक्षों में बाढ़ से बचाव की सामग्री जैसे – टॉर्च, रस्सी, ट्यूब, आदि की व्यवस्था करना।
- जिला स्तर से ग्राम पंचायत स्तर तक तैराको का चिन्हीकरण करना।
- जिला स्तर से ग्राम पंचायत स्तर तक बाढ़ बचाव उपकरण व साजो सामान की उपलब्धता सुनिश्चित करें।
- जेसीबी, नाव, मड पम्प आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करें।

4. भूकम्प –

भूकम्प पृथ्वी के आन्तरिक असन्तुलन, भ्रंशन, भूपटल का संकुलन तथा प्लेट विवर्तनिक कारणों से आता है। सामान्यतः भूगर्भिक चट्टानों के विक्षोभ के स्रोत से उठने वाली लहरदार कम्पन को भूकम्प कहते हैं। जिस प्रकार शान्त जल में पत्थर का टुकड़ा फेंकने पर आयात आने वाले स्थानों के चारों ओर लहर उत्पन्न होती है, ठीक उसी प्रकार भूगर्भिक चट्टानों में विक्षोभ केन्द्र से चारों ओर भू-तरंगे प्रवाहित होती हैं। अधिकांशतः भूकम्प भूतल से ठीक 50 से 100 कि.मी. की गहराई का उत्पन्न होते हैं। जिस स्थान पर ये उत्पन्न होते हैं, उसे उद्गम केन्द्र या भूकम्प मूल कहते हैं। इस उद्गम केन्द्र के ठीक ऊपर भूतल पर स्थित स्थान को अधिकेन्द्र कहते हैं। भूकम्प एक आपदा के रूप में प्रलयकारी तबाही मचाता है। भूकम्प अन्य प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूस्खलन, बाढ़ तथा आग आदि को गतिशील कर देता है। भूकम्प के कारण जहाँ एक ओर प्राकृतिक परिदृश्य विकृत होता है, वहीं दूसरी ओर मानव निर्मित संरचनाओं को भी हानि पहुँचती है, जिसकी पुनः पूर्ति दीर्घकाल में ही सम्भव हो पाती है तथा इसका प्रभाव राज्य एवं राष्ट्रीय विकास पर भी परिलक्षित होता है।

भूकम्प के मुख्य कारण :-

1. ज्वालामुखी क्रिया
2. भ्रंशन
3. भूसंतुलन में अव्यवस्था
4. जलीय भार
5. भूपटल में संकुचन
6. गैसों का फैलाव
7. प्लेट विवर्तनिकी

भूकम्पों की तीव्रता :-

बिल्डिंग मेटेरियल एण्ड टेक्नॉलोजी प्रमोशन काउंसिल (BMTPC) ने एटलस के अनुसार सिसमिक जोन नक्से तैयार कर इसे पाँच भागों में विभक्त किया है। अनुमानतः संशोधित मर्करी मापक (MSK) पर IV-V तीव्रता वाले भूकम्प 7700 वर्ग कि.मी. में महसूस होते हैं जबकि IX-X तीव्रता वाले भूकम्प 500,000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में महसूस किये जाते हैं।

1. क्षेत्र V :- इस क्षेत्र में संशोधित मर्करी मापक के अनुसार IX या इससे अधिक तीव्रता का भूकम्प सम्भावित है। इस क्षेत्र को अत्यधिक नुकसान सम्भावित क्षेत्र भी कहा जाता है।
2. क्षेत्र IV :- इस क्षेत्र में संशोधित मर्करी मापक पर MM VII सम्भावित है इसे उच्च नुकसान सम्भावित क्षेत्र भी कहते हैं।
3. क्षेत्र III :- इस क्षेत्र में मर्करी मापक पर MM VII की तीव्रता भूकम्प आ सकता है इसे मध्यम नुकसान सम्भावित क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है।
4. क्षेत्र II :- क्षेत्र में सम्भावित तीव्रता MM VI है इसे संशोधित सरकारी मापक पर निम्न नुकसान सम्भावित क्षेत्र भी कहते हैं।
5. क्षेत्र I :- इस क्षेत्र के लिए संशोधित मर्करी स्केल पर MMV या इससे भी कम तीव्रता का भूकम्प संभावित है। इसे अत्यधिक नुकसान क्षेत्र भी कहते हैं।

पाली जिले में वर्ष 1987-88 एवं 2009-2010 एवं 2011-2012, 2014-15, 2017-2018 में पाली जिले के आसपास के क्षेत्रों में भी भूकम्प के हल्के झटके महसूस किये गये थे। पाली कम खतरे वाले जोन 2 (एमएसके 6) में स्थित है।

जिला प्रशासन

- सभी विभागों को आपदा से निपटने के लिए सचेत करना तथा उनमें समन्वय स्थापित करना।
- आपदा स्थल पर नियन्त्रण कक्ष की स्थापना करना।
- सहायता सामग्री, भोजन आदि की व्यवस्था करना।
- कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना।
- प्रमाणिक सूचना प्राप्त करना व मीडिया के जरिये उसे लोगों तक पहुँचाना।

नागरिक सुरक्षा बल, एन.सी.सी., एन.एस.एस. तथा स्काउट्स एण्ड गाईड्स

- स्वयं सेवियों की उपलब्धता निश्चित करना।
- मलबे में फंसे हुए लोगों को निकालने में प्रशासन की सहायता करना।
- पीड़ितों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना।

पुलिस प्रशासन

- कानून एवं व्यवस्था की सार संभाल करना।
- वायरलेस आदि से सूचना पहुंचाना।
- संचार के अन्य साधनों की व्यवस्था करना।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

- मलबा आदि उठाने के लिए वाहन उपलब्ध कराना।
- राजकीय एवं निजी क्षेत्र में उपलब्ध जे.सी.बी. एवं अन्य उपकरणों की व्यवस्था करना।
- अन्य ऊँचे व आपदा सम्भावित भवनों की जांच करना तथा उन्हें खाली करवाने में प्रशासन की मदद करना।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

- आपदा स्थल पर तुरन्त चिकित्सा शिविर लगाना।
- लोगों को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराना।
- बुरी तरह घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाना।
- चिकित्सकों, पैरा मेडिकल स्टाफ व दवाईयाँ उपलब्ध कराना (सूची परिशिष्ट 2, 3, 5)

अग्निशमन केन्द्र, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, स्वयंसेवी संस्थाएँ, नगर परिषद्, विद्युत, पशुपालन, दूर संचार विभाग, सिंचाई तथा अन्य विभाग सामान्य कार्य योजना के तहत अपना कार्य पूर्ण करेंगे।

5. महामारी – प्राकृतिक आपदाओं की श्रेणी में महामारी जैसे प्लेग, चिकनगुनिया, कोविड-19 जैसी प्रमुख बीमारीयां जिनके कारण आपात जन मानस की क्षति हुई है पाली जिले में महामारी के रूप में हाल ही में कोविड -19 का प्रभाव देखने को मिल रहा है। यह एक वायरस जनित महामारी है, जो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलती है। इसके द्वारा संक्रमित व्यक्ति में बुखार, खांसी, जुकाम, कफ आदि लक्षण पाये जाते हैं। जिनके कारण व्यक्ति का श्वसन तंत्र खराब हो जाता है और व्यक्ति मृत्यु की ओर अग्रसर हो

जाता है। इससे बचाव के लिए संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से बचना चाहिए, बार बार हाथ धोना चाहिए, मुंह पर हमेशा मास्क का प्रयोग किया जाना चाहिए।

कोविड-19 से बचाव के लिए जिला प्रशासन द्वारा विशेष सेल गठित कर इस बीमारी पर काबू पाया गया। जिला प्रशासन द्वारा इस बीमारी से बचाव के लिए सभी विभागों में समन्वय कर ऑक्सीजन, मेडिसीन, और अन्य जरूरी सामान की आपूर्ति समय पर की गई।

डिजास्टर रिस्क रिडक्शन (डीआरआर-आपदा जोखिम न्यूनीकरण) के विकास कार्यों में समायोजन का मतलब देश या राज्य की नीतियों या प्रक्रियाओं में और आपदा उन्मुखी क्षेत्रों में कोई प्रोजेक्ट डिजाइन करते समय मीडियम टर्म के संस्थागत स्ट्रक्चर्स में प्राकृतिक आपदाओं के जोखिमों को ध्यान में रखना है –

1. विकास एजेंसी द्वारा विकास योजना या परियोजना की पहल से पूर्व अन्य हितधारकों, डीडीएमए से परामर्श कर डीआरआर के उपाय कर लिये जायें।
2. जिलें में राज्य/जिला प्राधिकार द्वारा चल रहे सभी विकास परियोजनाओं एवं प्लेगशीप कार्यक्रमों में डीआरआर के तत्व अवश्य शामिल हो और उसके लिए अतिरिक्त बजट चिन्हित हों।
3. जिलें के सभी विभागों को डीडीएमए निर्देशित करें कि विकास योजना में डीआरआर की व्यवस्था रखें।
4. जिलें के सभी विभाग डीआरआर के पहलू को अपने कार्य की मुख्य धारा में लाने की पहल करें और इस हेतु कम से कम 10 प्रतिशत राशि योजना के बजट में रखें।
5. स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत सांसद या विधायक जो योजनाएं स्वीकृत करें उनमें डीआरआर के कारक अवश्य शामिल हों।
6. कमजोर समुदाय को आजीविका के लिए स्थायी सुविधा प्रदान करने हेतु निरंतर योजना निर्माण एवं संपादन करना।
7. सिंचाई नहर, पक्की सड़क और सुरक्षित आश्रय स्थल जैसी विकास संरचनाओं को प्राथमिकता दी जाये। ये संरचनाये आपदा शमन एवं विकास में मदद करती है।
8. स्थानीय रोजगार पैदा करने वाली और स्थानीय रुप से संपन्न होने वाली अधिकांश डीआरआर कम विकास योजनाओं को मनरेगा के तहत मजबूती के साथ किया जाना चाहिए।

अध्याय-5 तत्परता के उपाय

आपदा के पूर्व तैयारी एवं उपाय –

- 1-सुनिश्चित तौर पर आपदा के प्रति संवेदनशील जिला के क्षेत्र को चिन्हितकरना एवं यह भी सुनिश्चित करना कि सरकार के सभी विभागों तथा प्राधिकार द्वारा आपदा की रोकथाम एवं उसके प्रभाव के शमन के लिए उपाय कर दिये गये हैं।
- 2-पूर्व तैयारी के लिए उठाये गये सभी उपायों की समीक्षा करना तथा जिले के संबंधित विभागों एवं स्थानीय प्राधिकारों को यथा जरूरत दिशा निर्देश देना कि मानक स्तर पर आपदा या संभावित आपदा में प्रभावी प्रत्युत्तर के लिए और उपाय किये जाएं।
- 3-आपदा या भावी आपदा में राहत केन्द्र/शिविर के रूप में उपयोग लायकभवन/स्थल को चिन्हित करना और आवश्यकतानुसार अन्य जरूरी सामानों की व्यवस्था करना।
- 4- राहत और बचाव सामग्री के भंडार की स्थापना करना और सुनिश्चित करना कि कम समय में राहत सामग्री उपलब्ध कराने की तैयारी पूरी है।
- 5- किसी विशेष पूर्व तैयारी निर्देशन, आपूर्ति, पूर्व अभ्यास या प्रशिक्षण आदि के लिए आपदा प्रबंधन विभाग या अन्य मुख्य एजेंसियों से समन्वय करना।
- 6- विभिन्न स्रोतों से पूर्व चेतावनी की नियमित जानकारी लेने के लिए इओसी को निर्देश देना।
- 7- पूर्व चेतावनी की जानकारी के त्वरित प्रसारण के लिए इओसी द्वारा तंत्र विकसित करना।
- 8- जिले में उचित स्थल पर आवश्यक उपकरण एवं सामग्रियों की उपलब्धता का जायजा लेना। संवेदनशील क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त खरीद या सामग्री आपूर्ति की जरूरत का आकलन करना। इस हेतु संबंधित इएसएफ एवं प्रखंड अधिकारियों को जरूरी कार्रवाई के लिए जबाबदेही देना।
- 9- इएसएफ,डीएमटी और क्युआरटी की आकस्मिक कार्य योजनाओं तथा उनकी पूर्व तैयारी की समीक्षा करना।

शमन योजनाएँ –

शमन योजना में संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक दोनों तरह के अंश को शामिल करने होंगे। खतरों के प्रभाव से बचने या कम करने के लिए इंजीनियरिंग उपाय तथा खतरा प्रतिरोधी एवं रक्षात्मक संरचनाओं के निर्माण आदिकार्य संरचनात्मक शमन उपायों में हैं। नीति निर्माण, जागरूकता एवं ज्ञान के विकास, सार्वजनिक प्रतिवद्धता कार्य पद्धति एवं कार्य व्यवहार सहित जन भागीदारी एवं जनसूचना सुविधा आदि कार्य जोखिम एवं उनके प्रभाव को कम करने में गैर संरचनात्मक शमन उपाय मददगार हैं। खतरों के उपर लिखित विशिष्ट कार्यों के अलावा निम्नलिखित संरचनात्मक एवं गैर- संरचनात्मक उपाय भी किये जाने चाहियें –

शमन के संरचनात्मक उपाय –

- 1- सभी सार्वजनिक भवन यथा विद्यालय अस्पताल स्वास्थ्य केन्द्र आदि ऊँचे स्थलों पर इस तरह बनाये जाएं कि वह खतरों से सुरक्षित हो और उनके पर्याप्त रिट्रोफिटिंग किया गया हो तथा उनमें पर्याप्त निकासी द्वार तथा उचित स्थलों पर अग्निशमन यंत्र रखना।
- 2- सभी संवेदनशील क्षेत्रों में बहु-उद्देश्यीय सामुदायिक आश्रय स्थल का निर्माण करना।

- 3- आवास निर्माण की स्थानीय संस्कृति के अनुकूल विविध खतरा बर्दाश्त करने वाले मकान बनाये जाएं।
- 4- जलछाजन प्रबंधन की वर्तमान संरचना एवं प्रणाली के आकलन के लिए जिला प्रशासन द्वारा अध्ययन कराना तथा प्रभावी जलछाजन प्रबंधन हेतु सर्वोत्तम विकल्पों की सिफारिश करना।
- 5-नियमित रूप से समय-समय पर प्राकृतिक जलाशय एवं निकासी नाले की नियमित सफाई करना,उनकी गाद निकासी करना तथा उन्हें गहरा करना।
- 6- सिंचाई नहर,स्लुइस गेट आदि को आजीविका वृद्धि हेतु तथा जलस्रोत के रूप में उपयोगी स्थानीय तालाब या जलाशय से जोड़ना।

शमन के गैर-संरचनात्मक उपाय -

जोखिम स्थानान्तरण तंत्र- बीमा नीति एवं योजनायें लागू करना/मजबूत करना कि किसी तीसरी पार्टी को किसी खतरों से हुई क्षति की पूर्ति कराया जा सके। आर्थिक क्षतिकम करने के लिए फसल, पशुधन लघु व्यापार आदि के लिए बीमा योजना को प्रोत्साहित करना/मजबूत करना।

- वास्तुकार, अभियंता एवं राजमिस्त्री आदि के समूह निर्माण करना एवं उन्हें सुरक्षित बुनियादी ढाँचे निर्माण के लिए प्रशिक्षित करना।
- दीर्घकालिक संवेदनशीलता कम करने के लिए वर्षा जल संग्रहण संरचना वाला वैकल्पिक सुरक्षित भवन निर्माण तकनीक को लगातार प्रोत्साहित करना एवं मुख्य धारा में शामिल कराना। इस हेतु नीतियों एवं नियम विकसित करना। निरंतर जागरूकता एवं प्रोत्साहन कार्य चलाकर समुदाय में नये डिजाइन के आपदा सह्य एवं स्थानान्तरण में आसान आवास/गहरे क्षेत्र से हटकर उँची जगह पर आवास बनाने की मुहिम चलाना एवं इसके लिए यथा संभव प्रोत्साहन सहायता उपलब्ध कराना।
- प्राथमिक स्तर से लेकर विद्यालय,महाविद्यालय एवं अन्य तकनीकी-गैर तकनीकी संस्थानों में आपदा प्रबंधन के दो महत्वपूर्ण तथ्य प्राथमिक सहायता एवं खोज तथा बचाव का शिक्षण दिया जाए।
- सुखा, जल जमाव, बाढ़ आदि के फसलों पर पड़ने वाले कुप्रभाव को कम करने हेतु डीडीएमए वैकल्पिक कृषि के शोध कार्य करे। बहु खतरों के उपरोक्त शमन कार्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित विशिष्ट कार्यगोँव/प्रखंड की संवेदनशीलता के आधार पर खतरों के शमन के लिए किया जा सकता है। ग्राम स्तर पर निम्नलिखित शमन की विशिष्ट रणनीति एवं परियोजनायें अपनानी चाहियें -
खतरों के प्रकार संरचनात्मक शमन गैर संरचनात्मक शमन तटबंध, रिंग बांध आदि बाढ़ नियंत्रण संरचनाओं के निर्माण,रख-रखाव एवं सुरक्षा छोटे-छोटे जलाशयों का निर्माण करना जो बाढ़ के पानी को अस्थायी रूप से कम कर सके। बाढ़ के महत्वपूर्ण भवन या निजी हाउस को उँचे स्थान पर और यदि संभव हो तो खम्भों पर बनाना। उँची जगह पर टयुवेल लगाना। उँची जगह पर बीज बैंक स्थापित करना। पंचायत स्तर पर चौबीसों घण्टे पूर्ण दुरुस्त नावें उपलब्ध रहे। बाढ़ पूर्व/ बाढ़ सह्य फसलें लगायी जाएं। सुरक्षित क्षेत्र में पूर्णवास के दीर्घकालीन फलड प्लने जोनिंग के लक्ष्य प्राप्त करने हेतु बाढ़ सह्य आवास योजना के लिए जागरूकता पैदा करना। खतरों के प्रकार संरचनात्मक शमन गैर संरचनात्मक शमन सिंचाई नहरें बनाये जाएं वर्तमान तालाबों के जीर्णोद्धार सहित नये तालाब मनरेगा योजना के तहत खुदवाये जाएं। गाँवों में टयुवेल एवं बोरवेल लगाये जाएं। सुरक्षित स्थानों पर आनाज बैंक का निर्माण हो और उसका रख-रखाव हो। वर्षा जल संग्रहण कार्य को प्रोत्साहन एवं सहयोग देना। सिंचाई के लिए बोरवेल एवं टयूवेल पर दिये जाने वाले सरकारी अनुदान केप्रति जागरूकता पैदा करना।
- वर्तमान स्लुइस गेटे को कार्यशील बनाया जाय। ताकि जल का अवाधीत प्रवाहबना रहे। स्लुइस गेट के लिए नवीनतम तकनीक अपनाया जाये जिससे कि गाद एवं बालू के जमाव से निजात मिलती है।
- वर्तमान तालाबों के जीर्णोद्धार किये जाएं। नये तालाब खुदवाये जाएं। स्लुइस गेट इस तरह से बनाये जाएं कि इन तालाबों में पानी आ सके। इन तालाबों को उपयोग कृषि एवं मत्स्य पालन में हो। इसके लिए नरेगा योजना की राशि का उपयोग किया जाये।

• फसल बीमा योजना लागू की जाये ताकि सूखे या बाढ़ से हुये नुकसान की क्षतिपूर्ति हो सके। सड़को के कारण पैदा हुये जल जमाव क्षेत्रों की पहचान डीडीएमए अपने स्तरसे करे तथा समाधान के लिए आवश्यक कार्यों का सुझाव दे। जल जमाव क्षेत्र में उपजने वाली बाढ़ सह्य फसले लगायी जाए। प्रभावी जल निकासी व्यवस्था के लिए डिजाइन/ निर्माण हेतु संबंधित विभागको डीडीएमए द्वारा सुझाव देना। क्षेत्र में लागू मानक संचालन प्रक्रिया { एसओपी } के अनुकूल ठहरे पानी से होने वाले जल जनित रोगों के रोकने के लिए पीएचईडी एवं स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्वच्छता योजनाओं को मजबूती से चलाना चाहिये। गहरे क्षेत्र में बसे परिवारों की पहचान कर उन्हें सुरक्षित स्थल पर आवासन के लिए जमीन मुहैया कराना। क्षेत्र में वर्षा जल संग्रहण कार्य को प्रोत्साहित किया जाए एवं इसके लिए सहयोग दिया जाए। गाँवों में जल सुरक्षा के स्रोत के लिए पर्याप्त ट्यूबवेल और बोरहोल लगाये जाएं। सिंचाई नहर एवं ट्यूबवेल के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाए। इस संबंध में दिये जाने वाले सरकारी अनुदान के प्रति जागरूकता पैदा की जाए। मानसून से पूर्व कम समय में कट जाने वाली फसलों को उगाया जाए ताकि जाड़े के समय में मौसमी फसल की खेती की जा सके। जोखिम स्थानान्तरण के लिए फसल बीमा को प्रोत्साहित किया जाए।

विकास योजना –

1. विकास एजेंसी द्वारा विकास योजना या परियोजना की पहल से पूर्व अन्य हितधारक, इंटर एजेंसी ग्रुप एवं डीडीएमए से परामर्श कर आपदा जोखिम के शमन के उपाय कर लिये जाएं।
2. जिले में राज्य/जिला प्राधिकार द्वारा चल रहे सभी विकास परियोजनाओं एवं फ्लेगशीप कार्यक्रमों में आपदा शमन के तत्व अवश्य हो और उसके लिए अतिरिक्त बजट चिन्हित हों।
3. जिला के सभी विभाग को डीडीएमए/इएसएफ सिफारिस करे कि विकास योजना में आपदा शमन के व्यवस्था रखे।
4. जिले के सभी विभाग आपदा शमन के पहलू को अपने कार्य की मुख्य धारा में लाने की पहल करें और इस हेतु कम से कम 10 प्रतिशत राशि योजना के बजट में रखे।
5. स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत सांसद या विधायक जो योजनायें स्वीकृत करें उनमें आपदा के शमन/आपदा सह्य कारक अवश्य हो।
6. कमजोर समुदाय को आजीविका के लिए स्थायी सुविधा प्रदान करने हेतु निरंतर योजना निर्माण एवं संपादन।
7. सिंचाई नहर, स्लुइस गेट, पक्की सड़क और बहु उद्देश्यीय सुरक्षित आश्रय स्थल जैसी विकास संरचनाओं को प्राथमिकता दी जाएं। ये संरचनायें आपदा शमन एवं विकास में मदद करती हैं।
8. स्थानीय रोजगार पैदा करने वाली और स्थानीय रूप से संपन्न होने वाली अधिकांश आपदा शमन सह्य विकास योजनाओं को मनरेगा के तहत मजबूती के साथ किया जाना चाहिये। राज्य द्वारा दी जाने वाली बजट, डिजाइन एवं उपयोगिता के लिए ऐसे लचीले प्रावधान किये जाएं कि जिले के अधिकारी सशक्त रूप से विकास योजनाओं में शमन की प्राथमिकता सुनिश्चित कर पाये। इंदिरा आवास तथा सर्व शिक्षा अभियान जैसे फ्लेक्सी कार्यक्रम में एकरूप डिजाइन एवं बजट वाले भवन बनाने से परहेज किया जाए। इस जिले के लिए आवश्यक शमन उपायों के लिए विशेष डिजाइन अपनाने का लचीलापन आवश्यक है। पंचायत स्तर पर शमन के लिए विकास योजनाओं का मनरेगा के तहत बढ़ावादिया जाय ताकि टिकाऊ आजीविका एवं विकास सुनिश्चित हो सके।

अध्याय—6 क्षमता संवर्धन और प्रशिक्षण के उपाय

क्षमता संवर्धन – कुशल एवं प्रशिक्षित व्यक्ति अकुशल व्यक्ति की तुलना में किसी भी कार्य को अधिक कुशलता से करने में निपुण होता है, प्रशिक्षित व्यक्ति किसी विशेष कार्य के संदर्भ में श्रेष्ठ मानव संसाधन माने जाते हैं क्षमता संवर्धन के लिए प्रशिक्षण एक अनिवार्य प्रक्रिया आपदाओं से निपटने के लिए उपलब्ध मानव संसाधन का श्रेष्ठ एवं अधिकतम उपयोग करने दो हेतु क्षमता संवर्धन अति आवश्यक है बिना प्रशिक्षण के किसी भी मानव समूह में अनुशासन व समन्वय का अभाव रहता है जिसके निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति में मानव संसाधन का समुचित उपयोग नहीं किया जा सकता प्रभावी आपदा प्रबंधन हेतु जिले में उपलब्ध मानवीय संसाधन को नियमित एवं निरंतर प्रशिक्षित कर उनका क्षमता संवर्धन आवश्यक है।

क्षमतावर्धन से एक उपयुक्त संस्थागत फ्रेमवर्क और प्रबंधन प्रणाली तैयार करने और संसाधन आवंटन करने में मदद मिलती है जिससे आपदाओं का मुकाबला करने के लियें बेहतर रिसपॉन्स प्रणाली विकसित की जा सके ।

क्षमता संवर्धन –

आपदा राहत प्रभारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) एक क्षमता संवर्धन योजना तैयार करता है जिसमें चिकित्सा अधिकारियों स्वयं सेवकों एनजीओ वर्कर शिक्षाकर्मियों एवं अन्य विभाग के कर्मचारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं पूर्वाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया जाता है ऐसे कार्यक्रम की प्रस्तुति जिला कलेक्टर को प्रस्तुत की जाती है साथ ही मॉक ड्रिल का आयोजन भी समय-समय पर किया जाता है मॉक ड्रिल के लिए पुलिस एसडीआरएफ अग्निशमन के कर्मचारियों का प्रशिक्षण सुधार किया जाता है।

क्षमता संवर्धन एवं प्रशिक्षण राजस्थान सरकार द्वारा एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय स्तर पर पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है इसमें प्रत्येक विभाग की आपदा प्रबंधन में भागीदारी को बताया गया है एवं आपदाओं से निपटने एवं उनसे होने वाली क्षति को दूर करने के लिए विद्यार्थियों को मानसिक एवं शारीरिक रूप से मजबूत बनाया जाता है।

आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लियें क्षमतावर्धन के लिये किये जाने वाले प्रयास निम्न हैं :

1. प्रशिक्षण
2. मॉक ड्रिल्स एवं अनुरूपण अभ्यास
3. पाठ्यक्रम में आपदा प्रबंधन का समावेश
4. जन जागृति
5. समुदाय-आधारित आपदा प्रबंधन कार्यक्रम
6. आपदा से संबंधित उपकरणों की सुगमता
7. सर्वोत्तम प्रयोगों का प्रलेखन

प्रशिक्षण –

प्रशिक्षण क्षमता वर्धन कार्यक्रमों का सबसे महत्वपूर्ण अवयव है। प्रशिक्षित कर्मचारी विभिन्न आपदाओं का बेहतर तरीके से मुकाबला करने में सक्षम होते हैं।

जिले में व्यवहारिक परीक्षण हेतु मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाता है जिससे प्रशिक्षित व्यक्ति के कौशल में अपेक्षित सुधार देखने को मिलता है।

आपदा प्रबंधन के लिए विभिन्न प्रशिक्षण एवं मॉक ड्रिल कार्यक्रम –

वर्तमान परिदृश्य सभी जिलों में विभिन्न विभागों में प्रत्येक प्रकार के वर्गों से संबंधित कुशल एवं प्रशिक्षित अधिकारी एवं कार्मिक यथा इंजीनियर, डॉक्टर, शिक्षक, नर्स, पुलिस, एवं अन्य विभागों में प्रशिक्षित कार्मिक आपदा प्रबंधन हेतु उपलब्ध है किन्तु विशेष आपदा से निपटने के लिए उनमें समन्वित एवं संगठित प्रयास की आवश्यकता होती है अतः प्रशिक्षण के द्वारा उन्हें एकीकृत प्रयास करने के लिए कुशल बनाकर उनका क्षमता संवर्धन किया जा सकता है।

किसी भी कार्य की कुशलता को बनाए रखने के लिए नियमित अभ्यास एवं नई वस्तुओं के विषय में परिवर्तन को सीखने के लिए अनुवर्ती प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है इसके अतिरिक्त मॉक ड्रिल के माध्यम से समय-समय पर कार्य कुशलता में वृद्धि अपेक्षित होती है, जिससे आपदा के समय त्वरित प्रतिक्रिया देने के लिए मानव संसाधन तैयार होते हैं।

प्रशिक्षण जरूरतों का मुल्यांकन –

सक्षम, साधन सम्पन्न एवं जिम्मेदार कर्मचारीयों का विकास किया जावे और उनकी क्षमता का वर्धन किया जावे जिससे वे किसी भी आपदा स्थिति में कार्य कर सकें। प्रत्येक विभाग प्रशिक्षण एवं अन्य क्षमता वर्धक कार्यक्रमों के लिये समय-सारिणी तैयार करेंगे। इस योजना में पूरे स्टॉफ के लिये आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण और रिफ्रेशर ट्रेनिंग का प्रावधान होगा।

प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटीज-ट्रेनिंग ऑफ टैनेर्स) –

यह प्रोग्राम तलाश एवं बचाव, फर्स्ट एड, निकासी, अग्निशमन, सुरक्षा और इमरजेंसी रिसपॉन्स जैसे विषयों पर विशेष ध्यान देगा। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद, प्रशिक्षकों को मास्टर टैनेर्स के रूप में मान्यता दी जायेगी जो आंचलिक स्तर पर ट्रेनिंग देंगे एवं वर्कशॉप आयोजित करेंगे।

जिला एवं ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण –

मास्टर ट्रेनेर्स जिला एवं ब्लॉक स्तर पर विभिन्न सहभागियों को प्रशिक्षित करेंगे। उनमें एनजीओज, सीबीओज, समाजसेवक, युवा संगठन, नेशनल क्रेडिट कॉर्प्स, नेशनल सर्विस स्कीम, अध्यापक और छात्र शामिल हैं।

विभिन्न विभागों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन –

प्रशिक्षण जरूरत मुल्यांकन के आधार पर, सभी विभाग, जो आपदा प्रबंधन में नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करते हैं, अपने कुछ अधिकारीयों और सपोर्ट स्टॉफ का चयन करके उन्हें प्रशिक्षण के लिये भेजेंगे। तथा प्रशिक्षण की सालाना सारिणी तैयार करते हैं। समय समय पर कंटेंट और मैथडोलॉजी का रिव्यू करते हैं। प्रशिक्षण के प्रमुख विषय निम्नलिखित हैं।

1. आपदा प्रबंधन पर अधिष्ठापन प्रशिक्षण।
2. लाइन डिपार्टमेंट के स्टाफ के लिये स्किल बिल्डिंग ट्रेनिंग्स।
3. इंसिडेंट रेस्पॉन्स सिस्टम पर प्रशिक्षण।
4. आपातकालीन राहत एवं रेस्पॉन्स के लिये न्यूनतम मानदंड।
5. उपकरण एवं रखरखाव संबंधी प्रशिक्षण।

विशेष प्रशिक्षण –

1. शहरी स्थानीय निकायों के लिये प्रशिक्षण।
2. पंचायतीराज संस्थाओं के लिये प्रशिक्षण।
3. भूकम्परोधी तकनीक पर आर्किटेक्ट्स, इंजिनियर्स को प्रशिक्षण।
4. मास कैजुअलिटी मैनेजमेंट के लिये पैरामैडिक एवं चिकित्सा कर्मियों को प्रशिक्षण।
5. फर्स्ट रिसपोन्डर्स (सिविल डिफेंस, होम गार्ड्स, एसडीआरएफ, एनएसएस, एनवाईके और कम्युनिटीवेस्ड टास्क फोर्स टीम) को विशेष प्रशिक्षण।
6. मीडिया कर्मियों को प्रशिक्षण।
7. स्कूल सुरक्षा पर प्रशिक्षण।
8. धार्मिक स्थलों पर प्रशिक्षण।

मॉक ड्रिल्स एवं अनुरूपण अभ्यास प्रशिक्षण के साथ-साथ यह भी महत्वपूर्ण हैं कि मॉक ड्रिल्स और अनुरूपण के माध्यम से आपदा तैयारी के स्तर का प्रशिक्षण किया जावे। सभी विद्यालयों, अस्पतालों, प्रमुख सरकारी इमारतों, सिनेमाघरों स्पोर्ट्स क्लबों/मैदानों और बड़े कॉरपोरेट हाउसेज में आपदा प्रबंधन विशेषज्ञों द्वारा मॉक ड्रिल्स किये जायेंगे जिससे यह पता चल सके कि सुरक्षा प्रणाली में क्या खामिया हैं। इसका एक उद्देश्य इन संस्थाओं का क्षमतावर्धन भी है जिससे जान-माल के नुकसान को कम से कम किया जा सके। इन मॉक ड्रिल्स में पुलिस कर्मी, अग्निशमन कर्मचारी, चिकित्सा दल, पैरामैडिक्स, बचाव दल और विशेष रिसपोन्स दल (बाम्ब डिस्पोजल स्क्वैड, एटीएस) भाग लेंगे। कंपनियां एवं औद्योगिक इकाइयां भी अपनी-अपनी ऑन-साइट एवं ऑफ-साइट आपदा प्रबंधन योजनायें तैयार करेंगी। अग्निकांड और भूकम्प के लिये साल में कम से कम 2 बार मॉक ड्रिल्स आयोजित करना अनिवार्य है।

मॉक ड्रिल्स की सूची निम्नलिखित है :-

1. स्कूल स्तर पर मॉक ड्रिल्स और आपदा प्रबंधन की योजना।
2. मास कैजुअलिटी मैनेजमेंट पर मॉक ड्रिल्स की योजना।
3. पर्यटक केन्द्रों व धार्मिक स्थलों की सुरक्षा प्रणाली पर मॉक ड्रिल्स योजना।
4. धार्मिक मंदिरों, मस्जिदों आदि में सुरक्षा एवं भीड़ प्रबंधन के लिये मॉक ड्रिल्स योजना।
5. सार्वजनिक स्थानों व इमारतों जैसे रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, बस अड्डे, सिनेमाघरों, मॉलमार्केट, पर्यटन स्थल, स्टेडियम, क्रीड़ा स्थल, ओडिटोरियम, सभागार, सरकारी कार्यालय आदि में मॉक ड्रिल्स योजना।

पाठ्यक्रम में आपदा प्रबंधन का समावेश – माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आपदा प्रबंधन विषय में आपदाओं से होने वाली क्षति एवं उनकी रोकथाम के लिए आपदा पूर्व किए गए प्रयासों एवं उपायों से छात्रों को अवगत करवाया जाता है। शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सहयोग से आपदा सुरक्षा एवं तैयारी विषय माध्यमिक शिक्षा (11 व 12) के पाठ्यक्रम में लागू किया जाए। विश्वविद्यालय एवं स्वायत्त संस्थायें अपने विभिन्न शिक्षा कार्यक्रमों में आपदा प्रबंधन (जिसमें भूकम्प और बाढ़ प्रबंधन शामिल हैं) लागू करेंगे। यह व्यवस्था गैर-तकनीकी कार्यक्रमों में भी लागू की जायेगी।

जन जागृति – किसी भी तरह की आपदा में समुदाय सबसे पहले प्रतिक्रिया करते हैं। आपदाओं की जानकारी एवं उनके प्रभावों से लोगों को अवगत कराया जाये। साथ ही उन्हें आपदा प्रबंधन की संकल्पनाओं के बारे में जानकारी दी जाये। सूचना प्रसारण में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

अध्याय-7 प्रतिक्रिया और राहत के उपाय

प्रत्याक्रमण (रिसपॉन्स) उपाय वे हैं जिनके मुख्य उद्देश्यों में जन जीवन की सुरक्षा करना, उनकी मुसीबतों को दूर करना, सम्पत्ति को सुरक्षित बचाना और आपदा द्वारा किये गये नुकसान से निपटना शामिल है। प्रत्याक्रमण अभियान सामान्यतः विघटनकारी और कभी-कभी अभिघातज स्थितियों में लाये जाते हैं। उनका क्रियान्वयन बहुत कठिन होता है। जिसमें कर्मचारियों, उपकरणों और अन्य संसाधनों की जरूरत होती है।

प्रत्याक्रमण को निम्नलिखित 3 चरणों में विभाजित किया जा सकता है

आपदा के दौरान	पहला प्रत्याक्रमण/राहत चरण
आपदोत्तर	प्रत्याक्रमण चरण समुत्थान चरण

‘आपदा के दौरान’ चरण वह चरण है जिसमें लोग आपदा के प्रतिकूल प्रभावों को सबसे ज्यादा झेलते हैं। इसी चरण के दौरान प्रत्याक्रमण संरचना राज्य से लेकर जिला स्तर तक क्रियान्वित की जाती है। जब भी कोई आपदा आती है तो समुदाय को ही सबसे ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ती है। इससे जानमाल और मानसिक एवं सामाजिक सन्दर्भ के रूप में भारी नुकसान होता है।

एम सी आई के दौरान किये जाने वाले महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित हैं :-

- चिकित्सकों और सुरक्षा एजेंसियों का एक संयुक्त दल संसाधनों की जरूरत और घटना स्थल का मुआयना करना।
- एक नियंत्रण संरचना का गठन किया जायेगा।
- संसाधनों (मानवीय, सप्लाई एवं उपकरण) का संग्रहीकरण किया जायेगा। सुविधा केन्द्रों पर अलार्म प्रणालियों की स्थापना की जायेगी।
- रोगियों, परिवार के सदस्यों एवं मीडिया को ठहराने के लिए कुछ विशेष स्थानों का निर्धारण किया जायेगा।
- सुरक्षा व्यवस्था, फार्मसी, खून की आपूर्ति और महत्वपूर्ण उपकरणों के रखरखाव के लिये विशेष दल बनाये जायेंगे।
- लोगो तक सही सूचना और उचित मदद पहुंचाई जाये जिससे घायल परिवार जनों को पहचानने, ढूंढने और उनकी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिल सके।
- सभी जिलों में प्रमुख स्वास्थ्य सुविधाओं का पहचान करना।
- विभिन्न सार्वजनिक एवं निजी स्वास्थ्य सेवाओं, सुरक्षा एजेंसियों एवं अन्य सहभागियों के सहयोग से एमसीएम के लिए क्षमतावर्धन संबंधी प्रयासों में जिला प्रशासन की मदद करना।
- आपदाओं के लिए पहले से ही एसओपीज तैयार करना।
- पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराना।
- आपातकालीन एवं स्वास्थ्य अधिकारियों की भूमिका एवं दायित्वों का निर्धारण करना।
- अस्पतालों की तैयारी का समय-समय पर मूल्यांकन। मॉक ड्रिल्स एवं अनुरूपण किये जायेंगे।

रेपिड डैमेज असेसमेंट (आरडीए)

आपदा आने के तुरन्त बाद जान माल के नुकसान और घायलों की संख्या जानने के लिए रेपिड डैमेज असेसमेंट की आवश्यकता होती है। राहत कार्यों के लिए संसाधन जुटाना, नुकसान के परिणाम की जानकारी लेना, आपदा की प्रचंडता आंकना, पुर्ननिर्माण एवं पुनः स्थापना करना। आरडीए स्थानीय स्तर पर कराया जायेगा जहाँ आपदा घटित हुई है। आरडीए टीम का नेतृत्व स्थानीय दुर्घटना कमांडर करेगा और इसमें पटवारी, उप मण्डलीय अस्पताल का सीएमओ, लोक निर्माण विभाग का जूनियर इंजीनियर और कुछ स्थानीय लोग शामिल होंगे। आरडीए टीम नुकसान के आंकलन की रिपोर्ट जिला कलक्टर को सौंपेंगे।

प्रतिक्रिया के स्तर

रेपिड असेसमेंट से आपदा का स्तर (एल) घोषित करने में मदद मिलेगी जिसके आधार पर रिसपॉन्स के स्वरूप के बारे में निर्णय लिया जायेगा। एल-0 स्तर सामान्य समय का घोटक है जिसका इस्तेमाल निगरानी, प्रलेखन, रोकथाम और तैयारी संबंधी क्रिया-कलापों के लिए किया जायेगा। इस समयावधि के दौरान तलाश एवं बचाव संबंधी प्रशिक्षण, पूर्वाभास, मूल्यांकन, और संभरण आदि कार्यक्रम चलाये जायेंगे जिसमें रिसपॉन्स क्षमता में सुधार लाया जा सके।

एल-1 स्तर (चिन्ता) उस आपदा का उल्लेख करता है जिसका प्रबंधन जिला स्तर पर किया जा सकता है। एल-2 स्तर (विपत्ति) आपदा स्थितियां वे हैं जिनमें राज्य के सक्रिय सहयोग की जरूरत पड़ती है जो आवश्यक संसाधन जुटाने के रूप में दिया जा सकता है।

एल-3 स्तर (संकटावस्था) यह एक बड़ी आपदा की स्थिति है जिसमें राज्य और जिला मशीनरी को पुनः पटरी पर लाने के लिए केन्द्र सरकार के सहयोग की जरूरत पड़ती है।

संचार व्यवस्था

आपदा प्रबंधन में कारगर रिसपॉन्स के लिए बेहतर संचार व्यवस्था बहुत जरूरी है क्योंकि आपदाओं में संचार व्यवस्था भी बुरी तरह प्रभावित होती है। इसलिए सौर उर्जा से संचालित संचार व्यवस्था और वीएचएफ एवं सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

जनता का सहयोग

रिसपॉन्स ऑपरेशन की सफलता के लिए आपदा रिसपॉन्स अधिकारियों और जनता के बीच सहयोग बहुत आवश्यक है।

आपदोत्तर- रिसपॉन्स चरण

रिसपॉन्स और समुत्थान चरण का तात्पर्य “ उन आपात कालीन सेवाओं एवं लोक सहयोग से है जो आपदा के दौरान या ठीक तुरन्त बाद लोगों की जान बचाने, स्वास्थ्य पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों को कम करने, लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और प्रभावित लोगों की बुनियादी जरूरतों की पूर्ति के लिए मुहैया कराई जाती है। कारगर रिसपॉन्स के लिए आवश्यक वस्तुएं निम्न लिखित हैं।

इमरजेन्सी सपोर्ट फंक्शन (ईएसएफ)

इसमें विभिन्न सपोर्ट एजेंसियाँ शामिल हैं, जो सभी तरह की आपदाओं के लिए सामान्य हैं, मुख्य एजेंसियों का प्रबंधन प्रस्तावित ईएसएफ्स जरूरी वस्तुओं की पहचान करेंगे, संसाधन जुटाएंगे एवं उन्हें प्रभावित इलाकों तक पहुंचाएंगे और जिला प्रशासकों की रिसपॉन्स कार्यवाही में मदद करेंगे।

शिविर प्रबंधन

आपदा की वजह से विस्थापित लोगों के लिए शिविर अस्थाई आवासीय व्यवस्था है।

जिला प्रशासन शिविर प्रबंधन के लिए आवश्यक कार्य सुनिश्चित करेंगे जो निम्नलिखित हैं:

- सुरक्षा एवं मान-सम्मान, मान-मर्यादा की रक्षा, सांस्कृतिक मान्यतायें शामिल हैं।
- पंजीकरण एवं आबादी :- सभी शिविर निवासियों का डेटा बेस तैयार करना, जन सांख्यिकीय विवरण जैसे प्रवेश और प्रस्थान का पंजीकरण, शिविर प्रबंधन का महत्वपूर्ण सिद्धान्त है।
- सूचना प्रसार :-वर्तमान स्थिति, स्वास्थ्य, कुल संख्या और अन्य पहलुओं के बारे में जरूरी सूचनाओं के आदान प्रदान को समायोजित किया जायेगा।
- समन्वय एवं प्रबंधन।
- संगठन एवं सहभागिता।
- शरण स्थल की योजना एवं पर्यावरणीय मामले :- शरण स्थलों की योजना शिविर प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसकी व्यवस्था संभावित आबादी, बुनियादी सुविधाओं एवं सेवाओं, प्रवेश एवं निकासी द्वारों की व्यवस्था, सुरक्षा और प्राकृतिक संसाधनों एवं पर्यावरण को ध्यान में रखकर करनी चाहिए। इनके अलावा भूजल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण भी इतने ही महत्वपूर्ण हैं।
- बुनियादी सेवाएं जैसे जल, सैनिटेशन, हाइजीन और प्रबंधन की व्यवस्था शिविर प्रबंधन के प्रमुख अवयव हैं।
- परिवर्ती शिक्षा :- अगर शिविर के तीन या ज्यादा महीने तक चलने की संभावना हो तो वहाँ के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस काम के लिए स्थानीय अध्यापकों, युवकों और विशिष्ट एजेंसियों एवं विशेषज्ञों की सेवाएं ली जानी चाहिए।
- स्वास्थ्य सुविधाएं :- शिविर में स्वास्थ्य एवं हाइजीन की उचित देखभाल करना शिविर प्रबंधन की प्रमुख जिम्मेदारी है। जिसमें मौसमी एवं चिरकालिक बीमारियों और पानी एवं वैक्टर से पैदा होने वाली बीमारियों की निगरानी एवं इलाज की जिम्मेदारी चिकित्सकों के किसी विशेष दल को सौंप देनी चाहिए। समय समय पर टीकाकरण एवं विसंक्रमण अभियान चलाये जाने चाहिए।
- विशेष जरूरत वाले समूह :- विशेष स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करे जिसमें गर्भवती महिलाएं, चिरकालीन बीमार, शिशु, विकलांग, बुजुर्ग, अनाथ और एचआईवी-एडस से पीड़ित लोग शामिल हैं।

क्षति एवं आवश्यकता का आकलन :-

समुत्थान चरण में जिला स्तर पर नुकसान का विस्तृत निर्धारण किया जाना चाहिए। जिसका मुख्य उद्देश्य आपदा से होनेवाले आर्थिक एवं वित्तीय नुकसान का आकलन करना है। इसमें इमारतों, कृषि और सम्पत्ति के नुकसान का भी आकलन किया जायेगा। टीम का नेतृत्व डिस्ट्रिक्ट कलक्टर करेंगे। इसमें जिला राहत अधिकारी, लोक निर्माण विभाग के इग्जेक्यूटिव इंजीनियर, प्रभावित जिले के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिले में कार्यरत प्रमुख एनजीओज और अन्य विशेषज्ञ शामिल होंगे।

अध्याय-8

पुनर्निर्माण, पुनर्वास और स्वास्थ्य लाभ के उपाय

पुनर्वास:- आपदा के पश्चात सामान्य स्थिति में लौटने, सामान्य बुनियादी सेवाओं की बहाली के लिए हफ्तों एवं महीनों उठाये गये कदमों को परिभाषित किया गया है, जिसमें पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण दोनों शामिल हैं। आपदा के पश्चात पीड़ितों के स्व-सहायता शारीरिक क्षति की मरम्मत, सामुदायिक सुविधाओं, आर्थिक गतिविधियों को पुनर्जीवित करने और मनोवैज्ञानिक के लिए समर्थन प्रदान करते हैं।

पुनर्वास स्थानीय बुनियादी सुविधाओं, क्षतिग्रस्त शारीरिक संरचनाओं के प्रतिस्थापन, अर्थव्यवस्था के पुनरोद्धार और एवं सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन आदि सभी सेवाओं की पूर्ण बहाली के लिए संदर्भित करता है। पुनर्निर्माण पूरी तरह से लम्बी अवधि के विकास में एकीकृत किया जाना चाहिए। आपदा जोखिम और संभावनाओं को कम करने के लिए उचित उपायों को भागिल करना चाहिए। यह जरूरी नहीं कि क्षतिग्रस्त संरचनाओं और सेवाओं को उनके पिछले फार्म या स्थानमें बहाल किया जाय, हो सकता यह किसी भी अस्थायी प्रतिस्थापन में शामिल हो। आपातकालीन व्यवस्था, प्रतिक्रिया पुनर्वास के हिस्से के रूप में स्थापित किया है। आपदा के पश्चात् विभागीय तकनीकी कर्मचारियों/कार्यदायी संस्था के माध्यम से क्षतिग्रस्त हुए विभागीय परिसम्पत्तियों का आंकलन कर पुनर्स्थापन हेतु शासनादश सं०-199/1-11-2013-रा०-11 दिनांक 13 मार्च, 2013 के अनुसार (बेहतर पुनर्निर्माण के सिद्धान्त पर) जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण कार्यालय को 15, दिन में प्रस्ताव प्रेषित कर दिया जायेगा।

2. जनसमुदाय को आपदा के पश्चात् होने वाली बीमारियों से बचाव हेतु क्या करें, क्या न करें की स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करते हुए जागरूक करना तथा भुज्ज पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में क्लोरीन गोली का घर-घर जाकर वितरण कराना तथा कूपों व हैण्डपम्पों का ब्लीचिंग पावडर द्वारा प्रतिदिन विसंक्रमण कार्य कराया जायेगा।

3. उल्टी व दस्त होने पर भारीर में पानी की कमी (पुनर्जलीकरण) को रोकने हेतु जीवन रक्षक घोल (ओ०आर०एस० पैकेट) का वितरण किया जायेगा।

4. ग्रामों में साफ-सफाई व्यवस्था की कार्यवाही ग्राम पंचायत के सहयोग से कराया जायेगा।

5. महामारी को रोकने हेतु निरोधात्मक कार्यवाही किया जायेगा।

6-मैलाथियान डस्ट व चूने का भुरकाव तथा फागिंग ग्राम पंचायत के सहयोग से कराया जाएगा।

7. बीमा व्यक्तियों का चिकित्सकीय परीक्षण कराते हुए उपचार उपलब्ध कराया जायेगा।

8-सड़े-गले, कटे व खुले तथा दूषित खाद्य पदार्थों का विनिष्टीकरण सम्बन्धित विभाग के द्वारा कराया जायेगा।

अध्याय 9

जिला आपदा प्रबंधन योजना लागू करने के वित्तिय संसाधन

जिला आपदा राहत अधिकारी का दायित्व होगा कि वे बचाव एवं राहत कार्य हेतु समय से शासन से धन की मांग कर तहसीलों को उपलब्ध करायें। धनाभाव के कारण आपदा राहत कार्य बाधित नहीं होना चाहिये। आकस्मिकता की दशा में सम्यक कोषागार नियमों के अन्तर्गत व्यवस्था करायी जानी चाहिये। आपदा राहत की तात्कालिकता के दृष्टिगत शासन ने जनपद स्तर पर आपदा राहत निधि के लिये बैंक में एकाउण्ट खोलकर शासन से प्राप्त धन को जमा करने का प्रावधान किया गया है। जिससे तत्काल तहसीलों को आपदा राहत हेतु धन उपलब्ध कराया जा सके। आपदा राहत निधि से अहेतुक सहायता, गृह अनुदान व अनुग्रह राशि प्रदान करने हेतु धनावटन जिला स्तर विशेष परिस्थितियों में अनुमन्य है, परन्तु नाव किराया मद व कार्यालय मद में शासन से धन आवंटन प्राप्त करना होगा। आपदा राहत की विभिन्न मदों के अन्तर्गत दी जाने वाली सहायता राज्य आपदा मोचक निधि (एस0डी0आर0एफ0) एवं राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एन0डी0आर0एफ0) के शासनादेश सं. एम.एच.ए. पत्रसंख्या-32-7/2011-एन.डी.एम.-1, दिनांक 16 जनवरी 2012 के अनुसार ही दी जायेगी। तहसीलवार आवंटित धनराशि का उपयोग कर विवरण तथा प्रमाण पत्रप्रति सप्ताह भेजेंगे तथा आवश्यकता का आकलन कर धन की मांग भी करते रहेंगे। जनपद स्तर पर आपदा लिपिक शासन से प्राप्त धन, तहसीलों को आवंटन तथा उपयोगिता का विवरण रखेंगे और निर्धारित प्रपत्र पर इसकी सूचना समय से शासन को प्रेषित करेंगे जिला आपदा राहत कोष में।

आपदा राहत कोष में स्वेच्छा से धनराशि जमा करने की अपील –

प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिये यह भी अत्यन्त आवश्यक है कि जिले के अधिकारी को जन सहयोग प्राप्त हो। उप जिलाधिकारी अपने तहसीलों से जनप्रतिनिधियों की समितियों का गठन सुनिश्चित करेंगे। आपदा क्षेत्रों में पीड़ितों को सहायता शीघ्र दी जाये। सहायता वितरण के लिये तिथियां निर्धारित कर उस का प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिये। जिससे आपदा पीड़ित को पूर्ण जानकारी हो सके, तथा उसकी सूचना स्थानीय स विधायकों एवं ब्लॉक प्रमुखों को भी दी जाये। जिससे यदि वे चाहें, तो अनुदान व सहायता वितरण के समय स्वयं उपस्थित रह सकें। दैवी आपदा के कारण हुये क्षति के सम्बंध में ऐसी तात्कालीन सहायता दी जाये, जिससे प्रभावित व्यक्ति आपदा का सामना कर सके और अपने पैरों पर खड़ा हो सके। समुचित व्यवस्था के लिये धनराशि की आवश्यकता की पूर्ति जिला दैवी आपदा कोष से भी की जा सकती है। अतः जिले के दैवी आपदा कोष में स्वैच्छिक दानव रुपया जमा कराने के प्रयास किये जाये और तहसील स्तर पर समितियों का भी सहयोग प्राप्त किया जाये। आपदा पीड़ितों को भी भोजन वस्त्र, बर्तन आदि की व्यवस्था करने के लिये समाज सेवी संस्थाओं से भी सहयोग लिया जाये। तहसील स्तर पर इस योजना के नियन्त्रक एवं संचालक उप जिलाधिकारी होंगे तथा योजना की सत्यता उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। उल्लेखनीय है कि जनपद वासियों द्वारा भूकम्प, उत्तराखण्ड में बादल फटने से हुई भारी तबाही के दौरान सम्भ्रांत व्यक्तियों, राजकीय कर्मियों, अधिकारियों द्वारा मा0 मुख्यमंत्री राहत कोष में यथा संभव सहयोग दिया गया है। रेडक्रास सोसायटी द्वारा भी देश में होने वाली आपदाओं के समय यथा संभव धन एकत्र कर सहयोग की धनराशि प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री राहत कोष में उपलब्ध करायी जाती है।

अध्याय 10

जिला आपदा प्रबंधन योजना लागू करने के तरीके, निगरानी, मूल्यांकन, अद्यतनीकरण और रखरखाव

आपदा प्रबंधन योजना में घटनाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन, प्रशिक्षण का संयोजन शामिल है, इस योजना में आपदा के उद्देश्य, लक्ष्य, निर्णय आदि का उल्लेख प्रभावी प्रतिक्रिया का परिणाम देगा। निगरानी और योजना के मूल्यांकन के लिए सांकेतिक दिशा निर्देश निम्नवत हैं:—

- 1— नियमित रूप से योजना के क्रिन्वायन की समीक्षा की जाए।
 - 2—जिले में किसी भी बड़ी आपदा/आपातकाल के बाद योजना की प्रभावकारिता की समीक्षा की जाए और तब देखा जाय कि योजना के लिए क्या काम किया गया है? और क्या नहीं किया गया है? तदनुसार संशोधन किया जाए।
 - 3— आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 31 की उपधारा (4) के अनुसार समीक्षा की जायेगी। प्रतिवर्ष समीक्षा के पश्चात योजना को अद्यतन किया जायेगा, और योजना के प्रत्येक पृष्ठ के हेडर के आकार में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा।
 - 4— जिला, राज्य और राष्ट्रीय आपदा योजना में संशोधन की सूची अद्यतन रखी जाये।
 - 5— जिम्मेदारी अधिकारियों/कर्मियों के निर्देशांक और भूमिकाओं की जिम्मेदारी में जब भी परिवर्तन हो तब या 6 महीने में अद्यतन होना चाहिए।
 - 6— योजना सभी हितकारकों, एजेन्सियों, संगठनों के लिए परिचालित किया जाना चाहिए, ताकि वे अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों को जानते रहे और अपनी स्वयंकी योजना तैयार करते रहें।
 - 7— विभिन्न विभागों के नियमित अभ्यास एवं नियमित तैयारियों की जाँच एवं बैठक आयोजित करना चाहिए, जिससे सभी दलों को अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से समझते रहें।
 - 8—जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों को नियमित रूप से प्रशिक्षण देकर उन्मुखीकरण किया जाना चाहिए, ताकि जिला प्रशासन के लिए उपयोगी दस्तावेज बन सकें।
 - 9—सेना एवं अन्य एजेन्सियों को योजना अभ्यास में नियमित रूप से एकीकृत किया जाना चाहिए। समन्वय को मजबूत बनाने के लिए आपदा के दौरान सेना या किसी केन्द्रीय सरकारी एजेन्सियों के साथ बैठक आयोजित करना चाहिए।
 - 10—EOC को अद्यतन बनाये रखने और सूचना एकत्रित करने लिए जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए।
- आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने की जिम्मेदारी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की है। पहली योजना का प्रारूप तैयार हो चुका है और इसमें आगे सुधार और आधुनिकीकरण की आवश्यकता रहेगी। आपात स्थिति का मुकाबला सरकार के सबसे निचले स्तर पर तात्कालिक रूप से किया जाना चाहिए जिससे स्थानीय रिसर्पॉन्स को भी जोड़ा जाना चाहिए। स्वयंसेवी संस्थाओं की भागीदारी पर जोर दिया जाना चाहिए। आपदा प्रबंधन योजना में सभी क्षैतिज एवं अनुलम्ब प्रबंधन योजनाओं का सार शामिल है। क्षैतिज योजनाओं में वे योजनाएं शामिल हैं जो लाइन डिपार्टमेंट्स जैसे—गृह, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, कृषि, स्वास्थ्य पेयजल एवं सेनिटेशन, शहरी विकास, निर्माण और ग्रामीण विकास द्वारा तैयार की जाती हैं। इसमें अग्निशमन सेवा और नगरीय निकाय भी शामिल हैं। निम्नांकित घटकों के आधार पर आपदा प्रबंधन योजना की निरंतर समीक्षा एवं अद्यतन किया जाना चाहिए—
1. क्रियाशील क्षेत्रों एवं स्थानों में मूलतः परिवर्तन होना।
 2. वास्तविक आपदाओं से प्राप्त महत्वपूर्ण आदान।
 3. प्रशिक्षणों से प्राप्त ज्ञान।
 4. मॉक अभ्यासों से प्राप्त महत्वपूर्ण आदान।

5. दुर्घटनाओं/दुर्घटना से बचाव से प्राप्त ज्ञान।
6. पाली जिले की आपदा रूपरेखा में परिवर्तन।
7. महत्वपूर्ण आपदाओं की पहचान करने या उनका शमन करने के लिए नयी तकनीकों का विकास/आविष्कार।
8. नियामक आवश्यकताओं में परिवर्तन होना।
9. जीआईएस के आधार पर डेटाबेस में परिवर्तन।
10. पाली जिले के जन सांख्यिकीय आंकड़ों/स्थानों में परिवर्तन होना।

निम्नलिखित घटकों में भी वार्षिक आधार पर अद्यतन किया जाना चाहिए—

1. जिले की उपकरणों की सूची।
2. मानव संसाधन की सूची, संपर्क नम्बरों सहित।
3. मेडिकल स्टॉक।
4. बहु-आपदा जोखिम से प्रभावित गांवों की सूची।
5. उपयोग की जानी तकनीक।
6. सीखे गए ज्ञान का समन्वय।

अध्याय 11

जिला आपदा प्रबंधन योजना लागू करने के लिए समन्वय का तरीका

आपदा प्रबंधन से आशय निम्नांकित दृष्टि से नियोजन और निरन्तर और एकीकृत प्रक्रिया तथा उसके क्रियान्वयन से है :-

1. आपदाओं के जोखिम को न्यूनीकरण या कमी करना।
2. आपदाओं की कठोरता या परिणाम में कमी करना।
3. क्षमता निर्माण/आपात कालीन तैयारी करना।
4. आपदाओं के प्रभावों का मूल्यांकन करना।
5. आपदा राहत और बचाव के कार्य कराना।
6. आपदा के बाद पुर्नवास व पुर्ननिर्माण।

राज्य सरकार तथा राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण के आपदा सम्बन्धी कार्यों को जिला स्तर पर निष्पादन हेतु उक्त कमेटी नोडल कमेटी के रूप में कार्य करेगी। शासना देश संख्या-1553/1-11-06-52(जी)/2006, दिनांक-18 जुलाई, 2006 में उल्लिखित कमेटी के कार्यों एवं उद्देश्यों की पूर्ति का कार्य सम्पादित किया जायेगा। जिले में सामान्य व कम वर्षा की स्थिति में उत्पन्न होने वाली बाढ़ तथा सूखा से सम्बन्धित समस्याओं के निवारणार्थ चल रही योजनाओं में विभिन्न विभागों में समन्वय के अभाव में उत्पन्न विसंगतियों के स्थायी समाधान हेतु समग्र दृष्टिकोण को एकीकृत तथा दीर्घकालिक जिला योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन का समेकित प्रयास किये जाने का दायित्व मुख्य विकास अधिकारी को सौंपा जाता है। जनपद में बाढ़ तथा सूखे की संभावना उत्पन्न होने पर अर्ली वार्निंग इन्डीकेटर तैयार कराये जाने का कार्य तत्परता के साथ सुनिश्चित किया जाएगा। नगरों में स्थित बहुमंजिली इमारतों, सार्वजनिक सभाओं के पांडालों, घनी एवं संकीर्ण आबादी तथा बाजारों में होने वाले अग्निकाण्डो को चिन्हित कर सुरक्षा प्रबन्ध व ऐसी किसी दुर्घटना के समय खोज एवं बचाव का कार्य कराये जाने का दायित्व अग्निशमन अधिकारी द्वारा निर्वहन किया जाएगा। जोखिम के समय संचार, परिवहन, स्वास्थ्य, विद्युत तथा पेयजल सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने का कार्य जिला प्रबन्धक (दूर संचार), सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (रोडवेज), मुख्य चिकित्साधिकारी, अधिशाषी अभियन्ता (विद्युत/जल निगम) द्वारा अन्तर्समन्वय स्थापित कर कन्टिजेंट प्लान बनाकर सुनिश्चित किया जायेगा। खाद्य पदार्थों की उपलब्धता जिलापूर्ति अधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। जिले में खोज एवं बचाव सम्बन्धी संसाधनों की सूची आपातकाल में प्रयोग किये जाने हेतु समस्त तहसीलदारों द्वारा अद्यतन स्थिति में तैयार रखी जाएगी। आपदा की प्रकृति एवं गंभीरता के अनुरूप स्थायी शरण स्थल तथा उनमें अपेक्षित आवश्यक प्रबन्ध समस्त उप जिलाधिकारियों द्वारा किया जायेगा। आपदा काल में जीवन तथा सम्पत्ति संबंधी जोखिम जैसे विषम परिस्थितियों में फसों व्यक्तियों को बाहर निकाल कर त्वरित राहत प्रदान किये जाने, घायलों को प्राथमिक चिकित्सा देकर स्वास्थ्य केन्द्र पहुंचाने, मृत व्यक्तियों के शवों का उचित निस्तारण इत्यादि की व्यवस्थाएं पुलिस विभाग द्वारा सुनिश्चित करायी जाएगी। इस कार्य में जिला कमाण्डेन्ट (होमगार्ड्स) सहयोग प्रदान करेंगे। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में भय अथवा अपवाह की दशा में जनता को सही जानकारी उपलब्ध कराये जाने, अपवाहों का खण्डन प्रकाशित कराये जाने तथा अपवाह फैलाये जाने वालों के विरुद्ध वरित प्रभावी कार्यवाही किये जाने का कार्य पुलिस विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा, और इस कार्य में जिला सूचना अधिकारी पूर्ण सहयोग देंगे। आपदा में मृत

पशुओं के शवों का निस्तारण एवं सफाई व्यवस्था का कार्य स्थानीय निकायों द्वारा कराया जायेगा। आपदा के प्रकारों और उनके सम्भावित प्रभावों का पूर्वानुमान किये जाने, जोखिम में आने वाले समुदायों तथा सम्पत्तियों को चिन्हित करने, जोखिम के प्रभावों को कम करने/राहत कार्यों की कार्य योजना तथा क्रियान्वयन/सम्पादन का कार्य उप जिलाधिकारियों द्वारा समन्वय बनाकर किया जायेगा। अपर जिलाधिकारीको इस कार्य हेतु नोडल अधिकारी नामित किया जाता है। पुलिस, नागरिक सुरक्षा, होमगार्ड, अग्निशमन विभाग द्वारा अन्तर्समन्वय स्थापित कर स्थानीय प्रशासन, गैर सरकारी संगठनों तथा निजी क्षेत्र के सहयोग से जन समुदाय को बाढ़, आग, भूकम्प एवं विषैली गैस के रिसाव जैसी आपदा से बचाने हेतु प्रशिक्षित किया जायेगा तथा विद्यालयों में मॉक ड्रिल के माध्यम से जागरुकता उत्पन्न की जाएगी।

सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय आपदाओं के कारगर प्रबंधन एवं शमन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये एक मजबूत आधार का काम करेगा। विभिन्न विभागों और एजेंसियों के साथ समन्वय किसी आपदा की स्थिति में सबसे पहले आपातकालीन सेवाओं द्वारा रिसपॉन्स किया जाता है। इसमें स्थानीय लोग भी सहयोग देते हैं। इनके अलावा अन्य एजेंसियां भी शामिल होती हैं। विभिन्न आपात सेवाएं हमेशा तैयार अवस्था में रहती हैं। जिससे तुरंत रिसपॉन्ड कर सके और स्थानीय प्रशासन एवं अन्य सेवाओं को शीघ्रातिशीघ्र अलर्ट कर सके। हालांकि विभिन्न आपात सेवाएं जैसे पुलिस, अग्निशमन और अस्पताल अनिवार्य हैं, लेकिन आपदाओं से बेहतर तरीके से निपटने के लिए कुछ लोग उपयोगी सेवाओं एवं स्थानीय संस्थाएं जैसे रेलवे, हवाई सेवा आदि का सहयोग भी जरूरी है।

जिनके अलग-अलग दायित्व हैं अगर बचाव एवं समुत्थान कार्यों को बेहतर अंजाम देना है तो इन सभी विभागों और एजेंसियों को मिलकर बेहतर तालमेल के साथ काम करना जरूरी है। अनुलम्ब एवं क्षैतिज संबंध स्थापित करना आपदा प्रबंधन में सभी विभागों एवं एजेंसियों के बीच समन्वय उनको दिये गये कार्यों के क्रियान्वयन के लिये एक आवश्यक जिम्मेदारी है। विभिन्न सरकारी विभागों एवं अन्य सहभागियों के बीच समन्वय से सहक्रिया पैदा होती है जो बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करती है।

वार्षिक रिपोर्ट एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना जिसमें निम्नलिखित विवरण शामिल होंगे। आपदा प्रबंधन के लिए डीएमएंडआर के उद्देश्य और विजन का विवरण भौतिक एवं वित्तीय दृष्टि से सालाना लक्ष्य एवं उपलब्धियां पूर्व वर्ष में क्रियान्वित कार्यक्रम अगले वर्ष के लिए योजना अन्य जरूरी सूचना, यदि कोई हो तो आपदा प्रबंधन योजना का संस्थापन सभी विभाग अपना-अपना एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे जो आपदा प्रबंधन में अपने-अपने विभागों द्वारा किये जानेवाले प्रयासों के लिये जिम्मेदार होंगे। ये मनोनीत अधिकारी अपने-अपने विभागों के लिये एसओपीज तैयार करेंगे। सरकारी विभागों और अन्य सहभागियों की क्रांसकटिंग क्रियाकलाप आपदाएं विकास के सभी क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। जिससे लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न होती है। सरकार के सभी प्रमुख विभाग और सेवा मुहैया कराने वाले विभाग जिला एवं पंचायत स्तर पर तमाम विकास परियोजनाएं चलाते हैं। आपदा प्रबंधन को विकास योजनाओं में समायोजित करने से आपदाओं से बेहतर तरीके से निपटा जा सकता है।

अध्याय 12

मानक परिचालन का तरीका और जाँच सूची

	अधिकारी/संस्था	घटना के पूर्व	घटना के दौरान	घटना के उपरान्त
1	जिला कलक्टर	विभिन्न विभागों की तैयारियों की समीक्षा, आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना। प्रशिक्षण जनसहभागिता एवं पूर्वाभ्यास के कार्यक्रमों का अनुश्रवण।	सभी विभागों को क्रियाशील करते हुए आवश्यकताओं का चिन्हीकरण एवं त्वरित प्रतिक्रिया।	बचाव, राहत एवं पुनर्वास कार्यों का प्रभावी अनुश्रवण।
2	पुलिस अधीक्षक	खोज, बचाव एवं राहत दलों का पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों / संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। रासायनिक पदार्थों के भण्डारण, परिवहन पर सतर्क दृष्टि रखना तथा अभिसूचना एकत्र करना।	खोज, बचाव, राहत, विसंक्रमण आदि त्वरित प्रतिक्रिया टीमों को स्थल पर भेजना। कानून व्यवस्था, ट्रैफिक हेतु आवश्यकता पुलिस बल तैनात करना।	विस्थापन क्षेत्र की घेरे बन्दी, शरणालय/राहत केन्द्र अस्पताल आदि पर पुलिस व्यवस्था आवश्यकतानुसार सैन्य/अर्द्ध सैन्य विभाग के सहयोग से शव निस्तारण।
3	अति. जिला कलक्टर	आपदा पूर्व तैयारियों का अनुश्रवण। तहसील, ब्लाक एवं ग्राम स्तरीय कार्य योजना तैयार करना। राजस्व विकास एवं अन्य विभागों के कर्मचारियों एवं संसाधनों को एकत्रित कर उनका उपयोग जागरूकता प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास	आपात कालीन कन्ट्रोल रूम से सम्बन्धित व्यवस्था। तैयारियों का जायजा।	बचाव राहत एवं पुनर्वास कार्यों का प्रभावी अनुश्रवण। क्षति का आकलन तथा प्रभावितों/पीड़ितों/मृतकों आदि की सूचीकरण करना। आपात कालीन नियंत्रण कक्ष को क्रियाशील करना। आवश्यकतानुसार आपदा स्थल पर नियंत्रण कक्ष खोलना, राहत सामग्री, राहत शिविरों की व्यवस्था।
4	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	पर्याप्त चिकित्सीय उपकरणों से युक्त राहत एवं बचाव दल को प्रशिक्षित कराना एवं उनका पूर्वाभ्यास करना।	घटना स्थल पर त्वरित गति से राहत एवं बचाव दल का राहत किट, उपकरणों एवं	प्रभावित व्यक्तियों को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराना। प्रभावित क्षेत्रों को

		चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक दवाइयों, उपकरणों एवं अन्य आवश्यक संसाधनों आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करना। प्राइवेट अस्पतालों का चिन्हीकरण एवं समन्वय।	अन्य आवश्यक संसाधनों आदि के साथ भेजना। जिला अस्पताल में पृथक वार्ड, डाक्टर, दवाओं, एम्बुलेंस आदि की व्यवस्था करना।	विसंक्रमित करना। परीक्षण हेतु रसायनों के नमूने एकत्र कराने में सहयोग करना। राहत शिविरों/ शरणालयों पर चिकित्सा व्यवस्था। पुलिस के सहयोग से शव निस्तारण।
5	समस्त उपखण्ड अधिकारी	तहसील स्तरीय सभी विभागों का अनुश्रवण, जन जागरूकता, प्रशिक्षण पूर्वाभ्यास।	प्रभावित क्षेत्रों की सूचना देना। तहसील स्तरीय विभागों को क्रियाशील करते हुए आवश्यकताओं का चिन्हीकरण एवं प्रभावी कार्यवाही करना।	पीड़ित व्यक्तियों को राहत पहुंचाना एवं सूचनाओं का आदान प्रदान करना। क्षति का आंकलन तथा प्रभावितों/ पीड़ितों/ मृतकों आदि की सूचीकरण, रिपोर्टिंग आदि कार्य।
6	जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, अधिशाषी अभियन्ता	नियंत्रण कक्ष की स्थापना आपदा से पेयजल व्यवस्था के संभावित नुकसान का आकलन संभावित नुकसान में साजो सामान व उपकरण की पुनर्स्थापना हेतु उपलब्धता सुनिश्चित करना जल स्रोतों की सफाई करवाना।	शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित पेयजल स्रोतों के संक्रमण की जांच करना हस्ताक्षर टैंकर द्वारा पेयजल आपूर्ति करवाना।	क्षतिग्रस्त पेयजल आपूर्ति की पुनर्स्थापना पेयजल स्रोतों की जांच कर संक्रमित पाए जाने पर विसंक्रमित करना।
7	विद्युत विभाग, अधिशाषी अभियन्ता (विद्युत)	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक/संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। अपने विद्युत केन्द्रों पर अवांछनीय व्यक्तियों को प्रवेश से रोकें तथा ऐसे किसी प्रयास की सूचना तत्काल पुलिस को दें।	स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार क्षेत्र विशेष की विद्युत कटौती तथा जिला अस्पताल एवं राहत शिविरों में विद्युत आपूर्ति।	क्षतिग्रस्त सम्पत्तियों का पुनर्निर्माण।
8	परिवहन विभाग उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी	पर्याप्त प्रशिक्षण पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों/संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना। ट्रान्सपोर्टर्स की सूची एवं उनके फोन नम्बर आदि रखना।	मांग के अनुसार अतिशीघ्र वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	वाहनों की उपलब्धता।

9	रसद एवं आपूर्ति विभाग, जिला रसद अधिकारी	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास आवश्यकता खाद्यान्न तेल चीनी आदि की आपूर्ति हेतु थोक व्यापारियों एवं भण्डार गृहों का चिन्हीकरण। पेट्रोल पम्पों एवं एल0पी0जी0 गोदामों पर पेट्राले , डीजल एवं एल0पी0जी0 की उपलब्धता का चिन्हीकरण।	मांग के अनुसार आवश्यक खाद्यान्न तेल, चीनी, पेट्रोल डीजल एवं एल0पी0जी0 सुरक्षित करना।	मांग के अनुसार आवश्यक खाद्यान्न तेल, चीनी,पेट्रोल डीजल एवं एल0पी0जी0 उपलब्ध कराना।
10	फायर ब्रिगेड	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों/संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	घटना स्थल पर अल्पसमय में अग्निशमन एवं आवश्यक उपकरणों के साथ पहुँचकर राहत एवं बचाव कार्य करना	
11	सूचना विभाग, जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों/संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	मीडिया से समन्वय	मीडिया से समन्वय
12	पशु चिकित्सा, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों/संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	पशुओं के इलाज सम्बन्धित समुचित व्यवस्था करना।	पशु कैम्पों पर चारे की व्यवस्था, टीकाकरण एवं सामुदायिक सहायगे से शवों का निस्तारण कराना आदि कार्य।
13	सार्वजनिक निर्माण विभाग	जिला स्तर एवं ब्लॉक स्तर के कार्यालयों में नियंत्रण कक्ष स्थापित करना। आवश्यक साजो सामान, उपकरण इत्यादि उपलब्ध रखना सुनिश्चितकरना। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन आने वाली सभी राज्यमार्ग/जिला स्तरीय सडके/ग्रामीण सडकों पर आने वाले पुलियों का निरीक्षण कर आवश्यकतानुसार मरम्मत कार्य करवाना सुनिश्चित करना रपटो को चिन्हित कर सडक के दोनों तरफ जंजीर लगाना	रपटो की सडक के दोनों तरफ जंजीर की निगरानी रेत के खाली एवं भरे हुए कटटे की उपलब्धता बनाए रखना	सडकों पर आने वाले क्षतिग्रस्त पुलियों का निरीक्षण कर आवश्यकतानुसार मरम्मत कार्य करवाना

		रेत के खाली एवं भरे हुए कटटे रखना सुनिश्चित करना।		
14	नगर निगम/ नगर पालिका	नगर निगम एवं सभी नगर पालिकाओं पर नियंत्रण कक्ष स्थापित करना। शहर की सड़कों की मरम्मत एवं नालों की सफाई 15 जून तक आवश्यक रूप से पूरी करना। निचली बस्तियों का चिह्निकरण पम्प सेटों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	सभी नगरीय निकाय/नगर निगम एवं समस्त नगर पालिकाएँ पर्याप्त मात्रा में कम से कम 5 डीजल पम्प सेट बाढ़ की स्थिति में पानी निकासी हेतु रखवाना सुनिश्चित करना।	मृत पशु के निस्तारण के संबंध में टेण्डर यथा समय कर लिये जावें। बाढ़/अतिवृष्टि की स्थिति में सम्भावित खतरे की मुनादी करवाना सुनिश्चित करना।
15	पंचायतीराज विभाग	पंचायत समिति मुख्यालय एवं प्रत्येक ग्राम पंचायत पर नियंत्रण कक्ष स्थापित करना। पंचायत समिति के अधीन आने वाले 60 बांधों, पालों आदि की जांच करवाना एवं आवश्यकतानुसार मरम्मत करवाना सुनिश्चित करना। बांधों के फिडरों की साफ सफाई एवं ओवरफलों की जांच करवा कर साफ सफाई करवाई जाना सुनिश्चित करना। नावों/बोट उपलब्ध कराने वाले ठेकेदारों का नाम की सूची की प्रति सहायता शाखा कलेक्ट्रेट पाली व जल संसाधन विभाग एवं जिला परिषद पाली में दी जावें।	पंचायत समिति स्तर पर कम से कम 5 डीजल मड पम्प पानी निकासी हेतु रखवाना सुनिश्चित करना। बाढ़/अतिवृष्टि की स्थिति में सम्भावित खतरे की मुनादी करवाना सुनिश्चित करना।	मृत पशु के निस्तारण हेतु यदि टेण्डर नहीं किया गया है तो टेण्डर यथा समय कर लिये जावें। बाढ़/अतिवृष्टि की स्थिति में पशुपालन विभाग से समवन्ध स्थापित कर समय पर मृत पशुओं का निस्तारण करना सुनिश्चित करना।
14	राजस्व विभाग	उपखण्ड स्तरीय आपदा राहत प्लान तैयार कर भिजवाना सुनिश्चित करना। सभी उपखण्ड अधिकारी अपने	बाढ़/अतिवृष्टि के दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन हेतु आवश्यक तैयारियाँ सुनिश्चित करना।	जिला रसद अधिकारी, ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय के माध्यम से एसडीआरएफ नॉर्म्स

		कार्यालय एवं तहसील कार्यालय में केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष स्थापित करना। नियंत्रण कक्ष में बाढ़/अतिवृष्टि आवश्यक उपकरण एवं साजो सामान रखना सुनिश्चित करना। बाढ़/अतिवृष्टि के पश्चात् तहसीलदार एवं अन्य विभागीय अधिकारियों से एसडीआरएफ/एनडीआरएफ नॉम्स अनुसार सर्वे करवार नुकसान का आंकलन की रिपोर्ट प्रतिवेदन तत्काल प्रेषित करवाना सुनिश्चित करना। ग्राम पंचायत एवं नगर निकायों के माध्यम से सम्भावित खतरे की मुनादी करवाना सुनिश्चित करना।		अनुसार भोजन/पेयजल आदि की व्यवस्था करवाना एवं अन्य राहत सामग्री पहुँचाना सुनिश्चित करना।
--	--	--	--	--

परिशिष्ट 1

जिले की रूपरेखा

भौगोलिक स्थिति

पाली जिला उत्तरी अक्षांश (latitude) 25.77° और देशान्तर (longitude) 73.33° पाली पूर्व है। जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 9923.78 वर्ग किलोमीटर है। पाली जिले के क्षेत्र को उप पर्वतीय क्षेत्र कहा जा सकता है। यहां पर लहरदार मैदानी इलाके के अतिरिक्त यत्र-तत्र छितरी अरावली पर्वत श्रेणियों जिले के दक्षिणी पूर्वी भाग से होकर जाती है जिनकी अधिकतम ऊंचाई 1099 मीटर के करीब है तथा मैदानी क्षेत्र में सामान्य ऊंचाई 180 से 500 मीटर के करीब है। भूमि ढलान पूर्व से पश्चिम की ओर है तथा पाली नगर समुद्र तल से करीब 212 मीटर ऊंचाई पर है। यहां की अधिकांश भूमि दुमट बलुई है तथा पानी का सामान्य स्तर जमीन से 15 मीटर गहरा है।

जिले की सीमाएं राज्य के 7 जिलों से मिलती है –उत्तर में जोधपुर, पश्चिम में जालौर, सिरोही, दक्षिण पूर्व में उदयपुर, राजसमंद, उत्तर पूर्व में ब्यावर जिला तथा पश्चिम में इस जिले की सीमाएं बाडमेर जिले के सिवाना तहसील को भी छूती है।

प्रशासनिक संरचना

राजस्थान राज्य में कुल 41 जिले हैं जो कि जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, कोटा, जोधपुर, भरतपुर कुल सात सम्भागों में विभक्त हैं। पाली जिला जोधपुर संभाग के अन्तर्गत आता है।

प्रशासकीय इकाईयां –

क्र. सं.	उपखण्ड	तहसील	नगर/कस्बों की संख्या	राजस्व ग्रामों की संख्या			जनसंख्या 2011
				आबाद	गैर आबाद	कुल योग	
1	पाली	पाली	1	89	2	91	336103
2	रोहट	रोहट	—	81	—	81	120963
3	बाली	बाली	2	112	0	112	263900
4	देसूरी	देसूरी	1	80	0	80	141588
5	सोजत	सोजत	2	123	0	123	220854
6	मा.जंक्शन	मा. जंक्शन	1	60	—	60	198978
7	सुमेरपुर	सुमेरपुर	2	67	2	69	198125
8	रानी	रानी	1	76	—	76	125032
	योग		10	688	4	692	1605543

जनसंख्या

पाली जिले की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 1605543 है जिसमें शहरी क्षेत्र की जनसंख्या 412909 है एवं ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या 1192634 है।

पाली जिले की जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार निम्नानुसार हैं:-

क्र.सं.	तहसील का नाम	पुरुष		महिला		कुल जनसंख्या
		नगरीय	ग्रामीण	नगरीय	ग्रामीण	
1.	पाली	119924	53717	110151	52311	336103
2.	सोजत	22268	88434	20755	89397	220854
3.	मारवाड़ जं.	0	98255	0	100723	198978
4.	देसूरी	13751	55889	13639	58309	141588
5.	सुमेरपुर	27789	71493	26033	72810	198125
6.	बाली	22894	109893	21825	109288	263900
7.	रोहट	0	62111	0	58852	120963
8.	रानी	7141	54850	6739	56302	125032
	योग:-	213767	594642	199142	597992	1605543

नोट:- जगनगणना 2011 में रानी तहसील नहीं थी।

पंचायत समिति वार जनसंख्या

क्र.सं.	पंचायत समिति का नाम	कुल जनसंख्या	पुरुष	महिला
1	बाली	219181	109893	109288
2	देसूरी	114198	55889	58309
3	मारवाड़ जंक्शन	198978	98255	100723
4	पाली	102582	52015	50567
5	रानी स्टेशन	111152	54850	56302
6	रोहट	124409	63813	60596
7	सोजत	177831	88434	89397
8	सुमेरपुर	144303	71493	72810
	कुल योग	1192634	594642	597992

नगर निकायवार जनसंख्या

क्र.सं.	नगर निकाय का नाम	कुल जनसंख्या	पुरुष	महिला
1	नगर पालिका बाली	19880	10007	9873
2	नगर पालिका फालना	24839	12887	11952
3	नगर परिषद, पाली	230075	119924	110151
4	नगर पालिका रानी	13880	7141	6739
5	नगर पालिका सादड़ी	27390	13751	13639
6	नगर पालिका सोजत	43023	22268	20755
7	नगर पालिका सुमेरपुर	37093	19202	17891
8	नगर पालिका तखतगढ़	16729	8587	8142
	कुल योग	412909	213767	199142

भौतिक स्वरूप

तापमान एवं वर्षा

जिले की जलवायु शुष्क है। गर्मियों में अत्यधिक गर्मी एवं सर्दियाँ अत्यधिक ठण्ड पड़ती है। वर्ष 2024 में दर्ज अधिकतम तापमान 49.0 तथा न्यूनतम 1.3 सेंटीग्रेड था। जिले में इसी वर्ष की औसत वर्षा 584.7 मि.मी. दर्ज की गई। जिले में माह जनवरी का महिना सर्वाधिक ठण्डा होता है तथा प्रारम्भिक मई से जून तक की अवधि में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। दक्षिण व पश्चिम मानसून काल में आर्द्रता सामान्यतया अधिक रहती है एवं वर्ष के शेष समय में वायु शुष्क रहती है। जिले में वर्षा का वितरण असमान है, जिससे कृषि उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ता है।

वार्षिक वर्षा 2024

तहसील	सामान्य वर्षा	वास्तविक वर्षा	सामान्य से अन्तर वृद्धि (+)/कमी (-)
पाली	501.4	591	89.6
बाली	719.6	257	-462.6
देसूरी	741.2	394	-347.2
मारवाड़ जक्शन	575.8	126	-449.8
सोजत	528.04	607	78.96
रोहट	471	360	-111
सुमेरपुर	601	361	-240
रानी	580.5	393	-187.5
योग	4718.54	3089	1629

भू-विज्ञान

जिले की भू-वैज्ञानिक शैल-समूह विभिन्न आग्नेय, तलछटी और अधोतलछटी चट्टानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। देहली उच्च समूह शैली का प्रतिनिधित्व करने वाले अजबगढ़ शैल समूह जिले की पूर्वी सीमा के समीप पाये जाते हैं और इनमें स्तरित चट्टाने, फाइलाइट, संगमरमर तथा मूलभूत ज्वालामुखीय शैल सम्मिलित हैं। ये कणाश्च और रिहयोलाइट से अन्तर्धित हैं जिनमें प्रमुख ऐरिनपुरा कणाश्च है जो कि जिले के दक्षिणी व दक्षिण-पूर्वी भाग में आच्छादित है। जालोर किस्म का कणाश्च पाली कस्बे के दक्षिण में पाया जाता है और वह आमतौर से गुलाबी रंग का है। मलानी रिहयोलाइट (ज्वालामुखीय) पाली के दक्षिण-पश्चिम में छोटे से क्षेत्र तक ही सीमित है। मारवाड़ उच्च समूह के शैल जिले के उत्तरी भाग में पाये जाते हैं जिसका प्रतिनिधित्व चूना-पत्थर, डोलोमाइट, बालुकाश्म तथा सलेटी पत्थर के रूप में होता है।

नदियां— जिले में कोई बारहमासी नदी, प्राकृतिक झील व झरना नहीं है। लूनी नदी की चार सहायक नदियां – सूकडी, लीलडी, बांडी व जवाई इस जिले में बहती है।

कृषि— पाली जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य व्यवसाय कृषि है। जिले में सामान्य वर्षा हो जाने से रबी एवं खरीफ की 2024 में बुवाई लगभग 294812 हैक्टेयर में बुवाई हुई थी। मुख्य रूप से जिले में गेहूँ,

जौ, चना, राई, मूंग, ज्वार, तिल, बाजरा, ग्वार, कपास एवं मक्का की बुवाई की गई। इस वर्ष फसलों की उपज अच्छी रही है।

वन — पाली जिले के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 12387 वर्ग कि.मी. में से 827.33 वर्ग कि.मी. क्षेत्र वनों के अन्तर्गत आता है जो कि कुल क्षेत्रफल का 7.20 प्रतिशत है। इस 827.33 वर्ग कि.मी. में से 541.53 वर्ग कि.मी. क्षेत्र कुम्भलगढ़ अभयारण्य के अधीन आता है। यहां पर पहाड़ियों एवं कटलों पर वन छितरे हुये हैं। अजमेर की सीमा पर लगे वन शुष्क प्रजाति के हैं जबकि सिरौही उदयपुर से सटे वन सघन तथा विभिन्न प्रजातियों के हैं। यहां वनों में तेन्दुआ, जंगली सुअर, भेड़िया, सांभर तथा नीलगाय आदि जानवर पाये जाते हैं।

जिले में वनों की स्थिति निम्नानुसार है :-वन क्षेत्र वर्ष 2024-25

क्र.सं	जिला पाली	नाम वनमंडल	आरक्षित (हैक्ट.)	रक्षित (हैक्ट.)	अवर्गीकृत (हैक्ट.)	योग (हैक्ट.)
1.	पाली	पाली	14239.58	13873.39	467.25	28580.22
2.		वन्य जीव राजसमन्द	53864.18	289.08	0	54153.26
		योग	68103.76	14162.47	467.25	82733.48

सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां

सामाजिक जीवन के बदलते प्रतिमानों के साथ, मेलों व त्यौहारों की सार्थकता भी, उनकी व्यापारिक उपयोगिता व पर्यटक आकर्षण के महत्व के कारण अधिक बढ़ती जा रही है। इसके अतिरिक्त मेले आमतौर पर लोगों के मनोरंजन व आनन्द के महत्वपूर्ण स्रोत हैं तथा ये विशेषकर स्वायत्त संस्थाओं के लिये आय के स्रोत भी हैं। जिले में विभिन्न स्थानों पर आयोजित अधिकांश मेले मौसमी तथा धार्मिक हैं। जिले में लगने वाले मुख्य मेलों का वर्णन नीचे दिया जा रहा है।

- 1. शीतला सप्तमी मेला :** यह जिले का एक मुख्य मेला है जो सोजत में प्रति वर्ष चैत्र बदी 7 (मार्च-अप्रैल) को लगता है। “शीतला माता” के पूजन के लिए करीब 20,000 व्यक्ति इस मेले में एकत्र होते हैं। “माता” के सम्मान में लोग “पूजापा” व अन्य भेंट मन्दिर में चढ़ाते हैं। लोगों में यह एक सामान्य विश्वास है कि ऐसा करने से उनके बच्चों की चेचक से “माता” रक्षा करती है। शीतला माता का मेला पाली जिला मुख्यालय, रोहट तहसील में वायद, मारवाड़ जंक्शन तहसील में ईसाली, बाली तहसील में भाटुन्द एवं सुमेरपुर तहसील में चाणोद में भी लगता है।
- 2. वरकाणा पार्श्वनाथ मेला :** यह मेला देसूरी तहसील के वरकाणा ग्राम में प्रति वर्ष पौष बदी 10 (दिसम्बर-जनवरी) को लगता है। यहां पर भगवान पार्श्वनाथ का मन्दिर है। करीब 10000 व्यक्ति भगवान की पूजा के लिये इस मेले में एकत्र होते हैं।
- 3. रामदेवजी का मेला :** यह मेला सोजत तहसील में बगड़ी नगर पर प्रतिवर्ष भाद्रपद बीज से दशमी तक (अगस्त-सितम्बर) को लगता है। यहां पर रामदेव जी का प्राचीन मन्दिर है जहां पर व्यक्ति अपने बच्चों का “मुण्डन” कराने तथा रामदेवजी की पूजा करने के लिए एकत्र होते हैं। पाली जिला मुख्यालय एवं खारची तहसील के सवराड़ स्थान पर भी रामदेवजी का मेला लगता है।
- 4. सेवाड़ी पशु मेला :** यह मेला बाली तहसील के ग्राम सेवाड़ी के समीप लगता है। यह मेला पौस बदी 2 से 6 (दिसम्बर-जनवरी) तक पांच दिनों के लिये प्रति वर्ष लगता है। पशुओं के क्रय व विक्रय हेतु करीब 15,000 व्यक्ति इस मेले में एकत्र होते हैं। मेले के लिए फालना निकटतम रेलवे स्टेशन है।

उपरोक्त वर्णित मेलों के अतिरिक्त जिले में लगने वाले अन्य उल्लेखनीय मेले हैं : जवाली (देसूरी तहसील) का, जवाई महादेव का मेला, फालना (बाली तहसील) का निम्बोका नाथ मेला, सेसली (बाली तहसील) में लगने वाला एक सामाजिक मेला, सोजत का नाग पंचमी मेला, झीतरा (पाली तहसील) का रायजी का मेला तथा चोटीला (पाली तहसील) का धूलेशाह का मेला आदि। जिले में हिन्दुओं के प्रमुख त्यौहार शीतला अष्टमी, सावन के सोमवार, रक्षा बन्धन, जनमाष्टमी, नवरात्रि व दशहरा, दीपावली, मकर संक्रान्ति, बसंत पंचमी, होली, गणगौर, व तीज है।

परिशिष्ट 2

आपदा जोखिम प्रबंधन से संबंधित कानून और नीति

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 का विश्लेषण

(Analysis of the Disaster Management Act 2005)

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 आपदा की परिभाषा प्रकृति अथवा मानवदृ निर्मित घटना के रूप में देता है, जो जान-माल और पर्यावरण के विनाश का कारण बनती है। यह अधिनियम आपदाओं से निपटने के लिये राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक शक्तियाँ और कार्य संकेंद्रित करता है। इस प्रकार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) पर न केवल नीतियाँ, योजनाएँ और दिशा-निर्देश निर्धारित करने बल्कि आपदाओं का सामयिक और प्रभावी प्रत्युत्तर सुनिश्चित करने के लिये कार्यकारी कार्यों का उत्तरदायित्व भी है। राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एन.ई.सी.), जिसे एन.डी.एम.ए. के अधीन गठित किया जाना है, की अध्यक्षता आपदा प्रबंधन का प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले संघ सरकार के मंत्रालय अथवा विभाग के प्रभारी सचिव द्वारा की जाएगी।

दूसरे शब्दों में, एन.डी.एम.ए. तथा साथ ही राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एन.ई.सी.) को किसी आपदा के दौरान योजना बनाने, समन्वय करने, अनुवीक्षण करने और सहायता प्रदान करने की ही नहीं बल्कि आपात कालीन राहत और प्रत्युत्तर के क्रियान्वयन से संबद्ध कार्यों की भी भूमिका दी गई है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संगठन की भूमिका और कार्य :-

आपदा प्रबंधन कानून अथवा राष्ट्रीय प्रतिरोध उपाय अधिनियम का मुख्य सीमा क्षेत्र आपदा प्रबंधन के समन्वय के लिये एक राष्ट्रीय एजेंसी/संगठन स्थापित करना है।

ऐसे संगठन की भूमिका निम्नलिखित है :-

- तैयारी और प्रशमन से लेकर प्रत्युत्तर और सुधार तक सभी चरणों में आपदा प्रबंधन के लिये एक संगत दृष्टिकोण प्रदान करना।
- साचा ढाँचा प्रदान करना।
- स्पष्टतया उत्तरदायित्व आवंटित करना।
- समन्वित प्रत्युत्तर के लिये ढाँचा प्रदान करना।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संगठन (एन.डी.एम.ओ.) का अभिप्राय निम्नलिखित नहीं है :-

- सामान्य सरकार का दूसरा रूप बनाना।
- सरकार से स्वतंत्र कार्य करना।
- अन्य एजेंसियों का नियंत्रण करना।

आपदा प्रबंधन अधिनियम देश में आपदा प्रबंधन की एकीकृत संरचना है। एन.डी.एम.ए और एन.ई.सी. न केवल राष्ट्रीय योजनाओं और संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों की योजनाओं को अनुमोदित करेंगे बल्कि वे राज्य प्राधिकारियों के लिये दिशा-निर्देश, आपदा प्रबंधन की नीतियों और योजनाओं को लागू करने का समन्वय और कार्यान्वयन तथा सामाजिक प्रत्युत्तर भी सुनिश्चित करेंगे।

अंतराष्ट्रीय पद्धतियाँ भी सामान्यता आपदाओं से निपटने के लिये आदेश और नियंत्रण कार्यों के साथ केन्द्रीयकृत प्राधिकरण स्थापित करने के पक्ष में होती हैं। आयोग ने प्रशासनिक दृष्टिकोण से सावधानीपूर्वक विचार किया है और इसका मत है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को पर्याप्त संशोधनों की अपेक्षा है। जिससे इसे संघ, राज्य, जिला और स्थानीय स्तरों पर आपदाओं से निपटने के लिये एक संगत और व्यावहारिक ढाँचा प्रदान किया जा सकें।

सिफारिशें :-

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (केन्द्रीय अधिनियम) को निम्नलिखित विशेषताएँ शामिल करने के लिये संशोधित किये जाने की आवश्यकता है।

क – आपदा/संकट प्रबंधन को राज्य सरकारों का प्राथमिक उत्तरदायित्व बनाए रखा जाना चाहिये और संघ सरकार को एक समर्थनकारी भूमिका निभानी चाहिये।

ख – अधिनियम को आपदाओं का वर्गीकरण (स्थानीय, जिला, राज्य अथवा राष्ट्रीय स्तर) प्रदान करना चाहिये। आपदाओं की तीव्रता के अनुसार यह वर्गीकरण आपदा से निपटने के लिये प्राथमिक रूप से उत्तरदायी प्राधिकारी तथा प्रत्युत्तर और राहत की मात्रा निर्धारित करने में सहायता करेगा – इस विषय पर विस्तृत दिशा-निर्देश एन.डी.एम.ए. द्वारा निर्दिष्ट किये जाएं।

ग – राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का कार्य नीतियों की सिफारिश करना, विभिन्न आपदा प्रबंधन योजनाएँ और मानव प्रचालक कार्यविधियाँ तैयार करने के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित करना असुरक्षा अध्ययन का संवर्धन और आयोजन अनुसंधान और मूल्यांकन वर्गीकरण के मानकों राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय आपदाओं की घोषणा पर सुझाव देना : संकट/आपदा के क्षेत्र में विशेषज्ञता और ज्ञान विकसित करना तथा इसे क्षेत्र में प्रसारित करना, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम विकसित और आयोजित करना, शीघ्र चेतावनी प्रणालियों का समन्वय करना, स्थानीय/राज्य सरकारों की समर्थन में जहाँ अपेक्षित हो विशिष्ट मानवशक्ति व मशीनरी तैनात करना, आपदा प्रबंधन निधियों की स्थापना तथा उसके अनुप्रयोग पर सुझाव देना, सरकार को संकट/आपदा प्रबंधन से संबंधित सभी मामलों पर सिफारिशें देना।

घ – प्रशमन/निवारण और प्रत्युत्तर संबंधी उपायों के क्रियान्वयन का कार्य भारत सरकार के संबद्ध मंत्रालयों/विभागों द्वारा समर्थनकारी भूमिका निभाने सहित राज्य सरकारों और जिला तथा स्थानीय प्राधिकारियों पर छोड़ दिया जाए।

ड – प्रत्येक सरकार पदाधिकारी द्वारा किसी भी संकट के बारे में संबंधित प्राधिकारी को तत्काल सूचित करने का कर्तव्य सौंपा जाना चाहिए अगर वह महसूस करता/करती है की इसे प्राधिकारी के साथ इसी सूचना नहीं है।

च – कानून द्वारा संकट से निपटने के लिए शीर्ष स्तर पर समरूप संरचना सृजित करनी चाहिए। ऐसी संरचना का नेतृत्व राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री और राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री द्वारा किया जा सकता है। प्रशासनिक स्तर पर संरचना का नेतृत्व उपायुक्त, मंत्रीमण्डल, सचिव, और मुख्य सचिव द्वारा किया जाता है।

परिशिष्ट 3

आश्रय प्रबंधन योजना

विश्राम गृहों की सूची

तहसील	विश्राम गृह का नाम	दूरी कि.मी.	
		जिले से	तहसील से
पाली	सर्किट हाउस, मानपुर रोड़, पाली	2	2
	डाक बंगला सा.नि. विभाग पाली	0	0
सौजत	डाक बंगला सा.नि. विभाग सौजत	40	2
मारवाड़ जं.	सा.नि. विभाग विश्राम गृह मारवाड़ जं.	40	0.50
सुमेरपुर	सा.नि. विभाग सांडेराव	56	20
	सिंचाई विभाग, तखतगढ़	74	25
	कृषि उपज मंडी सुमेरपुर	78	3
	सिंचाई विभाग, जवाई बांध	88	13
बाली	पंचायत समिति विश्राम गृह, बाली	72	81
	राज. राज्य विद्युत मण्डल विश्राम गृह फालना स्टेशन	65	8
देसूरी	सा.नि. विभाग, सादड़ी	75	20
	सा.नि. विभाग, देसूरी	75	2

आश्रय स्थलों की सूची

1.	बांगड धर्मशाला, रेल्वे स्टेशन पाली
2.	बांगड स्कूल, पाली
3.	बांगड कालेज, पाली
4.	बालिया स्कूल, पुराना बस स्टैण्ड, पाली
5.	नगर परिषद्, टाउन हाल पाली
6.	सरस्वती शिशुसदन, घर वाला जाव पाली
7.	इमान्युअल मिशन स्कूल, नयागांव पाली
8.	कन्या महाविद्यालय, सर्किट हाउस के सामने पाली
9.	सुल्तान स्कूल, पुलिस लाइन के सामने पाली
10.	सेंट पाल स्कूल, चिमनपुरा
11.	सुराणा धर्मशाला बस स्टैण्ड, पाली
12.	माहेश्वरी न्याति नोहरा, नाड़ी मोहल्ला, पाली

परिशिष्ट 4

निकासी योजना

पाली जिले में जल संसाधन खण्ड, पाली के क्षेत्राधिकार में 8 तहसीले हैं। बाढ़ से प्रभावित होने वाली तहसीलें बाली, देसूरी, मारवाड जंक्शन, सोजत, पाली, रानी, सुमेरपुर एवं रोहट हैं। क्योंकि पाली व रोहट तहसील को छोड़कर सभी 6 तहसीलों का क्षेत्र अरावली पर्वत श्रृंखला के नीचे स्थित हैं और प्रायः सभी मुख्य नदियाँ इन तहसीलों के क्षेत्र से होकर निकलती हैं। देसूरी और मारवाड जंक्शन का पानी पाली तहसील के क्षेत्र से निकलने के कारण पाली तहसील भी पिछले वर्षों से बाढ़ से प्रभावित हुई है। मुख्य नदियाँ जिनमें प्रायः बाढ़ आने की संभावना रहती है, जिनकी सूची मय तहसील क्षेत्र के नाम नीचे अंकित हैं।

क्र.सं.	तहसील का नाम	मुख्य नदियों के नाम जो तहसील में बहती हैं
1	सोजत	सुकडी, लीलकी, गुडिया
2	मारवाड जंक्शन	आऊवा, सुकडी, बाण्डी, जोजावर, फुलाद
3	पाली	सुकडी, बाण्डी, लूनी, बान्डाई
4	रोहट	सुकडी, बाण्डी, लूनी, बान्डाई
5	बाली	मिटडी, बाली, सुकडी
6	देसूरी	सुकडी
7	रानी	सोमेसर, सुकडी
8	सुमेरपुर	जवाई नदी

उपरोक्त तहसीलो में इस विभाग के अधीन 4 उपखण्ड कार्यालय कार्यरत हैं, जिनका कार्य क्षेत्र निम्न प्रकार हैं :-

क्र.सं.	उपखण्ड का नाम	कार्य क्षेत्र
1	जल संसाधन उपखण्ड, पाली	तहसील पाली, रोहट, रानी
2	जल संसाधन उपखण्ड, बाली	तहसील बाली, देसूरी
3	जल संसाधन उपखण्ड, सोजत	तहसील सोजत, मारवाड जंक्शन
4	जल संसाधन उपखण्ड, RWSLIP	Project Sub Division
5	जल संसाधन जवाई नहर उपखण्ड, सुमेरपुर	सुमेरपुर

अस्थाई टेलीफोन/वायरलेस सेट से वर्षा, मुख्य बांधों के गेट की सूचना प्राप्त होती हैं जो सम्बन्धित अधिकारी जिला प्रशासन, अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन वृत्त, पाली, मुख्य अभियंता, जल संसाधन सम्भाग, जोधपुर एवं मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर को समय समय पर प्रेषित की जावेगी। इस सम्बन्ध में जो कार्यवाही की जावेगी निम्न प्रकार हैं :-

1. अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन वृत्त, पाली के निर्देशानुसार जल संसाधन खण्ड, पाली के कार्यालय में एक बाढ प्रकोष्ठ दिनांक 15.06.2025 को खोल दिया जावेगा। जो कि 24 घण्टे निरन्तर कार्य करता रहेगा, जिसके लिए अलग से आदेश प्रसारित किये जावेगे। ये आदेश 15.06.2025 से पूर्व ही प्रसारित किये जावेंगे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जल संसाधन उपखण्ड मुख्यालय बाली, सोजत, एवं सुमेरपुर पर भी बाढ प्रकोष्ठ की स्थापना की जाती है।
2. बाढ प्रकोष्ठ पाली, जल संसाधन उपखण्ड मुख्यालय बाली, सोजत, एवं सुमेरपुर के केन्द्रीय रूप में वर्षा काल में अस्थाई टेलीफोन दिनांक 15.06.2025 से 30.09.2025 तक लगाने की स्वीकृति प्रदान करने हेतु पृथक से अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन वृत्त, पाली से निवेदन किया जाकर तथा सक्षम स्वीकृति प्राप्त करके टेलीफोन सभी उपखण्ड कार्यालयों पर लगा दिये जायेंगे।
3. इस विभाग के अधीनस्थ पाली जिले में 10 विभागीय वायरलेस सेट दिनांक 15.06.2025 से स्थापित किये जाने हैं। जिसकी सूचना संलग्न हैं।

4. बाढ़ सुरक्षा हेतु इस विभाग के प्रत्येक बड़े बांध पर 500 कट्टे मिट्टी के भरकर रख दिये जायेंगे। सभी बांधों की मोरियों के गेटस की ऑईलिंग, ग्रीसींग करने तथा बांध पर खाली कट्टे, रस्सीयाँ, केरोसीन, लालटेन, टार्च मय सेल इत्यादि रखने हेतु सभी सहायक अभियंताओं को निर्देश दिये गये हैं। वर्षा ऋतु के दौरान रात दिन में पेट्रोलिंग कर अगर किसी बांध से खतरा हो तो वायरलेस से जहां सम्भव हो या नजदीक पुलिस स्टेशन से खण्डीय कार्यालय में सूचना भेजने की व्यवस्था की जाती हैं। महत्वपूर्ण बांधों पर तगारी, फावड़ा, गेती का पुख्ता इन्तजाम किया जाता है सभी सहायक अभियंताओं को वर्षाकाल में मुख्यालय पर रहने व मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश प्रदान कर दिये गये हैं।
5. बांधों की पूर्ण भराव क्षमता, प्रत्येक दिवस की भराव क्षमता तथा उस दिन तक बांधों में आये पानी की आवक क्षमता तथा प्रत्येक बांध व तहसील की प्रत्येक दिन की वर्षा तथा उस दिन तक की कुल वर्षा को अलग से प्रपत्र में भरकर सभी उच्चधिकारियों को भिजवाया जाता है।

पाली जिले में डिजास्टर मैनेजमेन्ट हेतु टिप्पणी

पाली जिले की भागौलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर कम वर्षा भी होती है तथा कुछ क्षेत्र में अधिक वर्षा भी होती है। कम वर्षा होने पर ज्यादातर रबी तथा खरीफ दोनों फसले नहीं होती है। पाली जिले में आने वाली मुख्य नदियों को ऊपर दर्शाया गया है। पूर्व वर्षों में ऐसा देखा गया है कि पाली जिला समतल होने के कारण अगर 24 घण्टे में 100 एम.एम. से अधिक वर्षा होने पर नीचे सतही स्थल पर बाढ़ की स्थिति हो जाती है। पाली जिले में अत्यधिक वर्षा होने पर मुख्य नदियों में बाढ़ आने की संभावना रहती है।

पूर्व वर्षों में जब-जब बाढ़ का प्रकोप पाली जिले में हुआ उपरोक्त नदियों के कारण ही हुआ है। इन सभी नदियों पर जल संसाधन विभाग द्वारा बांध बनाये जा चुके हैं, परन्तु फिर भी अतिवृष्टि में इनसे बाढ़ की संभावना उत्पन्न हो जाती है। पूर्व वर्षों में इन नदियों या किसी बांध के टूटने से कभी जानमाल एवं पशुधन की हानि नहीं हुई है। क्योंकि कोई बस्ती इन नदियों के किनारे पर नहीं है। केवल कुछ फसलो को नुकसान होता है।

मुख्य नदी बाण्डी पाली शहर से निकलती है लेकिन इसके तटबन्धन पाली शहर की तरफ से बांधने के कारण अब पाली शहर को अतिवृष्टि से कभी नुकसान नहीं हुआ है। पाली शहर की कुछ बस्तियाँ नीचे के स्तर पर बसी हुई होने के कारण अत्यधिक वर्षा आने पर

मकानों में पानी भर जाता है, अतः इन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कार्यवाही की जाती है। वर्षा के तीन चार दिन बाद इन बस्तियों से पानी उतर जाता है तथा मकानों में रहने वाले वापस अपने मकानों में आ जाते हैं। इस प्रकार पाली में कुल जनसंख्या का 3 प्रतिशत ही प्रभावित होता है। पाली जिले में आज तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई कि अतिवृष्टि से लोगों की मृत्यु, दुर्घटना या लापता इत्यादि हुई। जब कभी पाली शहर तथा किसी तहसील की बस्ती में पानी भरा तो लोगों को स्कूल इत्यादि में रखा गया तथा पाली जिला कलेक्टर, समाजसेवा संस्थाओं द्वारा उनके भोजन आदि की व्यवस्था की गई।

पूर्व में वर्षा के कारण अभी तक जो दुर्घटना हुई उनमें मुख्य वाहनो का चलती नदी में पुलिया पार करने की कोशिश करने के कारण हुई हैं। इसके लिये व्यवस्था की गई है कि जिले की प्रत्येक नदी जो सड़क या पुलिया से गुजरती है उन पर गेज पट्टी लगाकर एच.एफ. लेवल का चिन्ह सा.नि.विभाग द्वारा अंकित किया गया है तथा अत्यधिक वर्षा होने पर नदियों के गुजरने वाले स्थानों को सूचित कर दिया जाता है, जिससे सम्बन्धित तहसील के तहसीलदार, उपखण्ड अधिकारी द्वारा पुलिस बल को पुलिया पर नियुक्त कर दिया जाता है, ताकि वाहन को पुल पार करने से रोका जा सके। जिला स्तर एवं तहसीलों में बाढ़ प्रकोष्ठ की स्थापना होती है तथा सभी स्थानों पर वायरलेस द्वारा सूचना दी जाती है। जिला मुख्यालय में वर्षा के दौरान नावो, नाविको तथा तैराको को तैयार रखा जाता है इसकी सूची जिला पुलिस अधीक्षक तथा जिला बाढ़ प्रकोष्ठ के पास उपलब्ध रहती है। जोधपुर से सेना बल से भी सम्पर्क रखा जाता है ताकि जरूरत पड़ने पर सेना बल या हेलीकाप्टर की सेवा बाढ़ की स्थिति में ली जा सकें।

पाली जिले में अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन खण्ड के पास उनके सरकारी वाहनो पर भी मोबाईल वायरलेस सैट विस्थापित किये हुए हैं। जिसका सम्बन्ध जल संसाधन विभाग में लगे वायरलेस सैट से होने के कारण भी सूचना तत्काल प्राप्त हो जाती है। उपखण्ड स्तर पर भी सहायक अभियंता, जल संसाधन द्वारा टेलीफोन के माध्यम से वर्षा तथा बाढ़ से सम्बन्धित ऑकड़े मुख्य बाढ़ प्रकोष्ठ जल संसाधन पाली को समय-समय पर भिजवाये जाते रहते हैं।

उनको प्रेषित सूचना के आधार पर जिला कलेक्टर महोदय, अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन वृत्त, पाली/जल संसाधन सम्भाग, जोधपुर/जयपुर मुख्यालय बाढ़ प्रकोष्ठ को वर्षा तथा बाढ़ सम्बन्धित सूचना भिजवा दी जाती है।

पाली जिले के सभी जल संसाधन विभाग के अधिकारी तथा जिला कलेक्टर स्तर के अधिकारी वर्षा के समय पूर्ण सतर्क रहे हैं। जिले स्तर पर जिला कलेक्टर महोदय द्वारा एक मीटिंग बाढ़ सुरक्षा हेतु रखी जाती है जिसमें जिले के सभी अधिकारियों को बाढ़ एवं वर्षा हेतु अलग कार्य आवंटित किया जाता है।

जवाई बांध से गेट खोल पानी निकासी पर संक्षिप्त नोट

जवाई बांध का निर्माण कार्य वर्ष 1957 में पूर्ण किया गया। उस समय जवाई बांध का गेज 60.00 फुट एवं कुल भराव क्षमता 7000 Mcft रखी गई। वर्ष 1973 में अतिवृष्टि के बाद बांध का गेज बढ़ाकर 61.25 फुट किया गया जिस पर इसकी कुल भराव क्षमता 7327.50 Mcft हो गई।

निर्माण के बाद अब तक बांध मात्र 9 बार पूर्ण रूप से भरा है। विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	वर्ष	कुल वर्षा (मि. मि.)	ओवरफ्लो अवधि	बांध गेज जिस पर गेट खोले गये	पानी की मात्रा जो ओवरफ्लो से प्रवाहित हुई
1	1973	1924.05	31.8.1973 से 12.9.1973	59.80 फुट	23420 मि.घ.फुट
2	1990	1226.40	12.8.1990 से 1.10.1990	60.05 फुट	4632.59 —"—
3	1992	975.60	11.9.1992 से 27.10.1992	61 फुट	1721.09 —"—
4	1993	709.00	17.7.1993 से 10.8.1993	59.50 फुट	1702 —"—
5	1994	766.60	22.9.1994 से 10.10.1994	61.25 फुट	1117 —"—
6	2006	1068.50	19.8.2006 से 2.10.2006	59 फुट	6275 —"—
7	2016	1020.00	27.8.2016 से 22.10.2016	59.20 फुट	4423 —"—
8	2017	905.00	27.7.17 से 11.10.2017	59.75 फुट	7118.66 —"—
9	2023	981.00	10.09.2023 से 19.10.2023	61.20 फुट	2116.50 —"—

जिला पाली में बहने वाली मुख्य नदिया, उन पर बने बांध तथा बाढ तथा बाढ से प्रभावित होने वाले सम्भावित गांवो का तहसीलवार विवरण						
क्र. सं.	तहसील का नाम	मुख्य नदियों के नाम जो तहसील में बहती हैं।	नदी का उद्गम स्थल	नदी पर बने बांधो के नाम	जिले मे नदी की लम्बाई (कि. मी.)	बाढ से प्रभावित गांवो के नाम
1	सोजत	सुकडी नदी — 1	अरावली पर्वत से	गजनेई, रोडावास एवं सरदार समंद	69 कि.मी.	कंटालिया
2	सोजत	लीलडी नदी	अरावली पर्वत से नीचे केलवाद गांव के पास से	खोखरा बांध	25 कि.मी.	खोखरा
3	सोजत	गुडिया नदी	अरावली पर्वत से	—	32 कि.मी.	—
4	मारवाड जंक्शन	आऊवा नदी	अरावली पर्वत से	—	26 कि.मी.	आऊवा
5	मारवाड जंक्शन	जोजावर नदी	अरावली पर्वत से	रेणिया बांध	48 कि.मी.	देवली
6	मारवाड जंक्शन	बाण्डी नदी	अरावली पर्वत से	जोगडावास 1,2	60 कि.मी.	जोगडावास
7	मारवाड जंक्शन	फुलाद नदी	अरावली पर्वत से	फुलाद बांध	24 कि.मी.	—
8	देसूरी	सुकडी नदी — 2	अरावली पर्वत से	सादडी	43 कि.मी.	सादडी, चाचौडी तथा रानी स्टेशन
9	पाली / रोहट	गुहिया नदी	सरदार समंद बांध से	सरदार समंद बांध	52 कि.मी.	—
10	पाली / रोहट	सुकडी नदी	अरावली पर्वत से	बांकली बांध	45 कि.मी.	बालराई, एन्दला, चाणोद, कुलथाना, भिण्डर
11	पाली / रोहट	बाण्डी नदी	अरावली पर्वत से	बाणियावास, बोमादडा पिक-अप वियर, एवं बाण्डी नेहडा बांध	43 कि.मी.	बाणियावास, बोमादडा, आकेली, पाली शहर, रावलवास, गढवाडा नेहडा, दिवान्दी, खुटाणी, फ़ैकारिया तथा साजी

12	बाली	मिठडी (बाली) नदी	अरावली पर्वत से	मिठडी बांध, सेवाडी बांध	63 कि.मी.	बसन्त, पावा
13	सुमेरपुर	जवाई नदी	अरावली पर्वत से	जवाई बांध	90 कि.मी.	गलथनी, रामनगर, सोनपुरा, अणगौर, सुमेरपुर, पुराडा, कानपुरा, कोरटा, फतापुरा, नोवी, बामनेरा

वर्ष 2023 में दिनांक 10.09.2023 से 19.10.2023 तक (कुल दिवस 40) बांध से कुल 2116.50 Mcft पानी की निकासी गेट खोलकर की गई। जिसमें जवाई नदी किनारों के गांवों में भूजल स्तर में भी बढ़ोतरी हुई। दिनांक 18.06.2023 एवं 19.06.2023 को चक्रवात बिफरजॉय से हुई अतिवृष्टि के कारण उक्त दो दिवस में रिकॉर्ड 459 मि.मी. बारिश दर्ज की गयी।

जवाई बांध के गेट्स से जवाई नदी में पानी छोड़े जाने पर प्रभावित होने वाले गावों की सूची						
जिला-पाली						
क्र.सं.	ग्राम	तहसील		क्र.सं.	ग्राम	तहसील
1	गलथनी	सुमेरपुर		7	कानपुरा	सुमेरपुर
2	रामनगर	—''—		8	कोरटा	—''—
3	सोनपुरा	—''—		9	फतापुरा	—''—
4	अणगौर	—''—		10	नोवी	—''—
5	सुमेरपुर	—''—		11	बामनेरा	—''—
6	पुराडा	—''—				

बाढ़ से प्रभावित होने वाले संभावित गाँवों की सूची जल संसाधन जिला— पाली

क्र. सं.	तहसील का नाम	मुख्य नदियों के नाम जो तहसील क्षेत्र में बहती हैं	प्रभावित गाँवों के नाम
1	सोजत	सुकडी, लीलडी, गुडिया	कंटालिया, खोखरा, राजसागर
2	मारवाड जंक्शन	आऊवा, बाण्डी, जोजावर, फुलाद	जोगडावास, आऊवा, देवली, कंटालिया
3	देसूरी	सुकडी II	सादडी, बालराई, चांचौडी, रानीस्टेशन
4	पाली / रोहट	गुहिया, सुकडी II, बाण्डी	रानी, चांचौडी, बालराई, एंदला, चाणोद, भीण्डर, कुलथाना, बाणियावास, बोमादड़ा, मादडा, आकेली, रावलवास, पाली, रोहट, दीवान्दी, नेहडा, फैकारिया, साजी, गढवाडा, खुटाणी, पाती
5	बाली	मिठडी, बाली, सुकडी II	बसन्त, पावा
6	सुमेरपुर	जवाई नदी	गलथनी, रामनगर, सोनपुरा, अणगौर, सुमेरपुर, पुराडा, कानपुरा, कोरटा, फतापुरा, नोवी, बामनेरा

परिशिष्ट 5

मीडिया प्रबंधन योजना

सूचना प्रसार— टीम लीडर— पीआरओ —

आपात स्थिति की सही समय पर और सुसंगत जानकारी प्रदान करने के लिये सरकार और समाचार मीडिया के सभी स्तरों की एक जिम्मेदारी है। संभावना है कि मीडिया बिजली विफलताओं के कारण उचित परिचालन नहीं कर सके, फिर भी मीडिया बाद में स्थानीय प्रसार के लिये जानकारी इकट्ठा करने के लिये उपस्थित होगा। मीडिया आपदा की स्थिति के बारे में जनता को सूचित करने के लिये प्रमुख संसाधन है और कुछ रेडियो प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक भूमिका के लिये उन्मुख किया गया है। राहत, पुनर्वास और बहाली गतिविधियों के लिये आवश्यक है कि मीडिया और प्राथमिकता के उच्च स्तर के उपयोग के लिये रेडियो प्रसारण क्षमता को बहाल करने के लिये सेट किया जाना चाहिए। आपातकालीन घोषणाओं को पहुंचाने और राज्य सरकार की घोषणाओं की पूर्व से प्रसारण की व्यवस्था, जीवित रहने का संकल्प और जिला प्राधिकारी को सहायता के प्रावधान शामिल हैं। एक बड़ी आपदा में एक सार्वजनिक सूचना केन्द्र जिला समन्वय समिति (जन सूचना केंद्र) का एक अभिन्न अंग के रूप में स्थापित किया जाएगा।

— मीडिया सार्वजनिक जानकारी क्षमताओं को होने वाले नुकसान के निर्धारण में सहायता करता है।

— जिला इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर से परिचालन मीडिया के लिये सार्वजनिक सूचना घोषणाएं अद्यतन गुजरती है। आपदा प्रबंधन के सभी चरणों में सूचना और जानकारी के प्रचार में मीडिया एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया दोनों की बहुमुखी क्षमता को पूरी तरह से उपयोग किया जाएगा। मीडिया के साथ प्रभावकारी सहभागिता को सामुदायिक जागरूकता, शीघ्र चेतावनी तथा विभिन्न आपदाओं के संबंध में प्रचार व शिक्षण के क्षेत्र में कार्यान्वित किया जाएगा।

जिले के प्रमुख समसचार पत्र—

1 राजस्थान पत्रिका	2 दैनिक भास्कर	3 दैनिक नवज्योति	4 जागरूक टाइम्स	5 मरुनाद
6 मरुलहर	7 जनगण	8 राष्ट्रदूत	9 हुक्मनामा	10 जलते दीप

आपातकालीन कंट्रोल रूम नंबर 02932 220660

अधिकारी/कार्मिक का नाम

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	मोबाइल नंबर
1	श्री सौरभ सिंघाड़िया	सहायक निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय, पाली	9460071569
2	श्री नरपत सिंह	सहायक प्रशासनिक अधिकारी, सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय, पाली	9672367821

परिशिष्ट 6

चिकित्सा और अस्पताल प्रबंधन योजना

जिला स्तरीय अधिकारी के सम्पर्क सूत्र

क.स	जिला अधिकारी का नाम	पद	मोबाइल नम्बर
1	डा. विकास मारवाल	सीएमएचओ	9784859777
2	डा. पी.सी दीपन	एडिशनल सीएमएचओ (प.क)	9636343744
3	डा. वेदान्त गर्ग	डिप्टी सीएमएचओ (स्वास्थ्य)	8209378184
4	डा. उजमा जबिन	आरसीएचओ	8209250087
5	डा. विजेन्द्र पाल सिंह चुण्डावत	जिला परियोजना समन्वयक	9462065556

ब्लॉक स्तरीय अधिकारी के सम्पर्क सूत्र :

कस	ब्लॉक का नाम	ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी का नाम	मोबाइल नम्बर
1	बाली	डा. हितेन्द्र वागौरिया	9414591602
2	देसुरी	डा. अविनाश चारण	9928597137
3	खारची	डा. अरविन्द चौधरी	9413893772
4	पाली	डा. सुर्यवीर सिंह	9783112222
5	रानी	डा. ओजस रावल	6377473328
6	रोहट	डा. तेजपाल चारण	9660562104
7	सोजत	डा. सोहन लाल चौधरी	9413958588
8	सुमेरपुर	डा. गोविन्द सिंह चुण्डावत	9582616144

जिला नियंत्रण कक्ष : मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में 24x7 नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। कन्ट्रोल रूम प्रभारी श्री खान मोहम्मद प्रशासनिक अधिकारी मोबाइल न 9636615071 तथा नियंत्रण कक्ष का दुरभाष नम्बर 0293225755 है। जिसमें जिले में कार्यरत समस्त चिकित्सक नर्सिंग कर्मचारी एवं पैरामेडिकल स्टाफ के मोबाइल नम्बर सहित सूचना रखी गई है। जिससे आपतकालिन स्थिति में उनसे सम्पर्क किया जा सके।

राजकीय चिकित्सा संस्थान : जिले संचालित 1 मेडिकल कॉलेज 2 जिला चिकित्सालय 24 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो ,70 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो एवं 358 उपकेन्द्रो को आपतकालीन परिस्थिति में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवायी जा सकती है। ब्लॉक मुख्यालय वाले चिकित्सा संस्थान एवं प्रभारी के सम्पर्क सूत्र।

क.स	चिकित्सा संस्थान का नाम	प्रभारी का नाम	मोबाइल न.
1	जिला चिकित्सालय पाली	डा. एच.एम चौधरी	9001921421
2	जिला चिकित्सालय बाली	डा. भरत टेलर	9983149703
3	जिला चिकित्सालय सोजत	डा. राजेश गुप्ता	9414464388
4	उप जिला चिकित्सालय सुमेरपुर	डा. महिपाल सिंह	9660060501

6	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खारची	डा. बी.डी नाहर	7742598899
7	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रानी	डा. एम.एल मेहता	9414526826
8	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र देसुरी	डा. समर्थ लाल	8003238999
9	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रोहट	डा. तेजपाल चारण	9660562104

निजी चिकित्सा संस्थान :- जिले में संचालित निजी चिकित्सालयों के प्रभारी एवं उनका सम्पर्क सूत्र की सूची भी है। जिनका सहयोग आपतकालीन परिस्थिति में किया जा सकता है।

एम्बुलेंस की व्यवस्था:- जिले में आपतकालीन परिस्थिति में रेफरल सुविधा के लिए निम्न प्रकार की एम्बुलेंस की उपलब्धता है।

क्र.स	एम्बुलेंस का प्रकार	एम्बुलेंस की संख्या
1	108 एएलएस	04
2	108 बीएलएस	22
3	104 एम्बुलेंस	13
4	बैस एम्बुलेंस	09
5	बाइक एम्बुलेंस	01
6	निजी एम्बुलेंस	105

जिले में संचालित राजकीय एवं निजी ब्लड बैंक का विवरण

S.N	Name of Blood Bank	Category	Capacity in Unit	Contact Number
1	Medical College Pali	Govt.	1000	9460326270
2	DH Sojat	Govt.	600	9414405132
3	Dr. Deval Patel Hospital	Pvt.	450	9687670685
4	Bhagwan Mahaveer Sumerpur	Pvt.	450	9414612597
5	Vardhan Sumerpur	Pvt.	700	9636606263
6	Tulsi Blood bank, Pali	Pvt.	800	9414624594

CHIEF MEDICAL AND HEALTH OFFICER PALI

District Pali		Name of CMHO Dr. Vikas Marwal 9784859777			Mobile Number		
S.No.	Name of District	Block			Name of Insititute (DH/SDH/CHC/PHC/ UPHC)	Name of Nodal Officer (DH/SDH/CHC/PHC/ UPHC)	Contact Details
		Name of Block	Name District / Block Nodal Office/Inch arge	Contact Number			
1	PALI	Bali	Dr.Hitendra Vagoria	9414591 602	BCMO	Dr.Hitendra Vagoria	94145916 02
2	PALI	Bali			DH Bali	Dr. Bharat Tailor (Gyne.)	99831497 03
3	PALI	Bali			CHC Bera	Dr. Sumer Singh	98876736 06
4	PALI	Bali			PHC Bejapur	Dr. Bheema Ram Choudhary	91520672 02
5	PALI	Bali			PHC Bhimana	Kailash Raj (SNO)	9784724 253
6					PHC Bhandar	Kuldeep Singh (NO)	7742534 866
7	PALI	Bali			PHC Bisalpura	Dr.Mohit Bordia	76109099 98
8	PALI	Bali			PHC Chamunderi	Dr.Rahul Sain	81188608 47
9	PALI	Bali			PHC Falna	Dr.Sanjay Bedi	94148824 90
10	PALI	Bali			PHC Kakradi	Dr. Ajay Pal Singh	97847068 35
11	PALI	Bali			PHC Lunawa	Dr. Kamlesh Sharma	99825918 41
12	PALI	Bali			PHC Mundara	Dr. Heena Goswami	96801484 66
13	PALI	Bali			PHC Nanna	Dr. Rajesh Kumar	97724717 51
14	PALI	Bali			PHC Sewari	Dr. Kamal Kumar Sharma	99828999 82
15	PALI	Bali			PHC Shivtalab	Dr.Anil Kumar Meena	78918826 57
16	PALI	Desuri	DR RAJESH RATHOUR E	9414523 201	BCMO	DR RAJESH RATHOURE	94145232 01
17	PALI	Desuri			CHC Desuri	DR RAJESH RATHOURE	94145232 01
18	PALI	Desuri			CHC Ghanerao	DR UMMED SINGH	96363351 92
19	PALI	Desuri			CHC Nadol	DR Gopal Singh Charan	97854324 56
20	PALI	Desuri			CHC Sadri	DR. Rajendra	94135330

					Punaliya	23
21	PALI	Desuri			PHC Bagole	DR. Amit Kumar 9057336478
22	PALI	Desuri			PHC Dadaie	DR. Priyank Solanki 9461564501
23	PALI	Desuri			PHC Narlaie	DR. Karan Parangi 7483927570
24	PALI	Desuri			PHC Panota	Gajendra Singh (NO) 9929630123
25	PALI	Desuri			PHC Kot Solankiyan	DR. Ravi Atal 8387091691
26	PALI	Kharchi	DR. Arvind Choudhary	9413893772	BCMO	DR. Arvind Choudhary 9413893772
27	PALI	Kharchi			CHC Jojawar	DR. VIKRAM SINGH 9119125810
28	PALI	Kharchi			CHC Kharchi	DR. Baludas Nahar 7742598899
29	PALI	Kharchi			CHC Siriyari	Dr. Dharmendra 7727989039
30	PALI	Kharchi			PHC Auwa	Khiwaram Choudhary (SNO) 8890061170
31	PALI	Kharchi			PHC Banta	DR RAHUL VAYAS 8696894690
32	PALI	Kharchi			PHC Chirpatiya	DR SUNIL SEERVI 8905141415
33	PALI	Kharchi			PHC Dhamli	Dr. Ganpat Choudhary 9354607342
34	PALI	Kharchi			PHC Dhanla	DR. KAILASH NATH 8769300928
35	PALI	Kharchi			PHC Guda Ram Singh	Suman (NO) 9079600189
36	PALI	Kharchi			PHC Jadan	DR. JASWANT SINGH 7976530990
37	PALI	Kharchi			PHC Januda	Dimple Vaisnav (NO) 9024254136
38	PALI	Kharchi			PHC Kantaleeyan	DR. NAFISH ALI 9829795495
39	PALI	Kharchi			PHC Musaliya	DR. BHUPENDRA SINGH 9928096111
40	PALI	Kharchi			PHC Panchetiya	Dr. Lalit 8741907142
41	PALI	Kharchi			PHC Phulad	Heera Lal (NO) 7742873047
42	PALI	Kharchi			PHC Ranawas	Dr. Kapil Gehlot 8209780816
43	PALI	Kharchi			PHC Saran	Mohan Lal Choudhary (SNO) 9660886441
44	PALI	Pali	Dr. Suryaveer	9783112222	BCMO	Dr. Suryaveer Singh 9783112222

45	PALI	Pali	Singh		CHC Manihari	Dr Pradeep Vaisnav	9265548311
46	PALI	Pali			CHC Gundoj	Dr. Ravindra Kumar Sangiwan	9001525018
47	PALI	Pali			PHC Denda	Dr. Jitendra Jaitawat	9813872504
48	PALI	Pali			PHC Guda Endla	Dr. Bhupendra Bhamu	8385004009
49	PALI	Pali			PHC Javriya	Dr. Anita	9549613516
50	PALI	Pali			PHC Khairwa	Dr. Harish Chandra	7976273611
51	PALI	Pali			PHC Lambiya	Dr. Radheshyam	7792894496
52	PALI	Pali			PHC Roopawas	Dr. Harsh Vardhan Joshi	7869596967
53	PALI	Rani	Dr Ojas Kumar	6377473328	BCMO	Dr Ojas Kumar	6377473328
54	PALI	Rani			CHC Khod	Dr Nahar Singh Gujar	8769130255
55	PALI	Rani			CHC Rani	Dr M.L Mehata	9829677726
56	PALI	Rani			CHC Boosi	Dr Ramesh Chandra	9982765689
57	PALI	Rani			CHC Khinwara	Dr Bhupendra Singh	7073514564
58	PALI	Rani			PHC Chanchodi	Dr Yash pal Makwana	9785753765
59	PALI	Rani			PHC Jawali	Dr Harish Saini	8824549698
60	PALI	Rani			PHC Jivand Kala	Dr Devendra Meena	811447576
61	PALI	Rohat	Dr Tejpal Charan	9660562104	BCMO	Dr Tejpal Charan	9660562104
62	PALI	Rohat			CHC Rohat	Dr Tejpal Charan	9660562104
63	PALI	Rohat			PHC Chenda	Dr Jagdish Patel	7073328276
64	PALI	Rohat			PHC Jaitpur	Dr Hardik	8058248055
65	PALI	Rohat			PHC Jhitra	Kanta Chouchan (NO)	9587010665
66	PALI	Rohat			PHC Kharda	Vikram Visnoi (NO)	9929027730
67	PALI	Rohat			PHC Mandawas	Chetan Das (NO)	8619074566
68	PALI	Rohat			PHC Vayad	Dr Manish Vishnoi	9636563657
69	PALI	Sojat	Dr. Sohan Lal Seervi	9413958588	BCMO	Dr. Sohan Lal Seervi	9413958588
70	PALI	Sojat			DH Sojat	Dr. Rajesh Gupta	9414464388

71	PALI	Sojat			CHC Bagri Nagar	Dr. Om Prakash Rathore	9461117425
72	PALI	Sojat			CHC Chadwas	Dr Ashish Kumar sharma	9680929438
73	PALI	Sojat			CHC Chandaval	Dr Mahaveer Singh	9001716009
74	PALI	Sojat			CHC Sojatroad	Dr Manohar	8769355502
75	PALI	Sojat			PHC Atbara	Dr Praveen Dewasi	8502966728
76	PALI	Sojat			PHC Bilawas	Dr Neetu Gehalot	9772059197
77	PALI	Sojat			PHC Dhurasani	Dr Gopal Chand	7568514845
78	PALI	Sojat			PHC Dhakree	Dr Manoj Menson	9899677089
79	PALI	Sojat			PHC Gaguda	Gangaram ji (SNO)	8209888721
80	PALI	Sojat			PHC Guda Kalan	Bhagirath (SNO)	8094705988
81	PALI	Sojat			PHC Hariyamali	Dr Pankaj kumawat	7611873118
82	PALI	Sojat			PHC Khodiya	Dr SAGAR KUMAR	8384974546
83	PALI	Sojat			PHC Rajola Kalan	Ratan Dewasi (NO)	7742523709
84	PALI	Sojat			PHC Roopawas	DR.NITESH KUMAR	8529073824
85	PALI	Sojat			PHC Sardarsamand	Dr Rajesh Suthar	7062633063
86	PALI	Sojat			PHC Siyat	DR. SANTOSH CHOUDHARY	9269003521
87	PALI	Sojat			PHC Shivpura	Dr.Ramesh Chand	9782794227
88	PALI	Sojat			PHC Surayata	Seema Singariya (ANM)	9636792283
89	PALI	Sumer pur	DR. GOVIND SINGH CHUNDA WAT	9582616144	BCMO	DR. GOVIND SINGH CHUNDAWAT	9582616144
90	PALI	Sumer pur			CHC Sumerpur	DR. MAHIPAL PARMAR	9660060501
91	PALI	Sumer pur			CHC Chanod	Dr. Rakesh Mahela	7742942514
92	PALI	Sumer pur			CHC Koselave	DR. BANWARI LAL CHOPRA	7568553787
93	PALI	Sumer pur			CHC Sanderao	DR. MOHAN LAL CHOUDHARY	7062667647
94	PALI	Sumer pur			CHC Takhatgarh	Dr. Suresh Choudhary	9166629337
95	PALI	Sumer pur			CHC Dhola	DR. JITENDRA KUMAR	8005500352

96	PALI	Sumer pur			PHC Bamnera	DR. HIRALAL KUMAWAT	9920595016
97	PALI	Sumer pur			PHC Banklee	Dr. Manoj	9738618769
98	PALI	Sumer pur			PHC Basant	DR. NARENDRA SINGH	7742823980
99	PALI	Sumer pur			PHC Bharunda	DR. PANKAJ JOSHI	8619040347
100	PALI	Sumer pur			PHC Dhana	Parveen Kumar (SNO)	9928616128
101	PALI	Sumer pur			PHC Dujana	DR. PARAMVEER SINGH	9636926576
102	PALI	Sumer pur			PHC Novi	DR. DHANRAJ CHECHI	7073156363
103	PALI	Sumer pur			PHC Pava	Damodar Parsad (SNO)	9829816134
104	PALI	Sumer pur			PHC Salodariya	DR. PRATISHMA VERMA	9694693811
105	PALI	Sumer pur			PHC Sindru	DR. CHITRA RATHORE	9166170531
106	PALI	Urban Units	Dr. Vikas Arora	9461153112	UPHC Housing Board Col	Dr. Vikas Arora	9461153112
107	PALI	Urban Units	Dr. Jitendra Choudhary	7517799012	UPHC Mandia Road	Dr. Jitendra Choudhary	7517799012
108	PALI	Urban Units	Dr. Javed	9461480824	UPHC Nadi Mohalla	Dr. Javed	9461480824
109	PALI	Urban Units	Taruna (GNM)	-	UPHC Pratap Nagar	Taruna (GNM)	9571044777
110	PALI	Urban Units	Dr. Rakesh Hatela	7229904675	UPHC Tagore Nagar	Dr. Rakesh Hatela	7229904675

District Pali Private Hospital Information			
Human Resource			
S.N.	Hospital Name	Manager/ Representative Name	Contact No.
1	JAN HOSPITAL PALI	MR. DEVI LAL SANKHLA	9414614198
2	dr roshan lal jain	dr roshna lal jain	9351186164
3	CITY HOSPITAL & RESEARCH CENTER	DR RAHUL MEHTA	94617-35070
4	OM HOSPITAL	DR. MAHIPAL SHARMA	9414244844
5	Shradha Hospital, and multispeciality	Lumbaram	7568020444

6	matra chaya hospital, Nana	bharatpal benda	9799868370
7	SHREE VIJAY VALLABH GRENAL HOSPITAL	DR Ravindra	8290051007
8	R C MEMOERIAL HOSPITAL FALNA	DR.BHAIRON SINGH GURJAR	9314507022
9	DR LALIT KUMAR CHOUHAN	DR LALIT KUMAR CHOUHAN	7665256596
10	Shri balaji hospital kh	dr.rajveer choudhary	6376097255
11	B. LAL HOSPITAL AND TRAUMA CENTRE, Sojat City	DR. G.S. RAJPUROHIT	9414132845
12	B. LAL HOSPITAL AND JANSEVA SANTHAN, Jojawar	DR. G.S. RAJPUROHIT	9414132845
13	SHRI SIDDHI VINAYAK HOSPITAL	N.K.DADLANI	9799946506
14	Kedar hospital	Dr Jagdish Choudhary 9426650422	9426650422
15	Bhagwan Mahavir Hospital	1. Uttam M. Jain 2. Dr. Naresh Singhi	9799507534
16	LIONS EYE HOSPITAL TRUST	LIONS CLUB-RANI	9413814030
17	Kavedia hospital	Dr manish	9929148684
18	Tapasya Womens Hospital	Dr. Rashmi bala	8504008181
19	Raj orthopedic hospital	dr hirdesh saini	9205327850
20	Jeevan Dhara Hospital	Dr. V.S. Rathore	9166305319
21	CHAUDHARY HOSPITAL NADOL	DR.JITENDRA CHAUDHARY	9929447854
22	PALI SEWA MANDAL	PRAMOD KUMAR JAITHALIYA	9414121766
23	SANJEEVANI HOSPITAL	DR. HIMMAT SINGH RATHORE	8875690638
24	BONE AND JOINT SPINE HOSPITAL PALI	Dr kamlesh malviya	9460061839
25	Jain Hospital	Dr. Gyan Chand Jain	9414362950
26	SHRINATH HOSPITAL	BHARAT	7830009696
27	j.k nursing home &j.k hospital	dr uma ujawal	9414464079

28	satyam ent hospital	Dr manish joshi	9772975124
29	JOSHI HOSPITAL RESEARCH CENTER	dr surendra joshi	9269011139
30	Lakhotia Nursing Home	Dr. Rajkumar Lakhotia	9829341464
31	SHANKUS CANCER HOSPITAL	DR JITESH SHARMA	8050395501
32	Lodha Hospital	Dr.Niraj Lodha	9828121585
33	GEMAWAT HEALTH CARE CLINIC	DR SUNIL GEMAWAT	9414286557
34	Sapatgirishwar Heart and medical hospital	Dr P.C. Solanki	9461480700
35	DR DEVAL PATEL HOSPITAL	DR DEVAL PATEL	9687670685
36	DR PRATIBHA GARG NURSING HOME	DR PRATIBHA GARG	9414613020

List of Ambulance in Government Health Facility							
S.N	Registration Number	District	Block	Base Location	Types of the Ambulance	Latitude	Longitude
1	RJ 4PE 7690	Pali	Sojat	108- ALS	DH Sojat	25.922	73.664
2	RJ14 PE 7683	Pali	Sumerpur	108- ALS	SDH Sumerpur	25.092	73.044
3	RJ14 PD 7125	Pali	Pali Urban	108- ALS	Housing Board Police Choki Pali	25.475	73.181
4	RJ14PG 4013	Pali	Desuri	108- ALS	CHC Sadri	25.133	73.453
5	RJ14PE7599	Pali	Bali	108- BLS	CHC Bera	24.998	73.177
6	RJ14PF6463	Pali	Bali	108- BLS	DH Bali	25.180	73.280
7	RJ14PF5787	Pali	Bali	108- BLS	PHC Nana	24.921	73.138
8	RJ14PG 4017	Pali	Bali	108- BLS	PHC Bisalpur	25.114	73.173
9	RJ14PE8207	Pali	Desuri	108- BLS	CHC Desuri	25.275	73.567
10	RJ14PD0607	Pali	Desuri	108- BLS	CHC Nadol	25.331	73.458
11	RJ14PF5793	Pali	Kharchi	108- BLS	CHC Kharchi	25.805	73.333
12	RJ14PD0608	Pali	Kharchi	108- BLS	CHC Siryari	25.677	73.810
13	RJ14PF6464	Pali	Kharchi	108- BLS	PHC Pachetia	25.540	73.532
14	RJ14PD7075	Pali	Kharchi	108- BLS	CHC Jojawar	25.529	73.740
15	RJ14PF 7111	Pali	Pali	108- BLS	Sadar Thana Pali	25.444	73.201
16	RJ14PC7534	Pali	Rani	108- BLS	CHC Khiwara	25.486	73.597
17	RJ14PE8206	Pali	Rani	108- BLS	CHC Rani	25.350	73.314
18	RJ14PE8205	Pali	Rohat	108- BLS	Police St. Rohat	25.954	73.133

19	RJ14PE8208	Pali	Rohat	108- BLS	PHC Chenda	25.790	72.940
20	UP81DT3623	Pali	Rohat	108- BLS	PHC Jaitpur	25.801	73.076
21	RJ14PF7019	Pali	Sojat	108- BLS	CHC Chandawal	25.982	73.792
22	RJ14PD0037	Pali	Sojat	108- BLS	CHC Sojat Road	25.923	73.666
23	RJ14PD0396	Pali	Sojat	108- BLS	CHC Bagri Nagar	25.925	73.674
24	RJ14PF7020	Pali	Sumerpur	108- BLS	CHC Dhola	25.403	73.273
25	RJ14PC7543	Pali	Sumerpur	108- BLS	CHC Sanderao	25.159	73.091
26	RJ 14 PE 7613	Pali	Sumerpur	108- BLS	CHC Takhatgarh	25.316	73.003
27	RJ06PA7758	Pali	Bali	104 JE	CHC Bera	24.998	73.177
28	RJ14PE6561	Pali	Bali	104 JE	DH Bali	25.180	73.280
29	RJ14PE6563	Pali	Desuri	104 JE	CHC Sadri	25.133	73.453
30	RJ14PE9904	Pali	Kharchi	104 JE	PHC Dhanla	25.532	73.664
31	RJ14PE6574	Pali	Kharchi	104 JE	CHC Kharchi	25.805	73.333
32	RJ14PF6795	Pali	Pali	104 JE	PHC Kherwa	25.729	73.424
33	RJ14PF7405	Pali	Rani	104 JE	CHC Rani	25.350	73.314
34	RJ14PF6688	Pali	Rani	104 JE	CHC Khinwara	25.486	73.597
35	RJ14PE7261	Pali	Rohat	104 JE	CHC Rohat	25.573	73.832
36	RJ14PE7226	Pali	Sojat	104 JE	CHC Bagri Nagar	25.925	73.674
37	RJ44PA0730	Pali	Sumerpur	104 JE	CHC Koselav	25.374	73.126

38	RJ14PF6778	Pali	Sumerpur	104 JE	SDH Sumerpur	25.092	73.044
39	RJ14PF5323	Pali	Sumerpur	104 JE	CHC Chanod	25.529	73.129
40	RJ22 PA-0943	Pali	Bali	Base Ambulance	DH Bali	25.180	73.280
41	RJ22 PA-2941	Pali	SOJAT	Base Ambulance	DH SOJAT	25.922	73.664
42	RJ22 PA-5728	Pali	Bali	Base Ambulance	CHC Bera	24.998	73.177
43	RJ22 PA-5730	Pali	Desuri	Base Ambulance	CHC Sadri	25.133	73.453
44	RJ22 PA-5729	Pali	Desuri	Base Ambulance	CHC Desuri	25.275	73.567
45	RJ22 PA-1105	Pali	Desuri	Base Ambulance	CHC Desuri	25.275	73.567
46	RJ22 PA-2943	Pali	Kharchi	Base Ambulance	CHC Kharchi	25.805	73.333
47	RJ22 PA-2974	Pali	Sojat	Base Ambulance	CHC Bagri Nagar	25.925	73.674
48	RJ22 PA-4687	Pali	Sumerpur	Base Ambulance	CHC Takhatgarh	25.316	73.003

परिशिष्ट 7

आपदा की रोकथाम के लिए परियोजना

क्या करना है	अधिकारी व सदस्य	कार्य कैसे किया जावे
आंकलन एवं विश्लेषण	जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, आयुक्त नगर परिषद्, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सहायता / प्रशासन, नगर नियोजक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य पशुपालन अधिकारी, सा.नि.वि, जल संसाधन, पी.एच.डी, विद्युत, अग्निशमन, सिविल डिफेन्स, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, एनजीओं, वार्ड/पंचायत प्रतिनिधी	पूर्व की घटित विभिन्न आपदाओं का आंकलन, विश्लेषण एवं चर्चा। नुकसान एवं सेवेरिटी के प्रभाव का रिकॉर्ड। पूर्व चेतावनी का विश्लेषण एवं प्रकृति। आपदा के वक्त बचाव एवं राहत का आंकलन एवं समन्वय।
परिस्थिति का विश्लेषण	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य, डीडीएमसी सदस्य व विभिन्न विभागों के अध्यक्ष व कार्मिक, उपखण्ड स्तरीय आपदा प्रबंधन कमेटी के सदस्य, ग्राम पंचायत स्तरीय आपदा प्रबंधन कमेटी के सदस्य, एनजीओं व जनप्रतिनिधी	संभावित नुकसान, प्रभावित क्षेत्र का भौगोलिक एवं टॉपोग्राफी का नक्शा बनाना। डेमोग्राफी/मानव के रहन-सहन का विस्तृत विवरण तैयार करना। हेविटेशन पैटर्न का विस्तृत नक्शा तैयार करना। प्राकृतिक सम्पदा को नक्शे पर दर्शाना। सभी तरह के जिविकोपार्जन एवं सम्पत्ति की सूची तैयार करना। सुरक्षित संसाधन/संभावित नुकसान, सड़क, रेल, हवाई अड्डे की सूची तैयार कर नक्शे पर दर्शाना।
खतरे का विश्लेषण	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य, डीडीएमसी सदस्य व विभिन्न विभागों के अध्यक्ष व कार्मिक, उपखण्ड स्तरीय आपदा प्रबंधन कमेटी के सदस्य, ग्राम पंचायत स्तरीय आपदा प्रबंधन कमेटी के सदस्य, एनजीओं व जनप्रतिनिधी	पूर्व अनुभव के आधार एवं रिकॉर्ड के अनुसार आने वाले खतरों को चिन्हीकरण करना, अधिक संवेदनशील क्षेत्रों का चिन्हीकरण जहां मानव जीवन को खतरा, जिविकोपार्जन एवं सम्पत्ति के नुकसान की संभावना है।
संवेदनशीलता का विश्लेषण	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य, डीडीएमसी सदस्य व विभिन्न विभागों के अध्यक्ष व कार्मिक, उपखण्ड स्तरीय आपदा प्रबंधन कमेटी के सदस्य, ग्राम पंचायत स्तरीय आपदा प्रबंधन कमेटी के सदस्य, एनजीओं व जनप्रतिनिधी	संवेदनशील जगहों एवं कारकों की अलग-अलग सूचना तैयार कर नक्शा तैयार करना

परिशिष्ट 8

आपदा पश्चात क्षति, हानि आवश्यकताओं और क्षमता आकलन के लिए प्रारूप

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलेक्टर, (सहायता) पाली

प्रपत्र 7डी																									
फसल खरीफ सम्बत् 2075 सन् 2018-19 में फसल खराबे के सम्बन्ध में अन्तिम प्रतिवेदन जिला- पाली																									
क्र. सं.	तहसील का नाम	गांवों की संख्या		कुल जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार (लाखों में)			प्रभावित जनसंख्या शास्त्रिक			कृषि योग्य भूमि का कुल क्षेत्रफल (हेक्टर में)	बांझी गई फसल का क्षेत्रफल (हेक्टर में)	33 प्रतिशत या इससे अधिक खराब हुई फसल का क्षेत्रफल (हेक्टर में)	खराब का प्रतिशत	प्रभावित ग्रामों की संख्या				योग	फसल उत्पादन मेट्रिक टन	खराब हुई फसलों की कीमत (लाखों में)	खराबे वाले गांवों का भू-राजस्व की राशि रुपये में	स्थगन योग्य भू-राजस्व की राशि रुपये में	कुल पशु संख्या वर्ष 2012 के अनुसार लाखों में	प्रभावित पशु संख्या वास्तविक	33 प्रतिशत या इससे अधिक प्रभावित का मतकार की कुल संख्या
		तहसील के कुल गांवों की संख्या	तहसील के कुल प्रभावित गांवों की संख्या	शहर	ग्रामीण	योग	शहर	ग्रामीण	योग					33 प्रतिशत या इससे अधिक खराब हुई फसल का क्षेत्रफल (हेक्टर में)	33 प्रतिशत या इससे अधिक खराब हुई फसल का क्षेत्रफल (हेक्टर में)	33 प्रतिशत या इससे अधिक खराब हुई फसल का क्षेत्रफल (हेक्टर में)	33 प्रतिशत या इससे अधिक खराब हुई फसल का क्षेत्रफल (हेक्टर में)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1																									
2																									
3																									
4																									
5																									
6																									
7																									
8																									
9																									
10																									
योग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

जिला कलेक्टर (सहायता),
पाली

परिशिष्ट 9

जिले में उपलब्ध संसाधनों की सूची (सार्वजनिक एवं निजी)

वृहद, मध्यम, लघु सिंचाई परियोजना

जल संसाधन विभाग, पाली

क्र. सं.	बांध / परियोजना का नाम	जिला	तहसील	विधानसभा क्षेत्र	भराव क्षमता मि.घ. फुट	कृषि योग्य क्षेत्र सी.सी.ए. (हैक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6	7
(अ) वृहद सिंचाई परियोजना						
1	जवाई बांध	पाली	सुमेरपुर	सुमेरपुर	7327.50	38671
2	सरदार समंद	पाली	सोजत / रोहट	सोजत / पाली	3115.64	10325
				योग	10443.14	48996
(ब) मध्यम सिंचाई परियोजना						
1	हेमावास	पाली	पाली	पाली	2209.00	8704.00
2	खारड़ा	पाली	रोहट	पाली	664.00	2451.00
3	गिरोलिया	पाली	रोहट	पाली	175.00	2429.00
				योग	3048	13584
(स) लघु सिंचाई परियोजना						
1	बाणियावास	पाली	पाली	सुमेरपुर	300.00	1462.00
2	एन्दला	पाली	पाली	सुमेरपुर	225.00	688.00
3	बोमादडा पिकअप वियर	पाली	पाली	सुमेरपुर	45.00	0.00
4	लोर्डिया	पाली	पाली	पाली	43.59	138.00
5	बाण्डी नेहडा	पाली	रोहट	पाली	260.00	1452.00

6	वायद	पाली	रोहट	पाली	50.71	350.38
7	साली की ढाणी	पाली	पाली	सुमेरपुर	54.68	369.06
8	राज सागर चौपड़ा	पाली	सोजत	सोजत	288.04	1670.00
9	गजनेई	पाली	सोजत	सोजत	225.00	1349.00
10	मालपुरिया कानावास	पाली	सोजत	सोजत	195.40	877.00
11	बोरीनाड़ा	पाली	सोजत	सोजत	60.70	336.00
12	कंटालिया	पाली	मा.जं.	सोजत	188.45	759.00
13	सिरीयारी	पाली	मा.जं.	मा.जं.	158.20	763.00
14	फुलाद	पाली	मा.जं.	मा.जं.	131.45	810.00
15	जोगड़ावास-I	पाली	मा.जं.	मा.जं.	96.00	842.00
16	जोगड़ावास-II	पाली	मा.जं.	मा.जं.	22.80	
17	सारण	पाली	मा.जं.	मा.जं.	66.00	509.00
18	चिरपटिया	पाली	मा.जं.	सोजत	75.00	405.00
19	शिवनाथ सागर	पाली	बाली	बाली	45.00	418.00
20	लाटाडा	पाली	बाली	बाली	52.23	405.00
21	दांतीवाडा	पाली	बाली	बाली	98.00	794.00
22	कोट	पाली	बाली	बाली	101.11	408.00
23	फुटिया	पाली	बाली	बाली	93.00	566.00
24	मिठडी	पाली	बाली	बाली	307.82	1826.00
25	पिपला	पाली	बाली	बाली	12.88	79.00
26	सेवाडी	पाली	बाली	बाली	7.20	44.00
27	धणी	पाली	बाली	बाली	33.21	347.00

28	धारिया	पाली	रानी	मा.जं.	307.30	1724.00
29	केसुली	पाली	देसूरी	मा.जं.	88.63	597.00
30	घोडादड़ा	पाली	देसूरी	बाली	105.00	496.00
31	हरिओम सागर	पाली	देसूरी	बाली	47.27	317.00
32	सेली की नाल	पाली	देसूरी	बाली	92.04	414.00
33	काना	पाली	देसूरी	बाली	113.90	1031.00
34	मुथाना	पाली	देसूरी	बाली	125.50	630.00
35	राजपुरा	पाली	देसूरी	बाली	89.70	656.00
36	सादडी	पाली	देसूरी	बाली	205.00	1339.00
37	जूना मालारी	पाली	देसूरी	बाली	62.00	337.00
38	बलवना	पाली	सुमेरपुर	सुमेरपुर	20.74	जवाई बांध के सहायक बांध
39	सिंदरू	पाली	सुमेरपुर	सुमेरपुर	291	
40	जादरी डायवर्सन	पाली	सुमेरपुर	सुमेरपुर	30.03	
41	गलदेरा	पाली	सुमेरपुर	सुमेरपुर	34.52	
42	तखतगढ़	पाली	सुमेरपुर	सुमेरपुर	69.54	
43	दुजाना	पाली	सुमेरपुर	सुमेरपुर	24.80	
44	खिवांदी बांकली	पाली	सुमेरपुर	सुमेरपुर	267.91	1341.30
				योग	5211.35	26548.74
				महायोग	18702.49	89128.74

पंचायत राज विभाग से जल संसाधन विभाग को हस्तान्तरित बांधों की सूचना

(0 से 80 एवं 80 से 300 हैक्टर तक सिंचाई क्षमता के बांध)

क्र.सं.	जिले का नाम	पंचायत समिति का नाम	बांध का नाम	कुल भराव क्षमता (एमसीएफटी)	सिंचाई क्षमता (हैक्टर में)	बांध का निर्माण वर्ष	हस्तान्तरित दिनांक	जल संसाधन विभाग हस्तान्तरित दिनांक
1	पाली	पाली	मनिहारी	53.00	51.00	1961—62	25.07.2000	14.05.2025
2	पाली	पाली	गुन्दोज	18.00	80.00	1955—56	10.10.2003	14.05.2025
3	पाली	पाली	बम्बोलाई	7.00	60.00	स्टेट टाईम	11.10.2003	14.05.2025
4	पाली	पाली	सोनिया	23.00	154.00	स्टेट टाईम	07.08.2000	14.05.2025
5	पाली	पाली	बाला की ढाणी	29.18	160.00	1987—88	10.10.2003	14.05.2025
6	पाली	पाली	कान्तरा फूटियासर	20.00	92.80	1993—94	10.07.2003	14.05.2025
7	पाली	रोहट	खाण्डी	15.94	140.00	1959—60	07.06.2000	15.05.2025
8	पाली	रोहट	निम्बली	24.56	200.00	1959—60	30.09.2003	15.05.2025
9	पाली	सोजत	मण्डला	7.94	50.00	1989—90	13.07.2000	14.05.2025
10	पाली	सोजत	हापत	13.80	15.00	1980—81	07.06.2000	12.05.2025
11	पाली	सोजत	मामावास	9.65	50.00	1970—71	06.07.2000	13.05.2025
12	पाली	सोजत	देवली हुल्ला	25.00	59.00	1972—73	07.06.2000	14.05.2025
13	पाली	सोजत	टूटिया	34.00	62.00	1969—70	07.06.2000	12.05.2025
14	पाली	सोजत	गोविन्द सागर	15.43	80.00	1972—73	07.06.2000	14.05.2025
15	पाली	सोजत	रेपडावास	12.62	93.00	1980—81	07.06.2000	12.05.2025

16	पाली	सोजत	गोदेलाव	23.70	88.00	1972—73	07.06.2000	12.05.2025
17	पाली	सोजत	रामासनी बाला	19.48	104.00	1989—90	07.06.2000	13.05.2025
18	पाली	सोजत	खोखरा	21.12	109.00	1980—81	07.06.2000	14.05.2025
19	पाली	सोजत	धाकडी	20.92	120.00	1960—61	07.06.2000	12.05.2025
20	पाली	सोजत	रोडावास	45.78	188.00	1992—93	07.06.2000	14.05.2025
21	पाली	मा.ज.	डिंगोर	35.00	138.00	1962—63	07.06.2000	08.05.2025
22	पाली	मा.ज.	रेणिया	34.00	120.00	1976—77	07.06.2000	08.05.2025
23	पाली	देसुरी	गुडा गोपीनाथ	9.00	80.00	स्टेट टाईम	07.06.200	16.05.2025
24	पाली	देसुरी	माण्डीगढ	16.00	64.00	1976—77	28.06.2000	16.05.2025
25	पाली	देसुरी	खेतलाजी	14.39	69.00	1978—79	20.07.2000	16.05.2025
26	पाली	देसुरी	मगरतालाब	10.00	60.00	स्टेट टाईम	20.07.2000	16.05.2025
27	पाली	देसुरी	बागोल	9.20	48.00	स्टेट टाईम	27.07.2000	15.05.2025
28	पाली	देसुरी	बाजरवाला	12.87	53.00	1982—83	22.10.2003	
29	पाली	देसुरी	जयपालिया	4.75	23.00	1993—94	22.10.2003	16.05.2025
30	पाली	देसुरी	डेडवान	20.26	107.00	1981—82	20.07.2000	15.05.2025
31	पाली	देसुरी	कोलर	26.00	150.00	स्टेट टाईम	27.07.2000	16.05.2025
32	पाली	देसुरी	धोडावाला	55.41	242.80	1982—83	22.10.2003	15.05.2025
33	पाली	बाली	मादरा की नाल	16.56	165.00	1981—82	13.07.2000	14.05.2025
34	पाली	बाली	सोनगिरी का बाला	25.50	167.00	1975—76	28.06.2000	14.05.2025

35	पाली	बाली	रघुनाथपुरा I	16.00	92.00	स्टेट टाईम	11.07.2000	14.05.2025
36	पाली	बाली	सोनवा	32.62	196.00	1981—82	20.07.2000	14.05.2025
37	पाली	बाली	बामणिया	22.95	171.00	स्टेट टाईम	20.07.2000	14.05.2025
38	पाली	बाली	उंगटी	31.86	173.00	1964—65	12.10.2001	14.05.2025
39	पाली	बाली	वेलार	16.60	48.00	1982—83	06.07.2000	14.05.2025
40	पाली	बाली	सरावजा	8.70	41.00	1987—88	11.07.2000	14.05.2025
41	पाली	बाली	रघुनाथपुरा II	13.94	62.00	1983—84	11.07.2000	14.05.2025
42	पाली	बाली	कामोटी	7.50	38.00	1980—81	04.09.2000	14.05.2025
43	पाली	बाली	फूटेलाव	5.40	27.00	1959—60	21.07.2000	14.05.2025
44	पाली	बाली	पेरवा	8.20	30.00	1993—94	07.05.2004	14.05.2025
45	पाली	बाली	बोकी का बाला	48.00	124.00	1973—74	06.07.2006	14.05.2025
46	पाली	सुमेरपुर	मुकंदसागर	36.36	176.19	—	—	07.05.2025
47	पाली	सुमेरपुर	चाणौद	38.41	280.00	—	—	07.05.2025
48	पाली	सुमेरपुर	भारुन्दा	12.06	54.65	1989	—	07.05.2025
49	पाली	सुमेरपुर	अमलिया	44.14	144.93	1981	—	15.05.2025
50	पाली	सुमेरपुर	बिसलपुर	—	—	—	—	12.05.2025
51	पाली	सुमेरपुर	पालड़ी (एम)	—	—	—	—	07.05.2025

जवाई बांध पर उपलब्ध संसाधनों की सूची

संसाधन	विवरण
नाव	51 (विभाग के पास 1 नाव एवं शेष 50 मत्स्य विभाग के ठेकेदार के पास उपलब्ध है।)
कटटे	रेत से भरे 1000 और खाली 2000 कटटे
वायर लैस सेट	2
रस्सियां	30 मीटर
जीवन रक्षक	4
लाईफ जैकेट्स	20

Availability of Boats and Pumps

1	इंजन बोट (Fibroplast flat Bottom Aluminium with 50 H.P. Engine)	1 No.	नगर परिषद, पाली को हस्तांतरित (श्रीमान जिला कलेक्टर पाली के आदेश क्रमांक/सा/8073 दिनांक 30.12.2011 एवं श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता जल संसाधन वृत्त पाली के पत्रांक/स्था./8988-89 दिनांक 04.01.2012 की पालना में।)
2	इंजन बोट तहसील सुमेरपुर जवाई बांध	1 No.	चालक उपलब्ध नहीं (जवाई बांध सुमेरपुर) पर।
3	किलोस्कर 26 एचपी पम्प सेट एसेसरीज सहित	1 No.	सहायक अभियन्ता, जल संसाधन उपखण्ड, पाली कार्यालय में है।
4	किलोस्कर 12 एचपी पम्प सेट एसेसरीज सहित	2 No.	सहायक अभियन्ता, जल संसाधन उपखण्ड, पाली कार्यालय में है।
5	किलोस्कर 6 एचपी पम्प सेट एसेसरीज सहित	2 No.	सहायक अभियन्ता, जल संसाधन उपखण्ड, पाली कार्यालय में है।
6	किलोस्कर 14 एचपी पम्प सेट एसेसरीज सहित	1 No.	सहायक अभियन्ता, जल संसाधन उपखण्ड, पाली कार्यालय में है।
7	किलोस्कर 25 एचपी पम्प सेट एसेसरीज सहित	1 No.	सिंचाई कॉलोनी, जवाई बांध रोड़, सुमेरपुर में है।

नोट :- बोटो/पम्पों के संचालन के लिए प्रशिक्षित एवं अधिकृत स्टॉफ नहीं है।

जल संसाधन विभाग, पाली

खाली एवं भरे कट्टो का विवरण

(खाली एवं भरे हुए कट्टे निम्नानुसार निम्नांकित स्थलो पर मानसून पूर्व रखवाये जाने प्रस्तावित)

क्र. सं.	बांध/परियोजना का नाम	जिला	तहसील	खाली कट्टे	रेत से भरे हुए कट्टे
1	2	3	4	5	6
1	जवाई बांध	पाली	सुमेरपुर	900	1000
2	सरदार समंद	पाली	सोजत/रोहट	300	300
3	हेमावास	पाली	पाली	300	300
4	खारड़ा	पाली	रोहट	200	200
5	गिरोलिया	पाली	रोहट	100	100
6	बाणियावास	पाली	पाली	300	300
7	एन्दला	पाली	पाली	200	200
8	बोमादडा पिकअप वियर	पाली	पाली	300	300
9	लोर्डिया	पाली	पाली	100	100
10	बाण्डी नेहडा	पाली	रोहट	100	100
11	वायद	पाली	रोहट	100	100
12	साली की ढाणी	पाली	पाली	200	200
13	राज सागर चौपड़ा	पाली	सोजत	40	160
14	गजनेई	पाली	सोजत	40	160
15	मालपुरिया कानावास	पाली	सोजत	40	160
16	बोरीनाडा	पाली	सोजत	40	160
17	कंटालिया	पाली	मा.जं.	40	160

18	सिरीयारी	पाली	मा.जं.	40	160
19	फुलाद	पाली	मा.जं.	40	160
20	जोगडावास-I	पाली	मा.जं.	40	100
21	जोगडावास-II	पाली	मा.जं.	40	100
22	सारण	पाली	मा.जं.	40	160
23	चिरपटिया	पाली	मा.जं.	40	160
24	शिवनाथ सागर	पाली	बाली	150	150
25	लाटाडा	पाली	बाली	100	100
26	दांतीवाडा	पाली	बाली	100	100
27	कोट	पाली	बाली	100	100
28	फुटिया	पाली	बाली	100	100
29	मिठडी	पाली	बाली	200	200
30	पिपला	पाली	बाली	50	50
31	सेवाडी	पाली	बाली	50	50
32	धारिया	पाली	देसूरी	300	300
33	केसुली	पाली	देसूरी	100	100
34	घोडादडा	पाली	देसूरी	100	100
35	हरिओम सागर	पाली	देसूरी	100	100
36	सेली की नाल	पाली	देसूरी	200	200
37	काना	पाली	देसूरी	100	100
38	मुथाना	पाली	देसूरी	100	100
39	राजपुरा	पाली	देसूरी	100	100
40	सादडी	पाली	देसूरी	100	100

41	जूना मालारी	पाली	देसूरी	100	100
42	धणी बांध	पाली	देसूरी	50	50
43	बलवना	पाली	सुमेरपुर	100	100
44	सिंदरू	पाली	सुमेरपुर	200	200
45	जादरी डायवर्सन	पाली	सुमेरपुर	200	150
46	गलदेरा	पाली	सुमेरपुर	100	100
47	तखतगढ़	पाली	सुमेरपुर	200	200
48	दुजाना	पाली	सुमेरपुर	100	50
49	खिवांदी बांकली	पाली	सुमेरपुर	200	200
			योग	7340	8390
1	पाली मुख्यालय			500	500
2	बाली मुख्यालय			1000	0
3	सोजत मुख्यालय			500	0
4	सुमेरपुर मुख्यालय			1500	0
			योग	3500	500
			महायोग	10840	8890

परिशिष्ट 10

जिले में बुनियादी ढांचे की सूची (सार्वजनिक एवं निजी) जैसे पुलिस स्टेशन, आश्रय स्थल आदि

जिला पाली में प्राकृतिक आपदाओं एवं आपातकाल के दौरान व्यवस्था सुनिश्चित करने परिस्थितियों पर प्रभावी नियंत्रण एवं आमजन को शीघ्र राहत प्रदान करने एवं समस्याओं से निपटने हेतु निम्नानुसार कन्टीजेन्सी प्लान तैयार किया जाता है। जिला पाली हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पाली को ऑफिसर इन्चार्ज पुलिस नियुक्त किया जाता है।

नाम जिला	विवरण	संख्या
पाली	कुल क्षेत्रफल	9928.58 वर्ग मीटर
	कुल आबादी	18,08,804
	कुल उपखण्ड	08
	कुल पंचायत समिति	08
	कुल ग्राम पंचायत	320
	नगर परिषद	01
	नगर पालिका	07
	कुल वृत्त कार्यालय	05
	कुल पुलिस थाना	27
	कुल पुलिस चौकी	38

जिला पाली की वर्तमान नफरी निम्न प्रकार है—

क्र.सं.	पदनाम	संख्या
1	पुलिस अधीक्षक	01
2	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक	04
3	उप अधीक्षक पुलिस	09
4	निरीक्षक पुलिस	19
5	उप निरीक्षक पुलिस	48
6	सहायक उपनिरीक्षक पुलिस	188
7	हैड कानि.	159

8	उ.नि.(एम.टी.)	01
9	हैड कानि.(एम.टी.)	10
10	कानिस्टेबल(एम.टी.)	76
11	कानिस्टेबल	1177
	योग	1692

जिला पाली में एम.टी. की अलग से शाखा है, जिसमें निम्नानुसार वाहन उपलब्ध है:

क्र. सं.	वाहन का प्रकार	मौजूदा
1.	लाईट वाहन	81
2.	मिडियम वाहन	09
3.	हैवी वाहन	01
4.	मोटर साईकिल	104
5.	योग	195

वाहनों का विवरण :-

क्र.सं.	वाहन का प्रकार	मौजूदा
1.	कार	02
2.	स्कोर्पियों	02
3.	टाटा टेम्पो	01
4.	जीप	23
5.	जिप्सी	01
6.	बोलेरो	30
7.	टवेरा	02
8.	इन्टरसेप्टर	04
9.	अटिंगा	01
10.	टीयूवी	07
11.	बोलेरो केम्पर	05
12.	मिनी वज़	02

13.	मिनी बस	03
14.	फोर्स मिनी बस	03
15.	मिनी ट्रक	03
16.	परिशन वैन	01
17.	महेन्द्रा मोबाईल किचन	01
18.	हैवी बस	01
19.	वाटर टैंकर	02
20.	मोटर साईकिल	104
	योग	195

संचित निरीक्षक पुलिस लाईन पाली एवं जिला एमटीओ विभागीय वाहनों को हर समय ओके कण्डीशन में रखेंगे तथा वाहनों में ईंधन की पूर्ति तथा उनको सुरक्षित क्षेत्र में पार्किंग की व्यवस्था करेंगे।

चुंकि पाली काफी बड़ा जिला है तथा इसमें से तीन राष्ट्रीय उच्च मार्ग NH 14, 65, 112 निकलते हैं। पाली में रेल मार्ग भी काफी लम्बा है एवं यहाँ औद्योगिक क्षेत्र भी है। पाली जिले में IOC की पाईप लाईन भी गुजरती है, जिनके दृष्टिगत निम्न प्रकार की व्यवस्थाएं की जानी आवश्यक है—

1. जिले में मुख्यालय पर 07 फायर ब्रिगेड व उपखण्ड मुख्यालय पर 01—01 फायर ब्रिगेड उपलब्ध है, जो काफी कम है क्योंकि कहीं भी आग लगने पर सूचना पुलिस कण्ट्रोल रूम को प्राप्त होती है। अतः प्रत्येक उपखण्ड पर कम से कम दो फायर ब्रिगेड एवं जिला मुख्यालय पर 10 फायर ब्रिगेड की आवश्यकता है।
2. नेशनल हाईवे होने की वजह से जिला—पाली में काफी सड़क दुर्घटनाएं होती तथा कहीं पर भी ट्रौमा सेंटर नहीं है, इसलिए सोजत शहर में एक ट्रौमा सेंटर जो “वेल इक्यूप्ड” हो, की सख्त आवश्यकता है।
3. पूर्व में इण्डस्ट्रीयल एरिया में केमिकल की वजह से दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी तथा इस संबंध में पुलिस थाना कोतवाली में प्र.सं. 194/2014 U/S 304 IPC में दर्ज किया गया था एवं मौके पर कानून—व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिसे पुलिस की तत्परता से नियंत्रित किया जा सका। अतः भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो इसके लिए फैक्ट्रीज एण्ड बॉयलर्स निरीक्षक द्वारा पर्याप्त चैकिंग व निगरानी की आवश्यकता है।
4. वर्षा ऋतु में नदी नालों में बाढ़ आने की स्थिति में जिला मुख्यालय पर कोई उपकरण/संसाधन/तैराक विशेषज्ञ नहीं है। अतः जिला पाली को उक्त संसाधन उपलब्ध कराये जावे।
5. पाली शहर व पाली में से निकलने वाले रेल्वे ट्रैक पर कई नो—मेन फाटक हैं, जहाँ हमेशा हादसे होने की आशंका बनी रहती है तथा हादसे के पश्चात कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की सम्भावना रहती है, इसलिए कोई भी नो—मेन फाटक नहीं होना चाहिए।
6. पाली जिला में से आई.ओ.सी. की लाईन निकलती है, जिसमें भी लीकेज या अन्य स्थिति होने पर कोई उपकरण नहीं है, जो उपलब्ध कराये जाने आवश्यक है।

टेलिफोन सूची जिला पाली

नाम अधिकारी	नाम कार्यालय/थाना	कार्यालय	निवास/ सीयुजी	मोबाईल
श्री विकास कुमार आई. पी.एस.	महानिरीक्षक रैंज जोधपुर	0291— 2650800, 2650802, 2650803	2650801 8764519102	9982530000
श्री लक्ष्मीनारायण मंत्री आई.ए.एस	जिला कलेक्टर पाली	02932—252801	252802	9414201828
श्रीमती पूजा अवाना आई.पी.एस.	पुलिस अधीक्षक,पाली	02932—251531	02932—251532	9540002444
श्री विपिन शर्मा आर.पी. एस.	अति.पु.अधीक्षक,पाली	02932—251533	8764522301	9610156221
श्री जयसिंह तंवर आर. पी.एस.	अ.पु.अ.त्वरित अनसंधान दल	—	—	9829824476
श्री नरेन्द्र सिंह देवडा	अति.पु. अधीक्षक SIUCAW	02932—221067	—	9310110107
श्री राजेन्द्र सिंह आर.पी.	उ.अ.पु. एस.सी./एस.	02932—251539	—	9414169480
श्री अशोक कुमार नि.पु.	अपराध सहायक	02932—251540	9530420747	9636579996
श्री मनीष चारण आर.पी.	पुलिस थाना साईबर	02932—299120	9530420905	9414266815
श्री सुगड सिंह आर.पी.	उ.अ.पु. यातायात पाली	—	—	8118899438
श्री हिंगलाजदान उ.नि.	टी.एस.आई. यातायात	—	—	9460989908
श्रीमती उषा यादवआई.	वृताधिकारी पाली शहर	02932—251535	8764522403	9582582476
श्री अनिल कुमार नि.पु.	थानाधिकारी कोतवाली	02932—251548	8764522501	9460174449
श्री जसवंत सिंह नि.पु.	थानाधिकारी औ०क्षेत्र	02932—281100	8764522502	9928404811
श्री भंवरलाल उ.नि.	थानाधिकारी टी.पी.नगर पाली	02932—251551	—	8769876989
श्रीमती कमला उ.नि.	प्रभारी, महिला थाना	02932—281101	8764522503	9829537367
श्री रतनाराम देवासी आर.पी.एस.	वृताधिकारी पाली ग्रामीण	02932—251537	8764522402	8112214141
श्रीसहदेवचौधरी	थानाधिकारी सदर	02932—284100	8764522504	9414414121
श्री पाना चौधरी नि.पु.	थानाधिकारी रोहट	02936—268100	8764522505	7014398100

श्रीकपूररामनि.पु.	थानाधिकारी गुड़ा एन्दला	02932-261521	8764522506	9928666623
श्रीराजेन्द्रसिंह उ.नि.	थानाधिकारी जैतपुर	02936-299477	—	9414325564
श्री जेदुसिंह आर.पी.एस.	वृताधिकारी सोजत सिटी	02960-222924	—	8058571255
श्रीदेवीदाननि.पु.	थानाधिकारी सोजत सिटी	02960-222024	8764522507	9001341600
श्रीजब्वरसिंह उ.नि.	थानाधिकारी सोजतरोड़	02960-230135	8764522508	7976490439
श्रीभारतरावत	थानाधिकारी मारवाड़ जं.	02935-252203	8764522509	9784087733
श्रीभंवरारामउनि	थानाधिकारी बगड़ीनगर	02960-281030	8764522512	8114422643
श्रीअशोक सिंह उ.नि.	थानाधिकारी सिरियारी	02935-266222	8764522511	9530252501
श्रीदेवेन्द्रसिंहनि.पु.	थानाधिकारी शिवपुरा	02960-261460	8764522510	9001802670
श्रीकिशनाराम उ.नि.	थानाधिकारी चण्डावल	—	—	9413173520
श्री चैनसिंह महेचा आर. पी.एस.	अति.पु.अधीक्षक,बाली	02938-222501	8764522302	9414141302
श्रीराजेश यादवआर.पी. एस.	वृताधिकारी बाली	02938-222822	8764522405	9829270009
श्रीपर्वतसिंहनि.पु.	थानाधिकारी बाली	02938-222034	8764522518	8003185678
श्रीहरीसिंह उ.नि.	थानाधिकारी देसुरी	02934-254122	8764522519	8112263348
श्रीविक्रमसान्दुनि.पु.	थानाधिकारी फालना	02938-233162	8764522520	7597766499
श्रीहनवंत सिंह नि.पु.	थानाधिकारी सादड़ी	02934-285103	8764522521	7728937982
श्री मनमंथआढा उ.नि.	थानाधिकारी खिंवाड़ा	02934-248043	8764522522	9462624248
श्री पन्नाराम उ.नि.	थानाधिकारी रानी	02934-222033	8764522523	9414678182
श्री जितेन्द्र सिंह राठोड़ आर.पी.एस.	वृताधिकारी सुमेरपुर	02933-258722	8764522401	9413002233
श्री रविन्द्र सिंह नि.पु.	थानाधिकारी सुमेरपुर	02933-258422	8764522524	9414444384

श्री प्रवीणकुमार नि.पु.	थानाधिकारी तखतगढ़	02933-220130	—	9462715812
श्रीमती गीता सिंह उ.नि.	थानाधिकारी साण्डेराव	9530420504	8764522527	7014936141
श्री रतनसिंह उ.नि.	थानाधिकारी नाना	02933-245055	8764522526	9414533516
श्री भगारामनि.पु.	थानाधिकारीसुमेरपुरसदर	02933-252422	—	9950719606
श्रीमति लता बेगड़ नि.पु.	संचितनिरीक्षक	02932-251544	9530420757	9413844981
श्री विजय विश्णोई उ.नि.	एम.टी.ओ. पाली	02932-251544	9530420894	8560009468
श्री अमराराम मीणा नि.पु.	प्रभारी,पुलिसकंट्रोल रूम पाली फ़ैक्स-251545	02932-251545002932-2 51546	9530420836 8764875055	9166671437
श्रीमति परविन्दर कौर. उ.नि.	प्रभारी जिलाविशेष शाखा	02932-251541	—	8619045365
श्री विक्रम सिंह नि.पु.	सी.आई.डी. जोन यूनिटपाली	02932-250466	—	9413409713
श्री रामसिंह आर.पी.एस	वायरलैस	02932-294547	—	9461594362
श्री जोराराम डांगा कारापाल	जेलप्रभारी	02932-222404	—	9461990777
श्री डॉ विकास मारवाल	सी.एम.एच.ओ. पाली	02932-257555	—	9784859777

CALL SIGN OF MOBILE VHF STATION DISTT. PALI

S.NO	NAME OF STATIC STATION	CALL SIGN
1.	S.P. OFFICE/RESIDENCE	TIGER
2.	ADDL.S.P. OFFICE PALI	BRAVO- 1
3.	ADDL.S.P. OFFICE BALI	BRAVO- 2
4	REPEATER STATION HEMAWAS	ROMEO-13
	REPEATER STATION SOJAT FORT	ROMEO-14
	PALI CONTROL	CONTROL

	P.S. KOTWALI PALI	FORT-1
	P.S. INDUSTRIAL AREA PALI	FORT-2
	P.S. TRANSPORT NAGAR PALI	FORT-3
	P.S. SADAR PALI	FORT-4
	P.S. ROHAT	FORT-5
	P.S. GUDA ENDLA	FORT-6
	P.S. SOJAT CITY	FORT-7
	P.S. SOJAT ROAD	FORT-8
	P.S. MARWAR JUNCTION	FORT-9
	P.S. SHIVPURA	FORT-10
	P.S. SIRYARI	FORT-11
	P.S. BAGARI	FORT-12
	P.S. BALI	FORT-13
	P.S. DESURI	FORT-14
	P.S. FALNA	FORT-15
	P.S. SADARI	FORT-16
	P.S. KHINWARA	FORT-17
	P.S. RANI	FORT-18
	P.S.SUMERPUR	FORT-19
	P.S. TAKHATGARH	FORT-20
	P.S. NANA	FORT-21
	P.S.SANDERAO	FORT-22
	P.S. MAHILA THANA	FORT-23
	TRAFFIC OFFICE	FORT-24
	P.S. GRP. MARWAR JUNCTION	FORT-25
4.	P.S. JAIPUR	FORT-27
5.	P.S. CHANDAWAL	FORT-28
6.	P.S. SUMERPUR SADAR	FORT-29

	POLICE LINE	SONA
	CID JONE UNIT PALI	SONA 2
	ABHAYA COMAND CENTER	CITY CONTROL
	O.P. BANGAR HOSPITAL PALI	BEETA-1
	O.P. DHANMANDI PALI	BEETA -2
	O.P. HOUSING BOARD PALI	BEETA -3
	O.P. MILLGATE PALI	BEETA -4
	O.P.BUS STAND	BEETA -5
	O.P. RAMDEV ROAD	BEETA -6
	O.P. KHERWA	BEETA -7
	O.P. GUNDOZ	BEETA -8
	O.P DENDA	BEETA -9
	O.P. KHOR	BEETA - 10
	O.P KERLA	BEETA -11
	O.P JADAN	BEETA -13
	O.P. CHOPRA	BEETA -14
	O.P AUWA	BEETA -16
	O.P BANTA	BEETA -17
	O.P RANAWAS	BEETA -18
	O.P JOJAWAR	BEETA -19
	O.P. SARAN	BEETA -20
	O.P KANTALIYA	BEETA -21
	O.P BADA GUDA	BEETA -22
	O.P SOMESAR	BEETA -23
	O.P NADOL	BEETA -24
	O.P. MAGARTALAB	BEETA -25
	O.P KOT	BEETA -26
	O.P SEWARI	BEETA -27

	O.P BIJAPUR	BEETA -28
	O.P GHANERAO	BEETA -29
	O.P RANAKPUR	BEETA -30
	O.P. LATARA	BEETA -31
	O.P PALADI JOD	BEETA -32
	O.P. KOSELAO	BEETA -33
	O.P CHANOD	BEETA -34
	O.P FALNA	BEETA -35
	O.P BHIMANA	BEETA -36
	O.P BERA	BEETA -37

तैराक पुलिस कर्मियों की सूची

क्रसं.	नाम कर्मचारी	पद मय नम्बर	पदस्थापन स्थान	मोबाईल नं.
1	श्री चम्पालाल	सउनि	थाना गुड़ाएन्दला	9511541175
2	श्री भीयाराम	सउनि	थाना सोजतसिटी	9530420134
3	श्री अजय पाल	कानि. 65	पुलिस लाईन पाली	8290646617
4	श्री पुखराज	कानि. 394	पुलिस लाईन पाली	9001252392
5	श्री रामाराम	कानि. 1338	पुलिस लाईन पाली	9782757998
6	श्री कृष्ण गोपाल	कानि. 1567	पुलिस लाईन पाली	8619047591
7	श्री मुकेश	कानि. 1726	पुलिस लाईन पाली	8385090683
8	श्री नवीन	कानि. 1699	थाना सुमेरपुर	8764355433
9	श्री महेन्द्र	कानि. 800	थाना गुड़ाएन्दला	9602980815
10	श्री धुड़ाराम	कानि. 1183	थाना टीपी नगर	9772625246
11	श्री मेघराम	कानि. 1712	थाना औ.क्षेत्र	9667996338

12	श्री सेदुराम	कानि 1050	थाना नाणा	8104789907
13	श्री शिशराम	कानि 801	थाना नाणा	8505076132
14	श्री रामनिवास	कानि	थाना नाणा	8290648065
15	श्री बंशीलाल	कानि 470	थाना देसुरी	9672632364
16	श्री प्रकाशचंद	कानि 1288	थाना देसुरी	7427891288
17	श्री राकेश	कानि 1830	थाना देसुरी	9024820733
18	श्री धर्मेन्द्र	कानि 791	थाना देसुरी	9636127131
19	श्री बलराम	कानि 1018	थाना देसुरी	9460121782

तैराक होमगार्ड सदस्यो की सूची

क्र.सं.	सदस्य सं०	नाम स्वयंसेवक	केन्द्र / उपकेन्द्र	तैराक	मोबाईल नं०
1	321	श्री राजेन्द्रकुमार	पाली	तैराक	9660415405
2	02	श्री तखत सिंह	पाली	तैराक	8003277607
3	154	श्री सवाई सिंह	पाली	तैराक	8949064075
4	03	श्री गणपत सिंह	पाली	तैराक	7014830513
5	50	श्री नरेन्द्र सिंह	पाली	तैराक	9024216875
6	146	श्री नाथूराम	पाली	तैराक	9829855025
7	298	श्री मनोहर सिंह	पाली	तैराक	9413427911
8	182	श्री शब्बीरअहमद	पाली	तैराक	9928164581
9	694	श्री भगवानलाल	रोहट	तैराक	9950660829
10	695	श्री सुरेशकुमार	रोहट	तैराक	9799332787
11	707	श्री दिनेशसुखा	रोहट	तैराक	9602836804
12	709	श्री प्रकाश	रोहट	तैराक	9829620915
13	712	श्री वनफूल	रोहट	तैराक	8290156856
14	716	श्री सुरेन्द्रकंसारा	रोहट	तैराक	8824020718
15	718	श्री नाथाराम	रोहट	तैराक	9799053533
16	721	श्री शाकिरहुसैन	रोहट	तैराक	9667884470
17	742	श्री नृसिंहराम	रोहट	तैराक	9660801880
18	725	श्री मनोजकुमार	रोहट	तैराक	8094852305
19	727	श्री हीरालाल	रोहट	तैराक	9929805705
20	728	श्री अजय चारण	रोहट	तैराक	9794573908
21	745	श्री अण्दाराम	रोहट	तैराक	9784022232
22	747	श्री भैरू लाल	रोहट	तैराक	9636976685
23	756	श्री ओमप्रकाश	रोहट	तैराक	9413577536
24	706	श्री अब्दुल जीमल	रोहट	तैराक	7568426286
25	791	श्री गणपतलाल	रोहट	तैराक	9950223650

26	795	श्री भलाराम	रोहट	तैराक	8003219281
27	797	श्री जितेन्द्र सिंह	रोहट	तैराक	9460915829
28	801	श्री जीताराम	रोहट	तैराक	9950318557
29	799	श्री रमेशकुमार	रोहट	तैराक	9929806600
30	381	श्री जय शंकर	सोजत	तैराक	9462851900

गृह रक्षा दल के कार्मिको की सूची

क्र.स.	सदस्यों का नाम मय बैल्ट नं	उपकेन्द्र का नाम	मो0नम्बर
01	श्री प्रवीण कुमार 112	पाली जिला मुख्यालय	96804-16311
02	श्री गोविन्दाराम 08	पाली जिला मुख्यालय	97992-60136
03	श्री श्रवण सिंह 62	पाली जिला मुख्यालय	97842-48953
04	श्री शंकर सिंह 16	पाली जिला मुख्यालय	75861-68981
05	श्री कैलाशचंद 207	पाली जिला मुख्यालय	97828-61834
06	श्री तख्त सिंह 02	पाली जिला मुख्यालय	80032-77607
07	श्री जोग सिंह 82	पाली जिला मुख्यालय	94607-30236
08	श्री दिलीप कुमार 247	पाली जिला मुख्यालय	99828-61834
09	श्री नाथूलाल 146	पाली जिला मुख्यालय	98298-55025
10	श्री हेमराज 78	पाली जिला मुख्यालय	94134-87019
11	श्री मिश्रीलाल 272	पाली जिला मुख्यालय	99284-52476
12	श्री ओमप्रकाश 35	पाली जिला मुख्यालय	89550-56037
13	श्री अर्जुनलाल 198	पाली जिला मुख्यालय	99281-25395
14	श्री सवाई सिंह 154	पाली जिला मुख्यालय	80037-54925
15	श्री देवीलाल 168	पाली जिला मुख्यालय	90011-08150
16	श्री गणपत सिंह 03	पाली जिला मुख्यालय	90244-31321
17	श्री प्रेमसुख 171	पाली जिला मुख्यालय	99509-95023
18	श्री श्रवणदान 97	पाली जिला मुख्यालय	99820-94921
19	श्री खीव सिंह 128	पाली जिला मुख्यालय	99282-81631
20	श्री राजेन्द्र कुमार 321	पाली जिला मुख्यालय	81078-94602
21	श्री विनोद कुमार 52	पाली जिला मुख्यालय	80033-41857
22	श्री चुन्नीलाल 28	पाली जिला मुख्यालय	96676-31771
23	श्री मनोज कुमार 244	पाली जिला मुख्यालय	98282-66858
24	श्री रिय्याज खां 232	पाली जिला मुख्यालय	91661-57372
25	श्री सोहन सिंह 239	पाली जिला मुख्यालय	99839-34178
26	श्री भगाराम 141	पाली जिला मुख्यालय	93140-90564
27	श्री कुन्दन गोयल 74	पाली जिला मुख्यालय	92145-32898
28	श्री कर्मैन्द्र सिंह 173	पाली जिला मुख्यालय	92140-52452
29	श्री नरेन्द्र सिंह 50	पाली जिला मुख्यालय	90242-16875
30	श्री बृज सिंह 241	पाली जिला मुख्यालय	94137-56728
31	श्री पूर्णचंद 218	पाली जिला मुख्यालय	96492-03070

32	श्री चन्द्रदीप 276	पाली जिला मुख्यालय	99501-45445
33	श्री जगदीश प्रसाद 299	पाली जिला मुख्यालय	94607-30246
34	श्री नाथूलाल 137	पाली जिला मुख्यालय	87691-31365
35	श्री सुआलाल 302	पाली जिला मुख्यालय	96678-39537
36	श्री रमेशचन्द 258	पाली जिला मुख्यालय	97845-98970
37	श्री कयूम खा 412	उपकेन्द्र बाली	95876-22008
38	श्री मोहनलाल 414	उपकेन्द्र बाली	99506-35859
39	श्री प्रतापराम 418	उपकेन्द्र बाली	95878-04143
40	श्री केवलचंद 419	उपकेन्द्र बाली	96605-28597
41	श्री मांगीलाल 426	उपकेन्द्र बाली	96801-71996
42	श्री मो० यासीन 428	उपकेन्द्र बाली	99281-39141
43	श्री धन्नाराम 431	उपकेन्द्र बाली	80942-4-6541
44	श्री भीखाराम 435	उपकेन्द्र बाली	97859-7-6755
45	श्री इन्द्र सिंह 436	उपकेन्द्र बाली	98294-8-0551
46	श्री हारून खां 345	उपकेन्द्र सोजत	94135-32950
47	श्री मूलचंद 363	उपकेन्द्र सोजत	94137-86174
48	श्री मोहनलाल 375	उपकेन्द्र सोजत	97840-48276
49	श्री पदम सिंह 334	उपकेन्द्र सोजत	96367-35147
50	श्री लादू सिंह 382	उपकेन्द्र सोजत	80056-60652
51	श्री अर्जून सिंह 356	उपकेन्द्र सोजत	98294-73011
52	श्री गोपाराम 383	उपकेन्द्र सोजत	96809-13501
53	श्री जालम सिंह 346	उपकेन्द्र सोजत	84321-23453
54	श्री अरविन्द सिंह 370	उपकेन्द्र सोजत	98298-49851
55	श्री शांतीलाल 350	उपकेन्द्र सोजत	97822-44536
56	श्री प्रेम चन्द्र 373	उपकेन्द्र सोजत	88907-64045
57	श्री राजेन्द्र पुरी 476	उपकेन्द्र जैतारण	92526-71243
58	श्री बिरमाराम 546	उपकेन्द्र जैतारण	81075-52971
59	श्री जीवराज 550	उपकेन्द्र जैतारण	97994-54842
60	श्री रामेश्वरलाल 545	उपकेन्द्र जैतारण	96602-00696
61	श्री अमृतलाल 528	उपकेन्द्र जैतारण	97847-36782
62	श्री घीसाराम 498	उपकेन्द्र जैतारण	92524-50791
63	श्री खेमराम 464	उपकेन्द्र जैतारण	97855-17902
64	श्री कन्हैयालाल 472	उपकेन्द्र जैतारण	99500-14275
65	श्री दलाराम 480	उपकेन्द्र जैतारण	80941-04203
66	श्री अशोक कुमार 588	उपकेन्द्र सुमेरपुर	99284-87258
67	श्री नवल सिंह 632	उपकेन्द्र सुमेरपुर	97997-77101
68	श्री वीरमाराम 776	उपकेन्द्र सुमेरपुर	95495-03399
69	श्री मनाराम 592	उपकेन्द्र सुमेरपुर	99822-71815
70	श्री मीठालाल 596	उपकेन्द्र सुमेरपुर	99290-09192
71	श्री नेमाराम 604	उपकेन्द्र सुमेरपुर	98291-99791
72	श्री भीम सिंह 638	उपकेन्द्र सुमेरपुर	96045-39624

73	श्री नगराम 639	उपकेन्द्र सुमेरपुर	87696-20097
74	श्री दलपत सिंह 735	उपकेन्द्र सुमेरपुर	99504-47578

नागरिक सुरक्षा जिलों में उपलब्ध नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की सूची

क्र. स	स्वयं सेवक का नाम	पिता का नाम	सदस्य संख्या	मोबाईल नं.	नवीनीकरण तिथि
1	शिल्पा गोस्वामी	हुकमपुरी	3	9460233288	31/03/2027
2	नाथुराम गुर्जर	पोकरराम	5	8769393010	31/03/2027
3	राकेश कुमार	बाबुलाल	7	9588221616	31/03/2027
4	सुरमा कुडिया	ओम प्रकाश	8	8824250315	31/03/2027
5	ओमपालसिंह	उम्मेदसिंह	9	7737885000	31/03/2027
6	सिराज अहमद	अहमद शरीफ	11	9461831631	31/03/2027
7	जितेन्द्रहंस	जगदीश कुमार	14	7568071105	31/03/2027
8	आनन्दसिंह	गोरधनसिंह	18	8003752785	31/03/2027
9	कुंवरपालसिंह	श्रवणसिंह	20	9461301405	31/03/2027
10	धर्मेन्द्र	भंवरलाल	21	9660636516	31/03/2027
11	गणेश सैन	बाबुलाल	22	9001918323	31/03/2027
12	पारस कुमार	जोगाराम	23	9166644219	31/03/2027
13	अर्जुन राम	श्रवण राम	24	9587639400	31/03/2027
14	प्रेमसिंह	बुधसिंह	25	8003475577	31/03/2027
15	श्रवणसिंह	अचलसिंह	26	7568459958	31/03/2027
16	दीक्षातं सिंह	गोपाल सिंह	28	7821056401	31/03/2027
17	चंद्रदीपसिंह	मदनसिंह	30	9784206042	31/03/2027

18	जितेन्द्र कुमार	बगताराम	31	9660440680	31/03/2027
19	दिनेश सरगरा	देवारामजी	32	9166631519	31/03/2027
20	मच्छापूर्ण	सांवता राम	36	8107012494	31/03/2027
21	विष्णुराम	हरिराम	42	7414804556	31/03/2027
22	लक्ष्मण राम	मांगीलाल	45	9783298632	31/03/2027
23	नरपतराम विश्नोई	जालाराम	48	7240780421	31/03/2027
24	दिलीपसिंह	रामसिंह	51	7728010299	31/03/2026
25	बाबुलाल	मांगीलाल	53	9783770168	31/03/2026
26	भरतसिंह	जालमसिंह	54	7073380115	31/03/2026
27	जितेन्द्र पटेल	बुद्धाराम	55	9772554041	31/03/2026
28	परमेश्वर मेवाडा	भीकमचन्द	56	8875602226	31/03/2026
29	प्रदीप सिंह	गोरधन सिंह	60	8003274729	31/03/2026
30	सदाम हुसैन	मो. अकबर	62	9119117837	31/03/2026
31	हस्तीमल प्रजापत	बींजाराम	63	9414985777	31/03/2026
32	अशोकसिंह	शैतानसिंह	64	6377874562	31/03/2026
33	धर्माराम	देवाराम	66	9799799290	31/03/2026
34	भंवरलाल	ताराचन्द	68	8233782106	31/03/2026
35	दिनेश विश्नोई	बाबुलाल	69	8104164445	31/03/2026
36	विरेन्द्र सिंह	सोहनसिंह	70	9468632240	31/03/2026
37	हनुमानाराम मीणा	पुरखाराम	71	9587974939	31/03/2026
38	प्रेमाराम	भुराराम	74	9799772554	31/03/2026
39	अशोक	कालुराम	77	7014117902	31/03/2026

40	दिलीप पुरी	इन्द्र पुरी	78	8949774576	31/03/2026
41	दिलीप सिंह	मदनसिंह	80	9828371099	31/03/2026
42	यशपाल सिंह	गोपालसिंह	83	9413078651	31/03/2026
43	जसवन्तसिंह	हुकमसिंह	85	8696177118	31/03/2026
44	श्रीदेवी	सत्यनारायण	86	9461213100	31/03/2026
45	हीना	बाबूदीन	87	8209150858	31/03/2026
46	उषा	विरमदेव	89	9983299140	31/03/2026
47	मंजूदेवी	प्रकाश राम	91	7568250788	31/03/2026
48	प्रेम	कानाराम	93	8769393010	31/03/2026
49	उमेश सिंह	धनसिंह	94	8209335221	31/03/2026
50	सुरेन्द्रसिंह	खेतसिंह	95	9995632396	31/03/2026
51	अब्दुल वाहिद	वाजिद मा.	97	9782246240	31/03/2026
52	महेन्द्र कुमार	भंवरलाल	100	9214975910	31/03/2026

परिशिष्ट 11
NGOs, CBOs, सार्वजनिक स्वयंसेवकों की सूची उनकी
विशेषताओं और क्षमताओं के अनुरूप
नेहरू युवा केन्द्र

क्र.सं	ब्लॉक	पंजीकृत युवा मंडल की संख्या	पंजीकृत युवा स्वयंसेवकों की संख्या
1	पाली	10	100
2	मारवाड़ जंक्शन	9	90
3	सोजत	10	100
4	रोहट	10	100
5	रानी	7	70
6	देसूरी	7	70
7	बाली	5	50
8	सुमेरपुर	5	50

राष्ट्रीय सेवा योजना

क्र.सं	ब्लॉक	विद्यालयों की संख्या	स्वयंसेवकों की संख्या
1	पाली	3	418
2	मारवाड़ जंक्शन	4	302
3	सोजत	6	583
4	रोहट	2	203
5	रानी	3	283
6	देसूरी	2	256
7	बाली	4	387
8	सुमेरपुर	4	347

स्वयं सेवी संस्थाओं

क्र. सं.	स्वयं सेवी संस्था का नाम	स्वयं सेवी संस्था प्रमुख का नाम	स्वयं सेवी संस्था के पास उपलब्ध आवश्यक उपकरण साधन
1.	पाली आर्यवीर दल लाखोटिया तालाब पाली	श्री ओम प्रकाश शर्मा 3 सुनारों का वास	बाढ़ व अतिवृष्टि से मानव सेवा तैराकी किट्स है।
2.	पिंजरापौल गौशाला समिति कार्यालय धानमण्डी पाली	श्री छोगलाल बोहरा फोन नं. 226256	विकलांग व लावारिस पशुओं की निःशुल्क सेवा (गौशाला पाली)
3	नेत्र पुनर्वास विकास समिति पंचायत समिति के पास पाली	डा. राजेन्द्र सिंघवी	टीकाकरण एड्स नेत्र दान प्रेरणा नेत्रहीन पुनर्वास स्वरोजगार कार्य, दवाईयां आदि
4	भारत स्काउट गाईड संघ पाली	श्री श्याम अग्रवाल	बाल अधिकार एवं आपातकाल में जन

	ईदगाह रोड कोका फेक्ट्री के पास पाली		सेवा
5	भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी शाखा पाली (बांगड अस्पताल पाली)	श्री ज्ञानचंद पारख डा. महावीर सुराणा	पीडित मानव सेवा चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना, एम्बुलेन्स एंड ब्लड बैंक सेवा है।
6	पाली सेवा मण्डल पाली	श्री घीसूलाल पारख -221883,220813	नेत्र शल्य शिविर आयोजन निःशुल्क मानवसेवा (एम्बुलेन्स दवाईयां आदि)
7	महावीर इन्टरनेशनल पाली	डा. के.एम. शर्मा	विकलांगों के सहायतार्थ शिविर आयोजन
8	पाली सेवा समिति रेल्वेस्टेशन पाली	श्री घीसूलाल पारख "प्रमोद जैतलिया"	वृद्धावस्था एवं असहाय की सेवा तथा बाढ़ व अतिवृष्टि में निःशुल्क भोजन व्यवस्था
9	हिन्दू सेवा मण्डल पाली	श्री रामदयाल अरोड़ा फोन नं. 250582, 226356	पल्स पोलियो, पीलिया, कुष्ठ रोगियों की सेवा तथा लावारिस मृतकों की अंत्येष्टि, दाह संस्कार करना।
10	कनेन सेवामण्डल पाली	डा. डी.पी.शर्मा	टीकाकरण प्रति सप्ताह
11	शिव महिला मण्डल पाली	सुश्री नीलम शर्मा	टीकाकरण कार्य
12	जन चेतना समिति आदर्श नगर पाली	डा. के.एम. शर्मा फोन नं. 220175	पीडित मानव सेवा
13	लायन्स क्लब पाली	श्री रमेश बलाई "इन्दरचन्द गुलेछा महावीर नगर पाली- 222716, 225168	नेत्र शिविर एवं शल्य पोलियो शिविर आयोजन
14	रोटरी क्लब	श्री महावीर मेहता, फोन नं. 226602	आपातकाल में पीडित मानव की सेवा करना
15	रेड क्रॉस पाली	श्री जिनेन्द्र जैन-222927	आपातकाल में रक्तदान व पल्स पासेलियो में सक्रिय
16	नेहरू युवा विकास मण्डल पुनायता	श्री रामचन्द्र पुरोहित फोन नं. 220953	टीकाकरण, परिवार कल्याण एवं मानव सेवा
17	मुस्लिम विकास समिति प्यारा चौक पाली	श्री बुन्दु भाई लक्की रूई कटला, रेडिया सर्विस फोन नं. 225862 श्री अयूब खां वकील	आपातकाल में मानव सेवा
18	श्री महाराजा उमेल मिल्स ट्रस्ट, पाली	श्री गोविन्द सारडा मेनेजिंग डायरेक्टर मिल पाली	आपातकाल में पूर्ण जन सहयोग
19	राम द्वारा सेवा समिति पाली	श्री घीसूलाल जी पारख "चांदकरण जी डागा हाउसिंग बोर्ड पाली	आपात काल में पूर्ण जन सहयोग
20	गुरुद्वारा प्रबन्ध कमेटी	श्री हरबचनसिंह खेड़ सूरजपोल पाली	आपातकाल में जन सहयोग
21	झूलेलाल सेवा समिति पाली	श्री ललित प्रीतमानी पार्षद श्री जय थावानी	आपातकाल में जन सहयोग
22	महावीर इन्टरनेशनल, पाली गुजराती कटला	श्री आनंदराज पगारिया-221529 श्री गुमानमल भंसाली-94143-41639	आपातकाल में जन सहयोग
23	महावीर इन्टरनेशनल, पाली आदर्श नगर	श्री गुलबागसिंह खेड़ा -98280-38159, 94141-22755	आपातकाल में जन सहयोग
24	रायल मानव सेवा समिति, पाली	श्री राजेन्द्र भंडारी - 94141-24124	आपातकाल में जन सहयोग
25	भारत विकास परिषद	श्री बजरंग हुरकट - 94141-21356	आपातकाल में जन सहयोग
26	डिस्ट्रीक क्लब, पाली	220832	आपातकाल में जन सहयोग
27	सेवा समिति (वृद्धाश्रम), पाली	श्री प्रमोद जैतलिया - 94141-21766	आपातकाल में जन सहयोग
28	आर.एस.एस.	220667	आपातकाल में जन सहयोग
29	पाली जेसीस	94141-20631	आपातकाल में जन सहयोग
30	श्री किशोरमल खीमावत चेरीटेबल ट्रस्ट, रानी	02934-222292	आपातकाल में जन सहयोग
31	भैरव नेत्र यज्ञ समिति, बिसलपुर (बाली)	98291-96220	आपातकाल में जन सहयोग

32.	श्री शनिधाम ट्रस्ट, आलावास (सोजत)	02960-223441	आपातकाल में जन सहयोग
33.	सोजत सेवा मण्डल, सोजत	02960-223441	आपातकाल में जन सहयोग
34.	डॉ. अम्बेडकर प्रगतिशील युवा संस्था, पाली	अध्यक्ष श्री हरिनारायण बैरवा – 98290-40365	आपातकाल में जन सहयोग
35.	पाली मेला सांस्कृतिक विकास समिति, पाली	श्री एल.पी.मेहता – 94141-20895	आपातकाल में जन सहयोग

परिशिष्ट 12

जिले में विभिन्न हितधारकों के पास उपलब्ध प्रशिक्षित कार्मिकों की मशीनरी एवं उपकरणों की सूची

जिला स्तरीय प्राकृतिक आपदा प्रबंध नियंत्रण कक्ष हेतु स्वयंसेवी संस्थाओं से संबंधित सूचना (जिला पाली)

क्र.सं.	राजकीय/केन्द्रीय विभागों के संबंधित			राजकीय/केन्द्रीय विभागों के ठेकेदारों से संबंधित सूचना	
	विभागों का नाम	फोन नं.	उपकरणों एवं साधनों की सूची	औद्योगिक ईकाई एवं सरकारी विभाग ठेकेदार का नाम	उपकरण एवंसाधन सूची
1.	कृषि विभाग पाली	221341 222073	सरकारी जीप		
2.	जल संसाधन विभाग (सिंचाई विभाग)	222243	बाढ़ व अतिवृष्टि में कार्य, नावे रेत के बोरे, ट्रेक्टर, वायर लेस विभागीय मजदूर, रस्सियां	(1) श्री ओमप्रकाश पटेल रोहट -8005639315 (2) श्री राजूदास पाली -9950713877 (3) श्री सुखराम रायपुर - 9571538646 (4) श्री सीयाराम पाली - 8949061549	जे.सी.बी.ट्रक रोलर, जीप ट्रेक्टर
3	सार्वजनिक निर्माण विभाग पाली	220744	बाढ़ अतिवृष्टि में ट्रक, ट्रेक्टर रेत के बोरे, रोलर विभागीय मजदूर	श्री कुन्दनसिंह राज पुराहित, मेसर्स JKDकंस्ट्रक्शन क. पाली फोन नं. 9829646259 9461340050	जे.सी.बी.ट्रक रोलर, ऑटोरिक्शा, जीप ट्रेक्टर
4	सार्वजनिक निर्माण विभाग राष्ट्रीय मार्ग पाली	226206	बाढ़ अतिवृष्टि में ट्रक, ट्रेक्टर रेत के बोरे, रोलर विभागीय मजदूर	श्री शंकरसिंह राज पुराहित, पाली फोन नं. 9413371101 9414119935 श्री हासमखान पाली फोन नं. 9214434796	जे.सी.बी.ट्रक रोलर, ऑटोरिक्शा, जीप ट्रेक्टर
5	पी.एच.ई.डी. पाली		अकाल राहत के तहत पेयजल व्यवस्था पाईप ट्रक, मजदूर, (विभागीय)	चौधरी कंस्ट्रक्शन क. प्रताप नगर, पाली	जे.सी.बी.ट्रक रोलर, ऑटोमिक्स, ट्रेक्टर
6	नगर परिषद पाली		अग्नि, बाढ़, अतिवृष्टि व्यवस्था, टेक्टर, ट्रक, जे.सी.बी. रस्से, लाईट, अग्नि शामक	मेसर्स जय बिल्डर्स सोडो की ढाणी जोधपुर	ट्रक, ट्रेक्टर, जे.सी.बी.
7	पशुपालन व भेड़ ऊन विभाग पाली पुराना बस स्टेण्ड		पशुओं में महामारी फैलने पर दवाईयां एवं जीप	श्री लूणाराम चौधरी	ट्रेक्टर
8	बांगड अस्पताल		प्राकृतिक आपदा में मानव सेवा एम्बुलेन्स जीप, दवाईयां	किस्तूर राम चाँधरी	ट्रेक्टर

9	तहसील कार्यालय पाली		बाढ़ अतिवृष्टि में ट्यूब, रस्सी, विभागीय कर्मचारी एवं एक जीप	मेसर्स गुरदीपसिंह चंडी एंड कं. वर्तमान ढारिया बांध सोमेसर	ट्रेक्टर, ट्रक, जे. सी.बी. ,एल एंडटी की बड़ी मशीन एक्सकवेटर
---	------------------------	--	--	---	---

रोडवेज बस व्यवस्था जिला पाली

क्र.सं.	आगार का नाम	बसों की संख्या	फोन नं.
1	पाली आगार	47	02932-357296
2	फालना आगार	23	

बाढ़ नियंत्रण कक्ष (पुलिस) /विविध स्टोर (जिले में) में उपलब्ध सामग्री

क्र.सं.	उपलब्ध सामान विवरण	संख्या / नग
1	टॉच	30
2	ड्रेगन लाईट	60
3	सर्च लाईट	05
4	रेन कोट	360
5	रस्सा लम्बाई— 100 फीट	18
6	रस्सा लम्बाई— 50 फीट	10
7	रस्सा लम्बाई— 20 फीट	14
8	लाईफ जैकेट	16
9	हवा से भरे/खाली ट्यूब	20
10	पानी की नाव/बोट	—
11	सैंण्ड बैग्स्	170
12	फावड़े	80
13	गैती	27
14	तगारी	60

15	रिफ्लेक्टिव जैकेट	256
16	फर्स्ट-एड-बॉक्स	30

परिशिष्ट 13
आपातकालीन आपूर्तिकर्ताओं के सम्पर्क के साथ आवश्यक
आपातकालीन आपूर्तिकर्ताओं की सूची
मेडिकल स्टोर्स की सूची

दुकान का नाम	स्थिति	निवास का पता
कमल मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर	रेल्वे फाटक के पास	श्री बाबूलाल प्रजापत पुत्र श्री दौलाराम, ढाबर, तह. रोहट, जिला पाली
खुशबू मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर	मिल चाली	श्री दौलत राम पुत्र श्री घोईधराम सिन्धी सुभाष नगर 'ए' मिल वाली, पाली
ललित मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर	सोजती गेट	श्री ललित कुमार पुत्र श्री कन्हैयालाल श्रीमाली, ब्रह्मपुरी, खैरवा जि. पाली
श्री क्षेत्रपाल मेडि.एण्ड जन. स्टोर	मैन मण्डिया रोड	श्री छगन लाल पुत्र श्री मूलाराम घांची साकिन मनिहारी, तह.पाली
कामदार मेडिकल स्टोर	हैड पोस्ट ऑफिस के सामने	श्री मोहम्मद सिकन्दर पुत्र गुलाम हुसैन का मदार, मकान नं. 289, किदवाई नगर, घरवाला गांव, पाली
जितेन्द्र मेडिकल स्टोर	मिल गेट	श्री हरीश अडवानी पुत्र बिशनदास, म.नं. 117, मोहल्ला सिन्धी कॉलोनी, कस्बा, पाली
जितेन्द्र मेडिकोज	सुपर मार्केट सूरजीत	श्री जितेन्द्र गर्ग पुत्र श्री ओम प्रकाश अग्रवाल, 62, सरदार पटेल नगर, पाली
जय मेडिकल स्टोर्स	मिल गेट के सामने	श्री किशनलाल पुत्र श्री ईथराम सिन्धी हरीद
जे.के. फार्मा	320, सुभाष नगर	श्री जय किशन ललवानी पुत्र श्री रमेश जी, 88 सिन्धी कॉलोनी, पाली
जनता मेडिकल स्टोर	सूरजपोल	श्री बाबूलाल पुत्र श्री देवाराम चौधरी, 78, जनता कॉलोनी, पाली
जोहरा मेडि. एण्ड ज. स्टोर	64, जंगोवाड़ा	श्री चांद मोहम्मद पुत्र श्री कालू जी नाडी मोहम्मद पाली
गजानन्द मेडि. एण्ड जन. स्टोर	केरिया दरवाजा	श्री जय प्रकाश पुत्र श्री रहीमराम जी घांची, गॉल-टाबर त. पाली, जिला पाली
ग्लोरी फार्मा	218, आदर्श नगर	श्री अश्विनी अरोड़ा पुत्र डॉ. चन्द्र शेखर 281, आदर्श नगर, पाली
हरीश मेडिकल सेन्टर	बांगड चिकित्सालय के सामने	श्री लुम्बाराम पुत्र श्री मेराराम चौधरी जनता कॉलोनी, पाली
जय किसान मेडिकल सेन्टर	बांगड चिकित्सालय के सामने	श्री चेनाराम पुत्र श्री लचखा राम चौधरी 158, बापू नगर विस्तार, पाली
गिरधर मेडिकल स्टोर्स	मेडिया रोड, कालूजी की बगीची	श्री हेमाराम पुत्र श्री रूपाराम पटेल 16/1 कालू जी की बगीची, मीडिया रोड, पाली
जगदम्बा मेडीकोज	रुई कटला	श्री शेलेन्द्र पुरोहित पुत्र श्री डा. तुलसीदास रुई कटला, पाला
जैन मेडिकल स्टोर्स	सूरज पोल	श्री हकमीचन्द्र पुत्र श्री केवलचन्द्र जैन सूरज, पोल, पाली
दिशा मेडीकोज	इन्द्रा कालोनी	श्री महावीर चन्द्र सोलंकी पुत्र शम्भल 7, झुरी का बाग, पाली
दौलत मेडिकल स्टोर	जर्दा बाजार	श्री दौलत राम पुत्र वसूमल सिन्धी, सिन्धी कालोनी, पाली
दुर्गा मेडिकल स्टोर	सुराणा सराय, बस स्टैण्ड	श्री हीरा लाल पुत्र नारायण जी छांची 1, बीदानेयिया बस, पाली
देवड़ा डिस्ट्रिब्यूटर्स	भैरुघाट	श्री बाबूलाल पुत्र श्री भगवानचन्द्र देवड़ा, 38, भैरुघाट घाघियोंका बड़ा बास पाली।
चौधरी मेडिकल सटोर्स	राजकीय चिकित्सालय के सामने	श्री वीरा राम पुत्र पुखाराम चौधरी जनता कॉलोनी, पाली
चौधरी मेडिकल हॉल	वी दुर्गादास नगर	मघा राम चौधरी पुत्र श्री चैमा राम चौधरी 90, जनता कालोनी, पाली।
बालाजी मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर्स	राजकीय चिकित्सालय के सामने	श्री बीजा राम पुत्र श्री दला राम घांची गुन्दोज, जिला – पाली।
भाटी मेडिकोज	सूरजपोल, पाली	श्री चुन्नी लाल पुत्र श्री नारायण लाल घांची मु. पो. –ढाबर, जिला – पाली
भगवती मेडिकलर्स	राज. चि. के सामन सूरजपोल	श्री सवाई सिंह पुत्र जीवराजसिंह राजपुरोहित गाँव पो –ढाबर, जिला – पाली

हरिओम डिस्ट्रीब्यूटर्स	बापू नगर (विस्तार)	श्री राजेन्द्र कुमावत पुत्र श्री ढलाराम महात्मा गाँधी कालोनी , रामदेव रोड़, पाली ।
अशोक मेडिकल एजेन्सी	मिल गेट	श्री राजेन्द्र मणिहार पुत्र श्री कमल किशोर मणिहार, लेबर कालोनी, पाली ।
अरिहन्त फार्मा	62, आदर्श नगर,	श्री मती अनिता जेन पत्नी श्री प्रमोद जैन 2 अ, 43 हाउसिंग बोर्ड, पाली ।
उम्मेद ड्रग्स हाउस	पटवा बाजार, पाली	श्री रामविलास मुंदड़ा पुत्र श्री चुन्नी लाल जी मुंदड़ा 8, बड़ली का बास, पाली ।
वर्द्धमान मेडिकोज	रेल्वे स्टेशन रोड़	श्री प्रकाश चन्द सुराणा पुत्र श्री भंवर लाल सुराणा 31, गजानंद मार्ग, पाली ।
श्री बाला जी मेडिकोज	कालेज रोड़	श्री अनिरुद्ध शर्मा पुत्र श्री दामोदर जी शर्मा 6, रामनगर पाली ।
विवेक मेडिकल स्टोर्स	बांगड़ अस्पताल के सामने	श्री संजय कुमार पुत्र श्री चुन्नी लाल जी 4/66, कमला नेहरू नगर, हाउसिंग बोर्ड, पाली ।
वैष्णम मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर्स	मुसिलम मुसाफिरखाना	श्री सोहन दास वैष्णव पुत्र श्री भंवर लाल जी, मु0 पो0 बांसिया, त. – रायपुर, जिला पाली ।
श्री राम मेडि. एण्ड जन. स्टोर्स	बांगड़ चिकित्सा के सामने	श्री खेता राम पुत्र श्री केराजी चौधरी 2 पंवार भवप, सूरजपोज, पाली ।
गायत्री एण्टरप्राइजेज	6, आदर्श नगर, पाली ।	श्री विमल मूंदड़ा पुत्र श्री चन्द्रकिशोर, 53 बापू नगर, पाली ।
मनीष ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर्स	4, जनता कालोनी, पाली	श्री दौलत राम अग्रवाल पुत्र श्री किशन गोपाल 20, धानमण्डी, पाली ।
वर्द्धमान मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर्स	16, वीर दुर्गादास नगर	श्री हेमन्त कुमार पुत्र श्री धर्मोचन्द्र जैन, 36 प्यारा चौक, रोड़, पाली ।
श्री नवल फार्मासियूटिकल्स	13, आदर्श नगर, पाली	श्री जितेन्द्र व्यास पुत्र श्री दामोदर शर्मा 6, राम नगर, पाली ।
जय श्री बाला जी मेडि स्टोर्स	कालेज रोड़, पाली	श्री राधवेन्द्र शर्मा पुत्र श्री दामोदर शर्मा 6, राम नगर, पाली ।
भाग्य लक्ष्मी मेडि एण्ड जनरल स्टोर्स	सोसायटी नगर पावर हाउस के पास	श्री शंकर लाल मालवीय पुत्र श्री वक्ता राम डायलाना कला, त0 देसूरी, जिला – पाली
श्री निम्बेश्वर मेडिकोज	पशु चिकित्सालय के सामने	श्री रणजीत सिंह गेहलोत पुत्र श्री जीव राज सिंह गेहलोत हास्पिटल रोड़ साण्डेराव जिला – पाली
ज्योति फार्मा	सुमेरपुर रोड़ शिवमार्केट	श्री शिवराम राईका पुत्र श्री अमराराम, मु. वीरमसुरा, रेबारियान, पो. दुसरी जिला पाली
पाली जिला सहकारी उपभोक्ता	चिकित्सालय परिसर	श्री संजय अमरावत पुत्र श्री चन्द्रसेन अमरावत, नया बास, मारवाडध मथानिया, जिला जोधपुर
महेन्द्र मेडिकल्स	बांगड़ चिकि. के सामने	श्री राजेन्द्र वैष्णव पुत्र श्री मुरली मनोहर, बी-74, वीरदुर्गादास नगर, पाली
मेवाड़ा मेडि. स्टोर्स	सूरजपोल	श्री धनराज मेवाड़ा पुत्र श्री माणकचंदजी 10, बापूनगर विस्तार पाली
लक्ष्मी मेडिकल स्टोर्स	राज. चि. के सामने	श्री भंवरसिंह पुत्र श्री बहादुर सिंह चापावत गुन्दोज, जिला पाली
लाइफलाइन फ्ल्यूड स्टोर्स	राजकीय बांगड़ चिकि. परिसर	सचिव, राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी, बांगड़, पाली
मनीष मेडिकल एण्ड जन. स्टोर्स	फतेहपुरिया बाजार	68, सिंधी कॉलोनी, पाली
न्यू मेवाड़ा मेडिकोज	राज. बांगड़ अस्पताल के सामने	श्री जयनारायण मेवाड़ा पुत्र श्री माणकचन्द, 368 बापूनगर, विस्तार, पाली
नागौरा मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर्स	नहर बस स्टेण्ड के सामने	श्री नंदकिशोर शर्मा पुत्र श्री श्यामसुन्दर शर्मा 116, भलावतों का बास, पाली
मातेश्वरी मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर्स	रेल्वे फाटक के पास, सर्वोदयनगर, पाली	श्री नरेन्द्रसिंह पुत्र श्री जयसिंह, 217, शिवाजीनगर, पाली श्री मनोहरसिंह पुत्र श्री चंदनसिंह, महाराणाप्रतापनगर, मकान नं. 133, पाली
पंवार मेडिकल स्टोर्स	राज.चि.के सामने	श्री भीमराम परमार पुत्र श्री लच्छीराम परमार गांव पो., ढाबर, जिला पाली
सिखी मेडिकल स्टोर्स	रा. बांगड़ चि. के सामने	श्री केसराम पुत्र श्री भीका राम गेहलोत बापूनगर, विस्तार पाली
पी.के. एण्ड कम्पनी	फतेहपुरिया बाजार	श्री मोहनलाल पुत्र श्री वेन्सीमल सिंधी 14, सिंधी कॉलोनी, पाली
पाली ड्रग्स एण्ड जन. स्टोर्स	रा.टी.बी. चि.के सामने	श्री लुम्बाराम पुत्र श्री भैराराम 81, जनता कॉलोनी, पाली
रिलिफ फार्मा	राजेन्द्र सिनेमा के सामने	श्री तरुणकुमार पुत्र श्री नाथूलाल आडपवाणी, 117, सिंधी कॉलोनी, पाली
श्री गुरु राजेन्द्र फार्मा	सूरजपोल, पाली	श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री सुमेरमल मेहता, 4, झूरी का बास, पाली
संगम मेडिकोज	नवलखा रोड़, पाली	श्री मरगुब अहमद पुत्र श्री मुस्ताक अहमद 47, बूसी की गली, पाली
सूरज मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर्स	2-क, 15 हाउसिंग बोर्ड, पाली	श्री सूरजप्रकाश सोनी, पुत्र श्री हस्तीमल 18, पल्लीवालों का बास, पाली

सिरवी मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर्स	अस्पताल के सामने	श्री मुकेश कुमार सिरवी पुत्र श्री चिमनाराम मु. नवागुड़ा, पो. गुड़ा एन्डला, पाली
श्याम मेडिकल स्टोर्स	बांगड़ अस्पताल के सामने	श्री ओमप्रकाश अग्रवाल पुत्र श्री मुरलीमनोहर वैष्णव वीरदुर्गादास नगर, पाली
सरस्वती मेडिकल स्टोर्स	सोमनाथ मंदिर के पास	श्री जगदीश पुत्र श्री घमण्डीराम सेवगो का बास, पाली
श्रीनाथ मेडिकोज	सूरजपोल पाली	श्रीमती किस्तुदेवी पत्नी श्री भैरूलाल सिसोदिया 165, जंगीवाड़ा, पाली
विनायक मेडिकल स्टोर	साकेत आश्रम के पास	श्रीमती सुन्दर देवी पत्नी विनोद महावीर कॉलोनी, हीरागवाडी, शिवगंज
सुभाष मेडीकोज	नगरपालिका रोड	श्री मूलचन्द ओसवाल पुत्र देवीचन्द ओसवाल, सेवगों का बास, शिवगंज सिरोही
विजयलक्ष्मी मेडि. एण्ड जनरल स्टोर	अस्पताल रोड	श्री मदन सिंह पुत्र राम सिंह, राजपूतों का बास, सांडेराव, पाली
शान्ति मेडीकोज	पानी की टंकी के पास	श्री दिलीप कुमार पुत्र श्री भूरमल सोलंकी पानी की टंकी के पीछे, सुमेरपुर पाली
मनीष मेडिकल एण्ड जन. स्टोर	राज. अस्पताल के सामने	श्री शान्ति लाल पुत्र श्री गणेशाराम घांची पुलिस थाना, रोड़ सांडेराव जिला पाली
जे.बी. डिस्ट्रीब्यूटर	भैरू चौक	श्री घीसाराम चौधरी पुत्र नथ राम मु. गुड़ा माताजी तह. देसूरी जिला पाली
लक्ष्मी मेडिकल एण्ड जन. स्टोर	राज. चिकित्सालय के पास	श्री हिम्मत मल पुत्र पेमाराम चौधरी टास्कावास, गली नं. 1 तख्तगढ़, पाली
सुमन मेडिकल स्टोर	राज. अस्पताल के सामने	श्री श्रवण कुमार पुत्र उदयराम वैष्णव खेडावासय, तख्तगढ़, पाली
महावीर मेडिकल एण्ड जन. स्टोर	जालौर चौराहा	श्री कन्हैया लाल पुत्र श्री घीसाराम अरोड़ा, सब्जी मण्डी के पीछे, मैन बाजार, शिवगंज, जिला सिरोही
बेस्ट मेडिकल एण्ड जन. स्टोर	बस स्टेंड	श्री जसपाल सिंह राणावत पुत्र श्री समदर सिंह सादो का चौहटा साण्डेराव जिला पाली श्री लाला राम पुत्र धीराराम देवासी गांव खिन्दरा तह. बाली, जिला पाली
बंशी लाल रामलाल मेडिकल एण्ड जन. स्टोर	मैन बाजार	श्री राम लाल पुत्र श्री नारायण जी अग्रवाल मैन बाजार, बांकली तह. बाली जिला पाली
बेस्ट मेडिकल एजेन्सी	मीरा कॉम्प्लेक्स, स्टेशन रोड़	श्री चुन्नी लाल पुत्र केसाजी कुम्हार, कुम्हार बास, बालराई, तह. जिला पाली
आशिष मेडीकोज	राज. चिकि. के सामने	श्री नितेश कुमार पुत्र सतीश चन्द जैन सुभाष नगर, शिवगंज सिरोही श्री भोपालराम पुत्र श्री खमाजी माली मालियों का बास, खुडाला फालना, पाली
अरुण मेडिकल एण्ड जन. स्टोर	जालौर बस स्टेंड	श्री चुन्नी लाल पुत्र श्री नाथ जी धांची हनुमान चौक, शिवगंज जिला सिरोही
देवराज भैरुमल	मैन बाजार	श्री देवराज कोठारी पुत्र मेघराज मैन बाजार, चाणोद, पाली
जयगिरनारी जक्कड़ गुप मेडिकल सटोर्स	राज. चिकित्सालय परिसर	श्री गिरधारी लाल पुत्र चिमना कुमावत कुम्हारों का बास, सुमेरपुर, पाली
जनता मेडिकल स्टोर्स	आजाद चौक	श्री सुभाष चन्द अरोड़ पुत्र श्री मलिक चन्द्र पोस्ट बाक्स नं. 7 तख्तगढ़, जिला पाली
कृष्णा मेडिकल स्टोर	जे.के. अस्पताल परिसर	श्री रमेश कुमार पुत्र हंसराज वैष्णव, मु.पो. बलवना, तह. बाली, पाली
महावीर केमिस्ट	भगवान महावीर चिकित्सालय परिसर रामनगर	श्री हरीश पुत्र श्री कुन्दन मल जैन मंदिर गली, तख्तगढ़, पाली
लालचन्द्र कुन्दनमल	बस स्टेंड	श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री कुन्दन मल जैन मंदिर गली, तख्तगढ़, पाली
मेडिसिन सेन्टर	अस्पताल रोड	श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र रतनलाल मेड़तिया कुम्हारों का बास, सुमेरपुर, पाली
महावीर मेडिकल स्टोर्स	अस्पताल रोड	श्रीमती चन्द्र देवी पत्नी राजेन्द्र भाटी, सुथारों की गली, शिवगंज, सिरोही
मयून फार्मा	स्टेशन रोड़	श्री नथमल शर्मा पुत्र श्री मुन्नीलाल मु.पो. नोवी तह. सुमेरपुर, पाली
महालक्ष्मी मेडिकल एण्ड जन. स्टोर	बस स्टेंड के पास	श्री नरेश कुमार पुत्र श्री चुन्नी लाल घांची कोसेलाव, पाली
दिम्बेश्वर मेडिकल स्टोर	अस्पताल रोड	श्री महेन्द्र सिंह गहलोत पुत्र श्री जीवन सिंह अस्पताल रोड़, सोडराव, पाली
मयूर मेडिकल स्टोर	होस्पिटल रोड़	श्री नथमल शर्मा पुत्र श्री मुन्नी लाल मु.पो. नोवी तह. सुमेरपुर, पाली

सोजत ड्रग एजेन्सीज	अस्पताल रोड	श्री सतीश चन्द्र सोनी पुत्र मोती लाल सुमेरपुर, पाली
सत्यम मेडीकोज	राज. अस्पताल के सामने	श्री धन्नाराम पुत्र भबूताराम कुमावत मठ की गली, बालराई, पाली
सुमित्रा मेडीकोज	जवाई बांध रोड	श्री विजय कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश 1/92, हाऊसिंह बोर्ड, सुमेरपुर, पाली
श्रीमेडिकल स्टोर	राज. अस्पताल के सामने	श्री ललित सिंह पुत्र री रघुराज सिंह शक्तावत रामदेव गली, तख्तागढ़, पाली
शिवम् मेडिकल स्टोर	बस स्टेण्ड	श्री चुन्नी लाल पुत्र श्री केसा मु. पोस्ट बालराई, पाली
अम्बिका मेडिकल स्टोर	राज. अस्पताल के सामने	सी-11, राठौड हाउस, वीरदुर्गादास नगर, पाली
भगवती मेडिकल एण्ड जन. स्टोर	राज. अस्पताल के सामने	चामुण्डराय सिंह पुत्र श्री कल्याण सिंह रावला रोड, रोहट, पाली
चौधरी मेडिकल स्टोर	पेट्रोल पम्प के सामने	भीमाराम पुत्र श्री बांजाराम चौधरी मु.पो. रोहट, पाली
चौराई मेडिकल स्टोर	बस स्टेण्ड	श्री लक्ष्मण राम चौधरी पुत्र श्री पूनमराम चौधरी सिराणा पो. चेण्डा, पाली
किरण मेडिकल स्टोर	पुराना बस स्टेण्ड	श्री गुमानसिंह जोवराज सिंह मु.पो. ढाबर तह. पाली
प्रकाश मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर	बस स्टेण्ड	श्री केवल राम पटेल पुत्र श्री लुम्बा राम पटेल, गांव सारी की ढाणी, तह. पाली
विजय मेडीकोज	राज. अस्पताल के सामने	श्री खुमान सिंह पुत्र अमृतलाल पंवार मोहल्ला केसरिंगघाटी, कस्बा, देवगढ़, राजसमंद
श्री महावीर एजेन्सी	आऊवा रोड	श्री बाबूलाल सेठिया पुत्र श्री धीसूलाल गांव चेलावास, तह. खारची, पाली
जय अम्बे मेडीकल स्टोर	राज. अस्पताल के पास	श्री देवाराम पुत्र केसाराम सौरती गांव गुडागरी तह. मारवाड़ जं., पाली
तुलसी मेडिकल स्टोर्स	राज. अस्पताल के सामने	श्री हरीश कुमार सामनानी पुत्र श्री सेवाराम सामनानी मारवाड़ जं. पाली
तुलसी मेडीकोज	आऊवा रोड	श्री रवि प्रकाश रामनानी पुत्र सेवाराम आऊवा रोड पाली
चन्दन मेडिकल स्टोर्स	राज. चिकित्सालय के सामने	श्री जगदीश चंद पुत्र श्री कूपाराम चौधरी रानावास तह. मारवाड़ जं. पाली
चौधरी मेडिकल स्टोर	सुखालय होस्पिटल के सामने	श्री मीठा लाल पुत्र जसाराम चौधरी गुडा केसर सिंह तह. खरची पाली
भण्डारी केमिस्ट	राज. अस्पताल के पास	श्री दिलीप कुमार पुत्र श्री पारसमल भण्डारी, निवासी धनला तह. मारवाड़, पाली
अनमोल मेडिकल स्टोर	मारवाडी बाजार	श्री जीवराज पुत्र श्री बस्ती मल मारवाड़ जं. पाली
लक्ष्मी मेडि. एण्ड जन. स्टोर	बस स्टेण्ड	मदन दास पुत्र वरदाराम वैष्णव मु.पो. ढालोप, स्टेशन रानी, पाली
जे. अमोलक एण्ड ब्रदर्स	मैन बाजार	श्री मोहन लाल पुत्र श्री बस्तीराम मारवाड़ जं., पाली
दिनेश मेडिकल एण्ड जन. स्टोर	राज. अस्पताल के सामने	श्री दिनेश कुमार जोशी पुत्र राधाकिशन जोशी राणावास तह. मारवाड़, मारवाड़ जं. पाली
महादेव फार्मा	राज. अस्पताल के पास	श्री रेवत सिंह देवड़ा पुत्र श्री बिशनसिंह देवड़ा राममंदिर की गली, मारवाड़ जं. पाली
साधना मेडीकेयर	सुखालय अस्पताल परिसर	श्री पुष्पा देवी पत्नी भंवर लाल सोनी, किलंगा पोल, मकान नं. 4, पाली
पूजा मेडीकल्स	सुखालय अस्पताल के सामने	श्री भूराराम चौधरी पुत्र भरम राम गांव पोस्ट ईसाली, वाया आऊवा तह. मारवाड़ जं. पाली
पंकज मेडीकल स्टोर	बान्ता	श्री तेजराज सोनी पुत्र गोवर्धन मु.पो. आऊवा वा. मार. जं. पाली
रिषभ सागर मेडिकल स्टोर	एन. आर गेट के पास	श्री केवल चंद पुत्र श्री रूपचंद जी मारवाड़ जं जिला पाली
सोनी मेडिकल स्टोर	राज. अस्पताल के पास	श्री शान्ति लाल सोनी पुत्र श्री गोरधन लाल जी सोनी मु.पो. आऊवा तह. मारवाड़ जं. जि. पाली
चौधरी मेडिकल स्टोर	राज. अस्पताल के सामने	श्री नरेन्द्र चौधरी पुत्र बोहरा राम ग्राम धकड़ी त. सोजत सिटी, पाली
चौधरी मेडिकल सेंटर	राज. अस्पताल के सामने	श्री देवेन्द्र कुमार पुत्र भीखाराम सीखी धनला मारवाड़ा जं. पाली
अशोक मेडिकल स्टोर	राज. अस्पताल के पास	श्री अशोक कुमार पुत्र सोहन लाल सवराड़ा वाया सोजत रोड़, पाली
सोलंकी मेडीकल स्टोर	राज. अस्पताल के सामने	कैलाश चन्द्र पुत्र गापाराम सोलंकी बेरा कमेडा बाग, सोजत सिटी, पाली
बालाजी मेडिकल एण्ड जन. स्टोर	राज. चिकित्सालय के सामने	श्री हापुराम पुत्र घीसाराम जी सिखी , मु.पो. सियाट, तह. सोजत सिटी, पाली
लाईफ लाईन फलूड स्टोर	राज चिकित्सालय परिसर	राज. चिकित्सालय परिसर, सोजत सिटी, पाली
भवानी मेडिकल स्टोर	राज. चिकित्सालय के पास	तारा राम राणवा मु. पो. मुसालिया, वाया सोजत रोड़, पाली
निर्मल मेडिकल एण्ड जन. स्टोर	रा.प्रा. कन्या विद्यालय के सामने	थानाराम पुत्र घिसाराम सिखी बेरा जुना निम्बाडिया, पो. सियाट, वाया

		सोजत रोड़, पाली
ओम मेडिकल स्टोर	पुलिस थाना रोड़	ओम प्रकाश पुत्र भगराराम माली धोलावाडी का बास, सोजत सिटी, पाली
अशोक मेडिकल स्टोर	राज. अस्पताल के सामने	श्री कल्याण सिंह पुत्र श्री कान सिंह माली, सोजत सिटी पाली
चौधरी मेडि. एण्ड जन. स्टोर	मैन बाजार	पेमाराम पुत्र श्री मगराज जी चौधरी बेरा गंगासागर, चण्डावल नगर, जिला पाली
किशन मेडिकल स्टोर्स	अस्पताल के सामने	श्री अनिल कुमार पुत्र श्री किशन गोपाल चांदपोल केट के अन्दर, सोजत सिटी, पाली
जनता मेडिकल स्टोर	सामु. स्वा. केन्द्र के सामने	श्री गुलाम मोहम्मद पुत्र, मौजूदीन खरीदी, खरादीयों का मोहल्ला, बगड़ी नगरा, पाली
रामावता मेडिकल स्टोर	राज. अस्पताल के पास	श्री तेजाराम पुत्र श्री मलदास वैष्णव गांव-खिनावड़ी, तह. जैतारण, पाली
न्यू हनुमान मेडिकल स्टोर	राज. अस्पताल के पास	श्री गजाराम पुत्र श्री मूलाराम सौरवी निवासी अटबड़ा तह. सोजत सिटी, पाली
मेहता मेडिकल	राज. अस्पताल के सामने	श्री जगदीश कुमार कोठारी पुत्र श्री प्रकाश राज श्रीमती उत्तम कुमारी पत्नी विजेन्द्र कुमार सिंघवी मोदिया का मोहल्ला, सोजत सिटी,
मेडिसिन ट्रेडर्स	मैन बाजार	श्री नारायण लाल पुत्र श्री नेनुराम जी देवासी मैन बाजार, सोजत रोड़, पाली
शिव मेडिकल एजेन्सी	बस स्टैण्ड	भंवर लाल पुत्र श्री शंकर लाल माली चोला सागर, बेरा निम्बली नाडी, सोजत सिटी, पाली
सोनी मेडिकल एजेन्सीज	राज अस्पताल के सामने	श्री मदन लाल सोनी पुत्र श्री जोवराज जी मुणोतों का बास, सोजत सिटी, पाली
टाप मेडिको एजेन्सीज	पाली दरवाजा	श्री राम लाल पुत्र श्री भगराम माली, पाली दरवाजा, सोजत सिटी, पाली
शान्ति एण्ड ब्रदर्स	राज. अस्पताल के पास	श्री शान्ति लाल पुत्र तुलसीदास मुरलीधर जी का चौक, चण्डावल, तह. सोजत सिटी, पाली
गणपति मेडिकल एण्ड जनरल	डाक बंगला रोड़	श्री तरुण व्यास पुत्र कैलाश नारायण व्यास फतेहपुरिया, चौपड़, अजमेरी गेट, ब्यावर, अजमेर
पी.के. मेडिकल स्टोर	बस स्टैण्ड	श्री अलादीन पुत्र शम्भुदीन पीपलिया कला, रायपुर, पाली
भगवान मेडिकल स्टोर	राज. अस्पताल के सामने	श्री सुनील कुमार पुत्र श्री पुखराज गुप्ता पंटाओं की पोल, रायपुर, पाली
भारत मेडिकल स्टोर	राज. अस्पताल के सामने	श्री विनोद लोढ़ा पुत्र गौतम चन्द, लोटों का बास, रायपुर, पाली
श्री गणेश मेडिकल एण्ड जन. स्टोर	तेज चौक	श्री सत्यनारायण सैन पुत्र राम लाल सैन गिरी तह. रायपुर, पाली
श्री दुलैराज सुगनचंद लोटा	राज. अस्पताल के सामने	श्री गौतम चन्द लोढ़ा पुत्र श्री सुगन चंद, लोढ़ों का बास, रायपुर, मारवाड़, पाली
जगदम्बा मेडिकल स्टोर	राज. अस्पताल के सामने	श्री विजेन्द्रसिंह पुत्र श्री बहादुर सिंह राठौड़, गांव निम्बाज, त. जैतारण, जिला पाली
इन्द्रा मेडिकल स्टोर	बस स्टैण्ड	श्री सत्यप्रसन्नसिंह पुत्र श्री नारायणदान खिडिया, निवासी कावेलिया, खुर्द, त. जैतारण पाली
जनता मेडिकल स्टोर	उम्मेद मार्केट	श्री बाबूलाल गेहलोत पुत्र श्री नारायण गेहलोत, ताबूतों की निम्बड़ी, त. जैतारण, पाली
गणेश मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर	आंखों के अस्पताल के सामने जैतारण	श्री मोहन महर्षि पुत्र अमरचंदजी लखरो का बास, जैतारण, जिला पाली
गेहलोत मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर	रेफरल अस्पताल के सामने	श्री रतन लाल पुत्र श्री धर्मीचन्द्र गेहलोत मु.पो. आनन्दपुर कालू, त. जैतारण, पाली
गेहलोत मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर	राज.अस्पताल के पास	श्री समन्दरराम पुत्र श्री शंकरलाल माली अ.कालू त. जैतारण, पाली
भारत मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर	राजकीय अस्पताल के पास	श्री विष्णुदेवासी पुत्र श्री प्रेमराम देवासी मु.पो. बलून्द्रा, त. जैतारण, पाली
आनन्द मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर	राज. चिकि. के पास	श्री गिरधारी पुत्र श्री मुरलीधरजी नाईयों का बास, आ. कालू, त. जैतारण, पाली
भाटी मेडिकल स्टोर	राज. अस्पताल के सामने	श्री नंदकिशोर भाटी पुत्र श्री सोहनलाल भाटी अग्रवा रोड़, जैतारण, पाली

बशीलाल भैरुलाल	मैन बाजार	श्री रामेश्वरलाल पुत्र श्री गणेशमल ब्राह्मण, लखारों का बास, जैतारण, पाली
आनन्द मेडिकोज	राज. अस्पताल के पास	श्री सुखदेवसिंह चारण श्री अर्जुनसिंह चारण, कांवलिया खुर्द, त. जैतारण, जिला पाली
अनिल मेडिकल स्टोर	राज. चिकि. के सामने	श्री तेजमल पुत्र श्री किशन प्रजापत कुन्दन भवन गली, ब्यावर, जिला अजमेर
अश्विनी मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर	पेट्रोल पम्प के सामने	श्री अश्विनी कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश जोशी का रोलिया रोड, जैतारण, पाली
माताजी मेडिकल स्टोर	राज. चिकित्सालय के सामने	श्री भगवानाराम सिखी पुत्र श्री लाबूराम सिखी बेरा शिवसागर, ग्राम झाक, तह. बिलाडा, जोधपुर
टाक मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर	अस्पताल के पास	श्री विनोदकुमार पुत्र श्री जीवराज टांक, गांव निम्बोल, त. जैतारण, पाली
प्रकाश मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर	बस स्टैण्ड	श्री प्रकाश चंद पुत्र श्री मुरलीधर सैन, मु.पो. आ.कालू, त. जैतारण, पाली
महावीर मेडिकल स्टोर	अस्पताल के पास	श्री अजय कुमार जैन पुत्र श्री मुन्ना लाल जैन, मु.पो. जैतारण, पाली
नितीन मेडिकल स्टोर	राजकीय अस्पताल के सामने	श्री तेजाराराम घांघी पुत्र श्री राधाकिशन घांघी, घांघियों का बास, निम्बोल, त. जैतारण, पाली
युंकावत मेडिकल स्टोर	राजकीय अस्पताल के पास	श्री धन्नाराम युंकावत पुत्र श्री भवानीराम राकावंत राजकीय अस्पताल के पास, जैतारण, पाली
श्री काटेश्वर मेडिकोज	अस्पताल के सामने	श्री ओमप्रकाश ओझा पुत्र श्री पुखराज गांव लूणावा, त. बाली, जिला पाली
लक्ष्मी स्टोर्स	स्टेशन रोड	श्री जयन्तीलाल सिरिया पुत्र श्री लक्ष्मीचंद सिरिया भवन, जूनाबाजार, फालना स्टेशन, पाली
जय अम्बे मेडि. स्टोर्स	बस स्टैण्ड	श्री श्याम आडा पुत्र श्री सवाईसिंह आडा, बस स्टैण्ड, नाना, हॉल बापूनगर, पाली
गायत्री मेडिकल स्टोर	बस स्टैण्ड	श्रीमती चेतना रावल पत्नी श्री हरिश चन्द्र चामुण्डेरी, वाया, पाली
ईश्वरदास ताराचंद	गणेश बाजार	श्री आनन्दीलाल जैन पुत्र श्री ताराचन्द्र जैन, बाली, पाली
चौधरी मेडिकल	रंजनसराय बस स्टैण्ड, बाली	श्री मानाराम पुत्र श्री नत्थराम चौधरी श्री बाबूलाल पुत्र श्री देवाजी सैन, बाली, पाली
चौधरी मेडिकोज	राज. अस्पताल के सामने	श्रीमती गुणवन्ती नागौरी पत्नी श्री केवलचंद नागौरी नयापपुरा, खुडाला, पाली
अंकित मेडिकोज	रा.चि.के पास	श्री दिलीप कुमार परमार पुत्र श्री बशीलाल नाई, राजकीय चिकित्सालय के सामने फालना (बाली), पाली
अम्बिका मेडिकल स्टोर	माताजी रोड	श्री बागसिंह पुत्र श्री मोड सिंह राजपूत आईदानपुरा, मण्डारा, त. बाली, पाली
अम्बे मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर	कॉलेज रोड	श्री मिश्रीलाल पुत्र श्री शंकर लाल त्रिवेदी सुभाष रोड, फालना, पाली
अभिषेक मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर	महावीर हास्पिटल के सामने	श्री हंसमुख लाल पुत्र श्री घीसूलाल ब्राह्मण मु.पो. सेवाड़ी, वा. बाली, पाली
आशापुरा मेडि. स्टोर	खेतलाजी चौक बस स्टैण्ड	श्री हिम्मतसिंह पुत्र श्री जुहारसिंह निवासी पादरला, त. बाली, पाली
अनिल मेडिकोज	पंचायत भवन के सामने	श्री मोहनलाल मेडतिया पुत्र श्री चिमनाजी मेडतिया छिपों का बास, बाली, पाली
बसंल मेडिकल स्टोर	रा. अस्पताल के सामने	श्री गोविन्दलाल अग्रवाल पुत्र श्री ताराचंद अग्रवाल, मु.पो. बाली, पाली
एन.के. मेडिकोज	रा.चि.के पास	मोहम्मद सलीम पुत्र नूरमोहम्मद आजाद, कॉलोनी, बाली, पाली
महावीर मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर	बस स्टैण्ड अस्पताल के पास	श्री पन्नालाल प्रजापत पुत्र श्री जेठाजी प्रजापत, मु.पो. करनवा, पो. लूणावा, बाजी, पाली
राजश्री मेडिको	राजपूतों का मौहल्ला	श्री हनुवंत सिंह राठौड पुत्र श्री हीरसिंह गांव पो. सेवाड़ी, त.बाली, पाली
महालक्ष्मी मेडिकल स्टोर	हॉस्पिटल रोड	श्री भरतकुमार पुत्र श्री चुन्नीला रावल मु.पो. नाणा, तह. बाली, पाली
दिन-रात मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर	हनुमान चौक	श्री हितेशकुमार रावल पुत्र श्री बिरदीचंद रावल, मु.पो. नाणा, त. बाली, पाली
सावरिया मेडिकोज	स्टेशन रोड	श्रीमती सरिता सिरिया पत्नी श्री दिलीपकुमार मस्जिद की गली, फालना, त. बाली, पाली

जगदीश मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर	मैन रोड	श्री जगदीश पुरोहितपुत्र पूनमचंद पुराहित निवासी बीजापुर, त.बाली, पाली
श्रीगुरुकृपा एन्टरप्राइजेज	वर्धमान नगर	श्री सोहन लाल पुत्र श्री खीमराज रावल रावल का बास, सेला गेट, कचहरी रोड, बाली
हेमन्त मेडिकोज	बस स्टेशन	श्री नरपतसिंह पुत्र श्री अर्जुनसिंह राजपूत, गांव बेडा, त. बाली, पाली
महावीर मेडिकल स्टोर	माताजी रोड	श्री गोविन्दकुमार पुत्र श्री दूदराम सुथार, सुथारों का बास, मुण्डारा, बाली, पाली
महावीर ड्रग हाउस	सदर बाजार	श्री प्रभाव कुमार जैन पुत्र श्री पुखराज दरवाजा का बास, सेवाड़ी, पाली
मोहन मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर	रा.चि. के पास	श्री मोहन लाल पुत्र श्री साकलचंद जैन, गांधीबास, लुणावा, बाली, पाली
साई मेडिकोज	कॉलेज रोड	श्री हिमांशु व्यास पुत्र श्री डॉ. के.के. व्यास, कॉलेज रोड, फालना, पाली
संतोष मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर	हॉस्पिटल रोड	श्री सूर्यकान्त पालीवाल पुत्र श्री गंगाराम पालीवाल मु. पो. सेवाड़ी, त. बाली, पाली
श्री मेडिसिन्स	रंजन सराय	वेदप्रकाश गेहलोत पुत्र श्री मोतीलाल गेहलात पुलिस थाने के पीछे, बाली, पाली
साई मेडिकल	साई आनंद आरोग्य धाम	श्री चुन्नीलाल सिखी पुत्र श्री मनाजी चौधरी लम्बी बास, रडावा, बाली, पाली
मेडिकेयर	हॉस्पिटल रोड	श्री करीमबक्ष टांक, पुत्र श्री हाजीकासम, खडियों का बास, मु.पो. बाली, पाली
मनोहर मेडिकल स्टोर	बस स्टेशन	श्री चन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री मालमसिंह राणावत राणावतों का बास, बिजापुर, बाली, पाली
न्यू मेडिकल स्टोर	चौपड़ा हास्पिटल के सामने	श्री नूरमोहम्मद टांक पुत्र श्री मालमसिंह टांक, गांधी चौक, मस्जिद के पीछे, बाली, पाली
परमार मेडिकल स्टोर	रा.चि. के सामने	श्री गणेश राम घांची पुत्र श्री रूपाजी घांची सुभाष, बस्ती, बरवा का जाव, बाजी, पाली
पंकज मेडिकल स्टोर	श्री भैरव नेत्र यज्ञ समिति, बीसलपुर	श्री सुखलाल सुथार पुत्र श्री चिमामाजी, मु.पो. खिवान्दी, स्टे.-जवाई बांध, ध.त. बाली, पाली
प्रवीण मेडिकल स्टोर	एम.सी. डब्ल्यू सेन्टर के पास	श्री आनन्दीलाल अग्रवाल पुत्र श्री ताराचंद जणेशजी, बाली, पाली
पूजा मेडिकल स्टोर	मेमन स्ट्रीट	श्री भरतसिंह पुत्र श्री भंवर सिंह राठौड़, गांव पो. नाणा, त. बाली, पाली
रॉयल मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर	तारावा चौक	श्री रमेश कुमार परमार पुत्र श्री सखाराम परमार, तारावा चौक, मुण्डारा, त. बाली, पाली
श्रीराम मेडिकेयर	रा.चि. के सामने	श्री जीवराज घांघी पुत्र श्री दलाराम घांघी, जैन न्याति नौरा के पास, बाली, पाली
के.बी. मेडिकल स्टोर्स	हिंण्ड मोहल्ला	श्री मोहम्मद युसुफ पुत्र हाजी कासम छीपों का मोहल्ला, बाली, पाली
कुबेर मेडिकोज एण्ड जन. स्टोर्स	मैन रोड	श्री जयदत्त व्यास पुत्र श्री मोहनलाल जी सिरवियों का बास, घाणेरव, जिला पाली
खेतेश्वर मेडिकल स्टोर्स	रा.चि. के सामने	श्री नरेश कुमार राजपुरोहित पुत्र श्री परमानंद मु.पो. नाडोल, त. देसूरी, पाली
कमल मेडिकल्स	हास्पिटल रोड	श्री रमेश कुमार पुत्र श्री मांगीलाल अग्रवाल हास्पिटल रोड रानी, पाली
कमल मेडिकल स्टोर्स	रा. अस्पताल के पास	श्री रमेश कुमार पुत्र श्री चम्पालाल नाई मादरास रोड, सादड़ी, पाली
हस्ताक्षर मेडिकल	प्रतापबाजार	श्री हरिप्रकाश श्रीमाली पुत्र श्री मदनलाल श्रीमाली प्रताप बाजार, रानी बाजार, पाली
गणेश मेडिकल स्टोर्स	रा.चि.के पास	श्री गणेशराम चौधरी पुत्र श्री जीताराम चौधरी वाया पो. पानोता, तह. खारची, पाली
दलपत मेडिकल स्टोर्स	बस स्टेशन	श्री भंवरलाल पुत्र श्री घेवरचंद जैन, बड़ा बास, नाडोल, पाली
दलपत मेडिकोज	सरकारी अस्पताल के सामने	श्री अरविन्द कुमार जैन पुत्र श्री घेवरचंद जैन बड़ा बास, नाडोल, पाली
चौधरी मेडिकोज	पंचायत भवन के सामने	श्री कसाराम चौधरी पुत्र श्री भारमराम चौधरी गुगु ईसाली, त. मा. जं. पाली
चौधरी मेडिकोज	पंचायत भवन के सामने	श्री कसाराम चौधरी पुत्र श्री भारमलराम चौधरी, ईसाली, त. मा.जं., पाली
चौधरी मेडिकल सेन्टर	राज. चि. के सामने	श्री वरदाराम चौधरी पुत्र श्री लच्छाराम चौधरी, मु.पो. किशनपुरा, पाली
भारत मेडिकल स्टोर्स	बस स्टेशन	श्री भीकाराम चौधरी पुत्र श्री चुन्नीलाल

		म.न. 394, गोगरू बास, सादड़ी, त. देसुरी, पाली
भारत मेडिकोज	बड़ीवाड़ी	श्री लक्ष्मीनारायण परमार पुत्र श्री गुमानसिंह अजीत बाग के पास, केनतालाबा, घाणेराव, त. देसुरी पाली
श्री आत्मानंद मेडिकेज	रणकपुर रोड़ बागीवास	श्री सोमाराम प्रजापजती पुत्र श्री पूनाराम प्रजापत रणकपुर रोड़, सादड़ी, त. देसुरी, पाली
विजय मेडि. स्टोर्स	रा.चि.के पास	श्री मोतीलाल पुत्र श्री फूटरमल जैन, देसुरी, पाली
श्री राम मेडिकल एण्ड जन. स्टोर्स	बस स्टेण्ड	श्री अशोक कुमार पुत्र श्री मदनलाल दवे, गोपनिया का बास देसुरी, पाली
ओउम श्री अम्बिका मेडिकोज	राज. हॉस्पिटल का पिछला गेट	श्री अचलाल राम पुत्र श्री लच्छाजी चौधरी मु.पो. धनला, त.मा.ज., पाली
संजीवनी मेडिकल स्टोर्स	प्यारोमा अस्पताल परिसर	श्री वेनाराम चौधरी पुत्र श्री भीमाराम चौधरी गांव पो. धनला, त.मा.ज., पाली श्री गोपालसिंह राजपूत पुत्र श्री अमरसिंह राजपूत मु.पो. खिंवाड़ा, त. देसुरी, पाली
वेलकम मेडिकल एण्ड जन. स्टोर्स	हास्पिटल रोड़	श्री नरेन्द्र सोलंकी पुत्र श्री विजय सिंह सोलंकी मु.पो. बागोल, त. देसुरी, पाली
मोहन मेडिकल	बस स्टेण्ड	श्री मोहन आचार्य पुत्र श्री पुखराज आचार्य, मु.पो. खिंवाड़ा, त. देसुरी, पाली
धनवंतरी मेडि. स्टोर्स	आरोग्य धाम रणकपुर रोड़	श्री चम्पालाल पुत्र श्री नारायण लाल परमार राज. चिकि. के पीछे, सादड़ी, देसुरी, पाली
श्री विनायक मेडि. एण्ड जन. स्टोर्स	बस स्टेण्ड	श्री मांगीलाल श्रीमाली पुत्र श्री छगनलाल श्रीमाली बस स्टेण्ड, नारलाई, देसुरी, पाली
राठौड़ मेडिकल्स	हास्पिटल रोड़ के सामने	श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री उगमसिंह राठौड़ गांव बूसी त. बाली, देसुरी पाली
मूछाला महावीर मेडिकल स्टोर	किर्ती स्तंभ घाणेराव	श्री अशोक कुमार पुत्र श्री जेठमल फालना स्टेशन, पाली
परिहार मेडिकल एण्ड जन. स्टोर	रा. चिक. के सामने	श्री कृष्ण निवास परिहार पुत्र श्री रामनिवास घांची गांव पोस्ट बूसी,, वाया सोमेसर, पाली
तुलसी मेडि. एण्ड जन. स्टोर	राज. चि. के सामने	श्री रतनसिंह सांखला पुत्र श्री पन्नालाल सांखला, भंवालबेरा, मण्डोर, जिला जोधपुर
त्रिवेणी मेडिकोज	प्रतापबाजार	श्री जोधाराम पुत्र श्री मानाराम प्रतापबाजार, रानी
टांक मेडिकल स्टोर	बस स्टेण्ड	पुत्र श्री हाजीरहमान टांक, बस स्टेण्ड के पास, सादड़ी, पाली
त्रिरूपति फार्मा	हास्पिटल रोड़	श्री सुरेश अग्रवाल पुत्र श्री मांगीलाल अग्रवाल, हास्पिटल रोड़, रानी, देसुरी, पाली

ट्रांसपोर्ट्स की सूची

क्र.सं.	तहसील	ट्रांसपोर्ट का नाम	फोन नं.
1.	पाली	ट्रक ऑपरेटर यूनियन	221799
2.	बाली	गड़वाल बस ऑपरेटर यूनियन	233131, 233231
3.	देसुरी	गड़वाल बस ऑपरेटर यूनियन	233131, 233231
4.	सुमेरपुर	सुमेरपुर	254230
5.	सोजत	सोजत बस ऑपरेटर यूनियन	222077, 222866

पेट्रोल पम्पों की सूची

S. No.	Company	RO NAME	Village	Block	Contact
1	BPCL	HANUMAN PETROLEUM	VILLAGE NANA, TEHSIL BALI, DISTRICT PALI-306504	Bali	7697538251
2	BPCL	KISAN SERVICE CENTRE	SH-16, FALNA-BALI ROAD, KATCHERI ROAD, BALI, DIST.PALI-306701.	Bali	9829282595 8233990495
3	IOCL	KHALSA MOTORS	FALNA	Bali	7665721735
4	IOCL	M/s. ASHAPURA F/STN.	SRI SELA	Bali	9928399404
5	IOCL	SHRI NAGNECHI MATA KSK	SEWARI	Bali	9950285352
6	IOCL	KAMAL PETROLEUM (21005)	BERA	Bali	9214400231
7	IOCL	NANA INDIAN OIL (KSK)	NANA	Bali	8952079036
8	Nayra	Maa Chamunda Filling Centre	Mundara	Bali	9928245313
9	Nayra	Mateshwari Filling Station	Virampura	Bali	8769624435
10	Nayra	Maa Chamunda Fuels	Latara	Bali	9928245313
11	Nayra	VARDHAMAN FILLING STATION	Bijapur	Bali	9828560999
12	Nayra	Seervi Petroleum	Bali	Bali	9829232448
13	Nayra	Umed Nenaram & Sons	Mokhampura	Bali	8956888878
14	BPCL	AAI MATA FILLING STATION	VILLAGE-NADOL, TEHSIL -DESURI DIST.PALI-306603	Desuri	9414549827 7891994610
15	BPCL	AISHWARYA FUEL HUB	NADOL UP TO 2 KMS ON SH-67, TOWARDS NARLAI, TEH.- DESURI, DIST.- PALI, RAJASTHAN-306603	Desuri	9414526984 9660462567
16	BPCL	MAA KRIPA FILLING STATION	709/186, DAILANA RAOD, VILL.- KESULI, TEH.- DESURI, DIST.- PALI, RAJASTHAN - 306603	Desuri	9414469876 9928386842
17	BPCL	RIDHI SIDHI PETROLEUM	VILLAGE- GANERAO, TEHSIL- DESURI,	Desuri	9414524333 9680399518

			DIST.- PALI 306704		
18	HPCL	M/s SINGH HP FILLING STATION	Desuri	Desuri	9784568401
19	HPCL	M/S MAA ASHAPURA HP FILLING STATION	Desuri	Desuri	9602132592
20	HPCL	M/s TIRUPATI FILLING STATION, NADOL	Nadol	Desuri	9166669006
21	HPCL	M/s SURESH KUMAR GHISOOLAL & CO.,SA	Sadri	Desuri	9571154054
22	HPCL	M/sJAISINGH SHYAM FILLING STATION,D	Desuri	Desuri	9468577575
23	IOCL	PAWANPUTRA PETROLEUM	DESURI	Desuri	9414205346
24	IOCL	POOJA FILLING STATION	NARLAI	Desuri	9783365580
25	IOCL	SRI SAI INDIAN OIL	SADRI	Desuri	9024919156
26	Nayra	Laxmi Filling Station	Desuri	Desuri	9414121998
27	Nayra	Kheteshwar Filling station.	Sadri	Desuri	9414608347
28	Nayra	Rajdhani Petroleum	Kotri	Desuri	9867262201
29	Nayra	Chamunda Fuels	Bhadarlau	Desuri	9610587070
30	Nayra	Yeshvi Filing Station	Dadai	Desuri	8058132471
31	BPCL	AUWA AUTOMOBILES	VIA : MARWAR JUNCTION, AUWA, DIST. PALI-306021	Marwar Jn	9828451337 8094156287
32	BPCL	LAXMI PETROLEUM	VILL & POST : JOJAWAR, ON ODR 75, DIST. PALI-306022.	Marwar Jn	7372973229 9799905192
33	BPCL	MARWAR FUEL CENTRE	VILL : HEMLIYAWAS KHURD, AUWA ROAD, MARWAR JUNCTION, DIST. PALI - 306001.	Marwar Jn	9414306807 9413427345
34	HPCL	M/s JAI AMBE PETROLEUM, CHELAWAS	Chelawas	Marwar Jn	9680026033
35	HPCL	M/s BHAGWATI GARG PETROLEUM, DHANLA	Dhanla	Marwar Jn	9829196916
36	HPCL	M/s SHARMA PETROLEUM,JADAN	Jadan	Marwar Jn	9571691107
37	HPCL	M/S RONAK HP AUTOMOBILE, JOGRAWAS	Jagrawas	Marwar Jn	9869972755
38	HPCL	M/s MAA JAMWAI HP FILLING STATION,K	Kharchi	Marwar Jn	7023719572
39	HPCL	M/s MAA KOSALYADEVI HP FLNG STN,JOJ	Jojawar	Marwar Jn	9983654643
40	IOCL	BALAJI HIGHWAY FUELS	VOPARI	Marwar Jn	9772853999

41	IOCL	BHAGYA LAXMI FILLING STATION	MANDA	Marwar Jn	9049183450
42	IOCL	GOVERDHAN PETROLEUM	SIRIYARI	Marwar Jn	9351124237
43	IOCL	KAMAL FILLING ST(12017)	KHARCHI	Marwar Jn	9414608225
44	IOCL	MAA AAI JI FILLING STATION	MARWAR JUNCTION	Marwar Jn	9887685902
45	IOCL	SHRINATH AUTOMOBILES(12015)	KANTALIYA	Marwar Jn	7737760416
46	IOCL	VAISHNO DEVI AUTOMOBILES	JOJAWAR	Marwar Jn	9783605050
47	IOCL	VINOD AUTOMOBILES (12004)	JADAN	Marwar Jn	9950255509
48	Nayra	I.G.Filling Station	Khardi	Marwar Jn	9982895102
49	Nayra	Bhawani Fuel Station	Auwa	Marwar Jn	9828797149
50	BPCL	KISAN FILLING STATION	VILL : BHANWARI, PALI-JALORE ROAD, DIST. PALI-306401.	Pali	9462707962
51	BPCL	GURU KRIPA PETROLEUM	VILLAGE BHAWNAGAR, ON SUNDELAW TO BHAWNAGAR, (VR-419), GRAM PANCHYAT - SAKADRA, TEHSIL PALI, DISTRICT PALI- (RAJ)-306401	Pali	9461999777 9829028254
52	BPCL	LAXMI PETROL PUMP-HSD	VILL :HATHLAI, PALI-SIROHI ROAD, DIST. PALI-306401.	Pali	9414122455 9414622455
53	BPCL	MEHTA MOTORS	MANDIA ROAD, PALI CITY, DIST. PALI-306401.	Pali	9414122455 8104900550
54	BPCL	KACHHAWAHA BUS SERVICE	VILL :UTHVAN ON NH-14, TEHSIL : PALI, DIST. PALI -306401.	Pali	9414122974 9214420974
55	BPCL	JAI GURUDEV FILLING STATION	KHERWA TO MARWAR ROAD (ODR), VILLAGE KHERWA, TEHSIL PALI, DISTRICT PALI, RAJASTHAN- 306501	Pali	9636901014 8104510190
56	BPCL	BP PALI	VILLAGE MANDLI KHURD, ON NH-62, JODHPUR-PINDWARA ROAD, TEHSIL PALI,	Pali	

			DISTRICT PALI, RAJASTHAN-306302		
57	BPCL	MAA KARNI FUEL STATION	MANDLI TO DENDA ROAD, VILLAGE DENDA, TEHSIL PALI, DISTRICT PALI, RAJASTHAN-306422	Pali	9829418308
58	HPCL	M/s AAI MATA PETROLEUM, MANDIA	Mandia	Pali	9887558969
59	HPCL	M/sBALA SATI FILLING STATION, PALI	Pali	Pali	7742303737
60	HPCL	M/s KISAN KESRI FILLING STATION, MA	Mandia	Pali	9610226218
61	HPCL	M/s SHREE GURU FILLING STATION,HATH	Hathlai	Pali	9414129848
62	HPCL	M/s JHALA PETROLEUM, GAJANGARH	Gajangarh	Pali	9414122003
63	HPCL	M/s MINAXI GASOLENE POINT - PALI	Pali	Pali	9828123161
64	HPCL	M/S ADHOC AGOLAI GOODS TRANSPORT CO	Pali	Pali	9414145226
65	HPCL	M/s TANOTRAI FILLING STATION, PALI	Pali	Pali	9460830606
66	HPCL	M/s SAGAR HP FILLING STATION, PUNAY	Punayata	Pali	8239392828
67	HPCL	M/s SHIVGAURI FILLING STATION,PALI	Pali	Pali	9929581811
68	HPCL	M/s SHRI BALAJI FILLING STATION,HAT	Hathlai	Pali	9001660061
69	HPCL	M/s KISAN KESRI PETROLEUM, PALI	Pali	Pali	9309226218
70	HPCL	MSHSD BHATI HP PETROLEUM	Pali	Pali	9828835490
71	HPCL	M/s SAROJ AUTOMOBILES, PALI	Pali	Pali	9098333349
72	IOCL	AAI JEE KSK	KHERWA	Pali	9460819416
73	IOCL	BHAGWATI P/S(21004)	PALI	Pali	9828048218
74	IOCL	GANDHI AUT(11031/13/11007)	PALI	Pali	9521326599
75	IOCL	MAHALAXMI F/S(11034/15)	PALI	Pali	9214420102
76	IOCL	MEHUL FILLING STATION	PALI	Pali	9214439789
77	IOCL	MOHAN FILLING STATION	HATHLAI	Pali	9001807093
78	IOCL	PALI FILLING STATION(11040)	RAMASIA	Pali	9928755595
79	IOCL	PARSHV ENERGIES	KHETAWAS	Pali	9214421102
80	IOCL	RAMDEV FILLING STATION	AAKDAWAS	Pali	9166969576
81	IOCL	SHRI HIRAJI FILLING STATION	DINGAI	Pali	9414124466

82	IOCL	SHRI JAMBESHWAR FILLING STN.	GUNDOJ	Pali	9414592680
83	Nayra	Shri Jagnath Filling Station	Akadawas	Pali	9822842822
84	BPCL	JAI FILLING STATION	VILL. - KHIWADA , TEHSIL :DESURI, DIST : PALI-306502.	Rani	9460887058
85	BPCL	GOVINDRAM MOOLSINGH	VILL : RANI, KENPURA ROAD, DIST. PALI-306115.	rani	9351122737 9829477099
86	HPCL	M/s MAA KRIPA FILLING STATION,DUTHA	Dutharia	Rani	7665555772
87	HPCL	M/s SHIVAKASH FILLING STATION,KENPU	Kenpura	Rani	8000788590
88	HPCL	M/S SURESH KUMAR GHISOLAL CO,RANI	Rani	Rani	9413222900
89	HPCL	M/s BALAJI HP, BALRAI	Balrai	Rani	9828522041
90	HPCL	M/s SURESH KUMAR GHISOLAL & CO.,RA	Rani	Rani	8107872121
91	HPCL	M/s SHRI PRATAP AUTOMOBILES,DHOLA J	Dhola jagir	Rani	7976505237
92	IOCL	CHARBHUJA FILLING STATION KSK	JIWAND KHURD	Rani	7665000081
93	IOCL	GEETA FILLING STATION	BALRAI	Rani	9928750253
94	IOCL	GURU MANGLAM KISAN SEWA KENDRA	RANI	Rani	9414405104
95	IOCL	JAGDISH PETROLEUM	KHINWARA	Rani	9414391725
96	IOCL	MATRA KRIPA KISAN SEWA KENDRA	JAWALI	Rani	7976917140
97	IOCL	SIRVI FILLING STATION	SOMESAR	Rani	9414123992
98	Nayra	Charbhuja Filling Station	Busi	Rani	9829033197
99	Nayra	Shree Aaiji Petroleum & Services	Bijova	Rani	9950838197
100	BPCL	VIKRAM PETROLEUM	VILL. - VAYAD, ON SH-64, TEHSIL - ROHAT, DISTRICT-PALI, RAJASTHAN 346001	Rohat	9829098507 9636907053
101	BPCL	SHREE KALKAJI FILLING STATION	JODHPUR TO PALI ROAD, NH-62, VILLAGE MUKANPURA, TEHSIL ROHAT, DISTRICT PALI-306421	Rohat	9829195331 99281 68465
102	BPCL	S.RAMRATAN & CO	VILL : ROHAT, DIST. PALI-306421.	Rohat	9414131169 9414678404
103	HPCL	M/s ASHAPURA FILLING STATION, JAIP	Jaitpur	Rohat	6376680145

104	HPCL	M/s KHUSHAL JAGDISH CHOUDHARY,ROHAT	Rohat	Rohat	7073729100
105	IOCL	MANGALDEEP F/C, KSK	MANDAWAS	Rohat	9828968921
106	IOCL	OM BANNA F/STN.	ROHAT	Rohat	9529476300
107	IOCL	RAMESH AUTOMOBILES(11027)	VAYAD	Rohat	9414122974
108	Nayra	Shri Lakshmi Petroleum	Jetpur	Rohat	9894157858
109	Nayra	Maleshwar Petrolieum	Vayad	Rohat	9571510119
110	BPCL	JAY FILLING STATION	ON BILARA-SOJAT ROAD, SH-62, VILLAGE-ATABARA, TEHSIL-SOJAT, DIST- PALI, RAJASTHAN-306104	Sojat	9414121111
111	BPCL	MAHAKALI FILLING STATION	CHUNLAI BOARD SARDAR SAMAND, DIST. PALI-306104.	Sojat	9414913142 9660073448
112	BPCL	BP CENTRE	NH-14, SOJAT CITY, SOJAT, DIST. PALI-306104.	Sojat	9928016994 9928016995
113	HPCL	M/s SONGARA FILLING STATION, SOJAT	Sojat	Sojat	9413313007
114	HPCL	M/s HAMARA PUMP - SARANGWAS	Sarangwas	Sojat	9929441582
115	HPCL	M/sSHAHEED BHANWAR SINGH PETROLEUM,	Sojat	Sojat	9414124322
116	HPCL	M/S SHREE BALAJI HP PETROLEUM, SOJA	Sojat	Sojat	9960593861
117	HPCL	M/s MCD HP FILLING STATION,KHOKHARA	Khokhra	Sojat	9928871428
118	HPCL	M/s SANJANA HP FILLING STATION,MAND	Mandla	Sojat	9680402014
119	HPCL	M/s ROOPSHREE HP FILLING STATION,MA	Mandla	Sojat	9414341713
120	HPCL	MSHSD LAXMI HP PETROLEUM	Sojat	Sojat	9950821743
121	HPCL	M/s ISHTA BALAJI HP FS,KANAWAS	Kanawas	Sojat	9928126162
122	HPCL	M/s GOVIND HP FILLING STATION,CHAND	Chandawal	Sojat	9799905192
123	HPCL	M/s VASUDEV HP FILLING STATION,CHAN	Chandawal	Sojat	7737622473
124	HPCL	M/s POOJA HP PETROLEUM, SOJAT CITY	Sojat city	Sojat	8667738010
125	HPCL	M/s HARIOM HP PETROLEUM,CHANDAWAL	Sojat	Sojat	7984628308

126	IOCL	AMIT F/S (12011)	ATBARA	Sojat	9929511111
127	IOCL	BAGAWAS F/STN(21001)	BAGAWAS	Sojat	9950464463
128	IOCL	CHOPDA FILLING STATION	CHOPDA	Sojat	9414464096
129	IOCL	DHAKARI SERVICE STATION	DHAKARI	Sojat	8003444464
130	IOCL	GANPATI PETROLEUM	BAGAWAS	Sojat	9461305325
131	IOCL	HARDIK FILLING STATION	CHANDAWAL	Sojat	9414152424
132	IOCL	JAGDAMBA V5 FUELS	SOJAT	Sojat	9414391363
133	IOCL	JAITAWAT KISSAN SEVA KENDRA	BIJA GUDA	Sojat	9414608516
134	IOCL	KISSAN F/C (12018)	BAGRI NAGAR	Sojat	9829147623
135	IOCL	NAVKA PETROLEUM	DHANDERI	Sojat	9660353400
136	IOCL	RAM PETROL SERVICE (12010)	SOJAT	Sojat	9799011111
137	IOCL	SATYAM PETROLEUM	SOJAT	Sojat	9414122476
138	IOCL	SHARMILA PETROL PUMP	ROOPAWAS	Sojat	9869008277
139	IOCL	SHIV SHAKTI KISAN SEWA KENDRA	ROOPAWAS	Sojat	9829418308
140	IOCL	SHRI MATAJI FILLING STATION	MANDALA	Sojat	9660996632
141	IOCL	SHYAM PETROLEUM	SANDIYA	Sojat	9509428626
142	IOCL	SOJAT FILLING STATION	SOJAT CITY	Sojat	9784000001
143	Nayra	Chandra Filling Station	Sojat Road	Sojat	9875234539
144	Nayra	Rajpurohit Petroleum	Roopawas	Sojat	9636173490
145	Nayra	Shree Mahadev Filling Station	Chopra	Sojat	9029772079
146	Nayra	Venus Petroleum	Dhurasani	Sojat	8302777241
147	BPCL	PUROHIT SERVICE STATION	VILL & POST : PAWA, TEHSIL : SUMERPUR, DIST. PALI - 306708.	Sumerpur	9414121998 9829147623
148	BPCL	BP-PALARI	NH-14, COCO PALARI, SUMERPUR-SIROHI ROAD, PALARI JOD DIST. PALI-306397.	Sumerpur	
149	BPCL	SHREE RAJASTHAN ROADWAYS	VILL :NETRA, ON NH-14, TEHSIL : SUMERPUR, DIST. PALI - 306902.	Sumerpur	9414121879 8003091333

150	BPCL	KISAN PETROL PUMP	NH-14, PALI-SANDERAO ROAD, VILL : BIRAMI, TEHSIL : SUMERPUR, DIST. PALI-306708.	Sumerpur	9829159755 9214889237
151	BPCL	S.R.PETROL PUMP	NH-14, PALI-SANDERAO ROAD, VILL- KIRWA, DIST. PALI-306422.	Sumerpur	9829152610 9414843146
152	BPCL	SHREE LAXMAN FILLING STATION	SH-16, JALORE ROAD, TAKHATGARH, DIST.- PALI-306912	Sumerpur	9829360573
153	BPCL	AKSHAR PETROLEUM	SUMERPUR -TAKHATGHAR ROAD, VILL/POST- SUMERPUR, DIST.- PALI - 306902	Sumerpur	9929913753 9461252799
154	BPCL	SHAKTI FILLING STATION	KOSHELAV-SANDERAO RAOD VILLAGE KHIMADA, (M.D.R.-203) TEHSIL SUMERPUR, DISTRICT PALI (RAJ)-306602	Sumerpur	9166485397 9950286029
155	BPCL	PAGARIA FILLING STATION (ADHOC)	VILL : SANDERAO, BETWEEN PALI-SIROHI ROAD, DIST. PALI-306708.	Sumerpur	9784048229
156	BPCL	SHREE CHINTPURNI MATA FUELS	VILLAGE DHOLA JAGIR, SIROHI TO PALI ROAD, NH-62, TEHSIL SUMERPUR, DISTRICT PALI, RAJ. - 345021	Sumerpur	7727079999
157	IOCL	CHANODE KISSAN SEWA KENDRA	CHANODE	Sumerpur	9166067035
158	IOCL	AMBIKA PETROLEUM	SANDERAO	Sumerpur	9413120975
159	IOCL	ASHAPURA INDIAN OIL	NETRA	Sumerpur	7568574366
160	IOCL	CHIKLE BANDHU KSK	PAWA	Sumerpur	9784141923
161	IOCL	CHOUDHARY AUTOMOBILIES/11042	JAKHODA	Sumerpur	9636272772
162	IOCL	COCO SANDERAO	SANDERAO	Sumerpur	7737622596
163	IOCL	DHEERAJ PETROLEUM	NETRA	Sumerpur	9829021069
164	IOCL	HARISH CHANDRA RAMESH CHANDRA	SUMERPUR	Sumerpur	9416056225
165	IOCL	HPR TRANSPORTS LTD	NETRA	Sumerpur	9414590107
166	IOCL	J.M. & BROS	TAKHATGARGH	Sumerpur	9810091495

167	IOCL	MAATESHWARI KSK	CHAMUNDRI	Sumerpur	9829696151
168	IOCL	MANSAROVER PETROLEUM	AAKADRA	Sumerpur	9414144176
169	IOCL	SHIV KISAN SEVA KENDRA	KHIVANDI	Sumerpur	9358826975
170	IOCL	SUNDESHA PETROLEUM KSK	NOWI	Sumerpur	6377521185
171	Nayra	Ramdev Petrol Pump	Balupura	Sumerpur	9414882806
172	Nayra	Ganpati Filling station	Bapunagar	Sumerpur	9414205169
173	Nayra	Keway Mata Filling Station	Angor	Sumerpur	9001447148
174	Reliance	Reliance Petroleum	SANDERAO	Sumerpur	01414005243

गैस एजेंसियों की सूची

S. N.	NAME OF DISTRIBUTOR	COM	LOCATION	BLOCK	ADDRESS OF SHOWROOM	MOBILE NO.	Email ID
1	GODWAR GAS AGENCY	HPCL	BALI	BALI	CHOUDHARY MARKET	9829362394	godwar.bali@hpgas.hpcl.co.in
2	CHAMUNDA HP GAS AGENCY	HPCL	NANA	BALI	BHATIYON KA VAS, VIRAMPURA ROAD	9571124910	chamunda.pali@hpgas.hpcl.co.in
3	SRI NAGNECHAY HP GAS SERVICE	HPCL	BERA	BALI	Old Bera road	9414249130	srinagnechay.pali@hpgas.hpcl.co.in
4	NIMBESHWAR BHARAT GAS	BPCL	FALNA	BALI	INDRA COLONY, FALNA	7568308852	vijayrajbamniya05@gmail.com
5	SATGURU GAS SERVICE	BPCL	FALNA	BALI	SHOP NO. 4 SANDERAO ROAD, FALNA	9928908951	satgurugas.phalna@bharatgas.in
6	RADHA INDANE GRAMIN VITRAK	IOCL	BIJAPUR	BALI	VPO BIJAPUR, TEHSIL-BALI	9549540195	sureshsinghrajpurohit0121@gmail.com
7	RANAKPUR GAS AGENCY	HPCL	SADRI	DESURI	RANAKPUR ROAD	9829870692	ranakpur.pali@hpgas.hpcl.co.in
8	MAGLA INDANE GRAMIN VITRAK	IOCL	DESURI	DESURI	MAIN CHORAHA, CHARBUJA ROAD, DESURI	7878457818	manglaindanegas@gmail.com
13	MANGALAM GAS SERVICE	HPCL	KHARCHI	M J	KHARCHI HOUSE, HOSPITAL ROAD	9414005477	mangalam.pali@hpgas.hpcl.co.in
14	KAILASH H.P. GAS AGENCY	HPCL	KANTALIYA	M J	Halia mali road	9829024203	kailash.pali@hpgas.hpcl.co.in
15	BHOLE SHANKAR INDANE GRAMIN VITRAK	IOCL	JOJAWAR	M J	GHOSIWARA PATVO KA BAS, SOJAT	9571927247	bholeshankarindane@gmail.com
16	SHREE MAHADEV INDANE GRAMIN VITRAK	IOCL	DHAMLI	M J	VPO DHAMLI, VIA KHINWARA, MARWAR JN	9672702984	mahadeoindane27@gmail.com
17	GEETA GAS	HPCL	PALI	PALI	NAGA BABA KI BAGICHI	9414120789	geeta.pali@hpgas.hpcl.co.in
18	VASUDEV HP GAS AGENCY	HPCL	PALI	PALI	329, BAGAWAS HOUSE	8561072717	vasudev.pali@hpgas.hpcl.co.in

19	B. K. ENTERPRISES	IOCL	PALI	PALI	42, SUPER MARKET, PALI	9414959699	bkindanepali@yahoo.in
20	LAXMI INDANE	IOCL	PALI	PALI	JAGDAMBA, KESAVNAG, SUMERPUR	9929795555	laxmiindanepali@gmail.com
21	PALI GAS SERIVE	IOCL	PALI	PALI	SIROHI ROAD, PALI	9414524142	paligas@gmail.com
22	RUCHITA GAS SERIVCE	IOCL	PALI	PALI	SHOP NO. 1, SURANA BUILDING, NEHRU NAGAR ROAD, PALI	9251421102	ruchitagas@rediffmail.com
23	SAHEB INDANE GRAMIN VITRAK	IOCL	GUDA ENDLA	PALI	VPO GUDA ENDLA, TEHSIL-PALI	9772701701	saheb.indanegas@gmail.com
24	VINAYAK INDANE GAS SERVICE	IOCL	PALI	PALI	189, PRATAP NAGAR, PALI	9950144235	vinayakindane@gmail.com
28	SHRI RAM BHARAT GAS	BPCL	JAWALI	RANI	SANDERAO ROAD, FALNA	6005850034	choudharygordhan999@gmail.com
29	KHETESHWAR INDANE GRAMIN VITRAK	IOCL	KHINWARA	RANI	KHASRA NO. 92/1740, VANDAR ROAD, KHINWARA	9001938031	kheteshwarindane@gmail.com
30	RAMSNEHI INDANE GAS	IOCL	RANI	RANI	PRATAP BAZAR, RANI GAON	9314256308	ramsenhiindanerani@gmail.com
31	SHRI SIDDHI BHARAT GAS	BPCL	ROHAT	ROHAT	BHARAT DISTRIBUTOR, ROHAT	9829436372	shrisiddhi.rohat@bharatgas.in
32	BHAVESH INDANE	IOCL	MANDAWA S	ROHAT	BUS STAND, SHOP NO. 6, MANDWAS	9672687925	bhaveshindane@gmail.com
33	MARUTI INDANE GRAMIN VITRAK	IOCL	VAYAD	ROHAT	SHOP NO. 4, JODHPUR-JALORE ROAD, VAYAD	7230885901	marutiindane@gmail.com
34	AMIT H. P. GAS AGENCY	HPCL	ATPADA	SOJAT	Sojat bolada link road	9785770159	amit.pali@hpgas.hpcl.co.in
35	CHAMUNDA BHARAT GAS	BPCL	SHIVPURA	SOJAT	SHOP NO. 4 NEAR NEW POST OFFICE	7014343349	chamundabharatgas@gmail.com
36	CHANDAWAL INDANE	IOCL	CHANDAWAL	SOJAT	KHASRA NO. 2123, CHANDAWAL	9414158000	chandawalindanegasagency@gmail.com
37	GIRDHAR INDANE GAS	IOCL	SOJAT	SOJAT	OPP. RAIKA HOSTEL, MARUDAHAR KESHARI, SOJAT CITY	9680557989	girdharindanegas@gmail.com
38	JYOTI INDANE GAS SERVICE	IOCL	SOJAT	SOJAT	NEAR CHANDAN VIHAR, SOJAT ROAD	9460887744	jyotiindane7744@gmail.com
39	SOJAT GAS SERIVCE	IOCL	SOJAT	SOJAT	NEAR GOVT. OFFICER, PALI ROAD, SOJAT	7737380445	sojatgasservice@yahoo.com
40	MADHAV GAS AGENCY	HPCL	SUMERPUR	SUMERPUR	PALI ROAD	9414326506	madhav.sumerpur@hpgas.hpcl.co.in
41	JAI GURUDEV INDANE	IOCL	NOVI	SUMERPUR	VPO NOVI, SUMERPUR	9001118404	jaigurudev641@gmail.com
42	TAKHATGARH GAS SERVICE	IOCL	TAKHATGARH	SUMERPUR	SHIV SHAKTI COLONY, SUMERPUR ROAD, TAKHATGHAR	9414123132	takhathgarhgas@yahoo.com

परिशिष्ट 14

आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों की परिभाषा

परिभाषाएं— आपदा अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो —

(क) प्रभावित क्षेत्र से देश का ऐसा क्षेत्र या भाग अभिप्रेत है जो किसी आपदा से प्रभावित है।

(ख) क्षमता निर्माण के अन्तर्गत निम्नलिखित है—

(i) विद्यमान संसाधनों और अर्जित या सृजित किए जाने वाले संसाधनों की पहचान।

(ii) उपखंड (i) के अधीन पहचान किए गए संसाधनों को अर्जित करना या सृजित करना।

(iii) आपदाओं के प्रभावी प्रबन्धन के लिए कार्मिक का गठन और प्रशिक्षण तथा ऐसे प्रशिक्षण का समन्वयन।

(ग) केन्द्रीय सरकार से भारत सरकार का ऐसा मंत्रालय या विभाग अभिप्रेत है जिसका आपदा प्रबन्धन पर प्रशासनिक नियंत्रण है।

(घ) आपदा से किसी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानवकृत कारणों से या दुर्घटना या उपेक्षा से उद्भूत ऐसी कोई महाविपत्ति, अनिष्ट, विपत्तिया घोर घटना अभिप्रेत है जिस का परिणाम जीवन की सार वान्छानियामान वीय पीड़ाएं, या संपत्ति का नुकसान और विनाश या पर्यावरण का नुकसान या अवक्रमण है और ऐसी प्रकृतिया परिमाण का है, जो प्रभावित क्षेत्र के समुदाय की सामना करने की क्षमता से परे है।

(ङ) आपदा प्रबन्धन से योजना, संगठन, समन्वयन और कार्यान्वयन की निरन्तर और एकीकृत प्रक्रिया अभिप्रेत है जो निम्नलिखित के लिए आवश्यक या समीचीन हैं—

(i) किसी आपदा के खतरे या उस की आशंका का निवारण।

(ii) किसी आपदा या उस की गंभीरता या उसके परिणामों के जोखिम का शमन या कमी।

(iii) क्षमता निर्माण।

(iv) किसी आपदा से निपटने के लिए तैयारिया।

(v) किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा से तुरन्त बचाव।

(vi) किसी आपदा के प्रभाव की गंभीरता या परिमाण का निर्धारण।

(vii) निष्क्रमण, बचाव और राहत।

(viii) पुनर्वास और पुनर्निर्माण।

(च) जिला प्राधिकरण से धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन गठित जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण अभिप्रेत हैं

(छ) जिला योजना से धारा 31 के अधीन जिले के लिए तैयार की गई आपदा प्रबन्धन योजना अभिप्रेत है।

(ज) स्थानीय प्राधिकारी के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाएं, नगर पालिकाएं, जिला बोर्ड, छावनी बोर्ड, नगर योजना प्राधिकारी या जिला परिषद या किसी भी नाम से ज्ञात कोई अन्य निकाय या प्राधिकारी है जिनमें तत्समय विधि द्वारा किसी विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र के भी तर आवश्यक सेवाएं प्रदान करने की नागरिक सेवाओं के नियंत्रण और प्रबन्धन सहित शक्तियां विनिहित की गई हैं।

(झ) शमन से किसी आपदा या आपदा की आशंका की स्थिति के जोखिम, समाघात या प्रभाव को कम करने के लिए आशयित उपाय अभिप्रेत हैं।

(ञ) राष्ट्रीय प्राधिकरण से धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण अभिप्रेत है।

(ट) राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति से धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन गठित राष्ट्रीय प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति अभिप्रेत है।

(ठ) राष्ट्रीय योजना से धारा 11 के अधीन संपूर्ण देश के लिए तैयार की गई आपदा प्रबन्धन योजना अभिप्रेत है।

(ड) तैयारी से किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तैयार रहने की स्थिति अभिप्रेत है।

(ढ) विहित से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है।

(ण) पुनर्निर्माण से आपदा के पश्चात्किसी सम्पत्ति का सन्निर्माणया प्रत्यावर्तन अभिप्रेत है।

(त) संसाधन के अन्तर्गत जनशक्ति, सेवाएं, सामग्री और रसद भी हैं।

(थ) राज्य प्राधिकरण से धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत उस धारा के अधीन गठित संघ राज्य क्षेत्र का आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भी है।

(द) राज्य कार्यकारिणी समिति से धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन गठित राज्य प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति अभिप्रेत है।

(ध) राज्य सरकार से राज्य सरकार का वह विभाग अभिप्रेत है जिसका आपदा प्रबंधन पर प्रशासनिक नियंत्रण है और उसके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त किया गया किसी संघ राज्य क्षेत्र का प्रशास कभी है।

(न) राज्य योजना से धारा 23 के अधीन संपूर्ण राज्य के लिए तैयार की गई आपदा प्रबन्धन योजना अभिप्रेत है।

परिशिष्ट 15

आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए विभागीय केन्द्र बिन्दू की सम्पर्क निर्देशिका

DLO TELEPHONE NO's OF PALI DISTRICT				
ADMINISTRATION		OFFICE	RES.	MOBILE
SH. LAXMI NARAIN MANTRI	DISTRICT COLLECTOR	252801	252802	94142-01828
SH. BIRJU GOPAL CHOUDHARY	ASST. COLLECTOR			89556-21458
DR. BAJRANG SINGH	A.D.M. PALI	252804	252805	95214-80808
SH. SHAILENDRA SINGH	A.D.M. BALI	222555		85879-61924
SH. ASHVIN K PANWAR	ADM (CEILING)	226804		
SH. MUKESH CHOUDHARY	CEO ZP PALI	252806		94144-11965
SH. VISHAN SIPA	ACEO PALI	220380		70238-31090
DR. BHASKAR BISHNOI	RAA	225071		82399-59800
SH. MAHENDRA MEHTA	ACEO PALI			94143-20062
DR. POOJA SAXENA	SEC. U.I.T. PALI	223222	94136-93633	94143-89407
SH. BHAGIRATH RAM	DIG, REG. & STAMP	225091	94141-00350	98286-99811
SH. RAKESH GOYAL	TREASURY OFFICER	250220	223430	98294-73808
SH. MANJEET SINGH	DIST. SUPPLY OFFICER	251007		98296-56033
SH. KAPIL	D.I.O	225560		97849-84417
SH. RAJESH CHOUDHARY	A.C.P. (DOIT)	226611		99864-83120
POLICE				
SMT. POOJA AWANA	S.P. PALI	251531	251532	95400-02444
SH. VIPIN SHARMA	ADD. S.P. PALI	251533	251534	96101-56221
SH. CHAIN SINGH MAHRECHA	A.S.P. BALI	222501	222502	94141-41302
SH. BHOMA RAM	A.S.P. WOMEN INVESTI CELL	221067		94140-84222

SH. SUNIL PANWAR	A.S.P. SPECIAL INVESTI.			96021-40293
SH. USHA YADAV	DY.SP.(CITY), PALI	251535	251536	96825-82476
S H. RATNA RAM DEWASI	DY.SP.(RURAL), PALI	251537	251538	81122-14141
SH. RAJENDRA SINGH	DY.S.P. (SC/ST) 84645-22407	251539	221225	94141-69480
SH. MANISH CHARAN	DY. S.P. (CYBER)			94142-66815
SH. JITENDRA RATHORE	DY. S.P. SUMERPUR	02933-258722		94130-02233
SH.ANIL SARAN	DY. S.P. SOJAT	02960-222924		91660-65451
SH. RAJESH YADAV	DY. S.P. BALI	02938-222822	222037	98292-70009
SH. JORARAM DANGA	DY. SUPDT. JAIL PALI	222404		94619-90777
SH. SUGAD SINGH	DY. SP (TRAFFIC) PALI			81188-99438
SH. HINGLAJDAN	TRAFFIC INCHARGE			94609-89908
SH. DHARMENDRA DUKIA	A.S.P ACB PALI –I	284300, 284302		94135-17191
SH. KHIV SINGH	DY.S.P ACB PALI-II			99836-57153
SH. JIYA RAM	DY.COMMAN, HOME GUARD	222722		90014-69176
SH. VIKRAM SINGH	INS. CID PALI	250466		94134-09713
SH. PRAVEEN CHOUDHARY	INCHARGE WIRELESH	251547		94146-08015
SH. RAM LAL	FIRE INCHARGE – 101	FIRE BIGRAID	222173	99507-19523
SH. JAGDISH	POLICE CONTROL ROOM	251545, 251546	87648-75055	94136-61805
SMT. ANITA RANI	RI POLICE LINE	251544		95711-77811
POLICE LINE PALI	RO.LINE	251544		95304-20836
S.D.O.				
SH. VIMLENDRA RANAWAT	S.D.O. PALI	252810	220448	96366-66522
SH. MASINGARAM	S.D.O. SOJAT	02960-222023		99289-17951
SH. KALU RAM KUMHAR	S.D.O. SUMERPUR	02933-256224	256324	98290-77336
SH. MAHAVEER SINGH JODHA	S.D.O. MARWAR JUN.	02935-252237		94603-15738
SH. DINESH BISHNOI	S.D.O. BALI	02938-222072		96361-45706
SMT. SHIVA JOSHI	S.D.O. RANI	02934-220226		91160-17266

SH.SIDDHARTH SANDU	S.D.O. DESURI	02934-254498	254722	90799-04489
SH. PURAN KUMAR	S.D.O ROHAT	02936-268371	268372	82097-05581

TEHSILDAR / NAYAB TEHSILDAR				
SH. KALPESH KUMAR	TEHSILDAR PALI	02932-222252		77420-00801
SH. JITENDRA SINGH	TEHSILDAR BALI	02938-222071		91169-41399
SH. DEEPAK SANKHLA	TEHSILDAR M.J.	02935-252236		99831-53848
SH. FATEH SINGH	TEHSILDAR DESURI	02934-254126		94131-63934
SH. MANOHAR SINGH	TEHSILDAR RANI	02934-220126		96722-58327
SH. DILIP SINGH	TEHSILDAR SOJAT	02960-222013		77377-89931
SH. DINESH ACHARYA	TEHSILDAR SUMERPUR	02933-252939	252939	94136-07766
SH. PRAKASH PATEL	TEHSILDAR ROHAT	02936-268281	268281	99289-43707
SH. REKHA DEVI	TEHSILDAR ELECTION			99289-63153
SH.	N.T. PALI			
SH.	N.T. ROHAT			
SH. DILIP SINGH	N.T. SOJAT			77377-89931
SH. FULA RAM	N.T. M.J.			99294-14800
SH. MANMOHAN SINGH RATHORE	N.T. BALI			
SH. PRATEEK SHARMA	NT SUMERPUR			
SH. MOHAN LAL	N.T. RANI			99288-66848
SH. GIRIRAJ SINGH RANAWAT	N.T. DESURI			
SH. MANGI LAL MEENA	N.T. JAIPUR			99290-75376
SH. RATAN SINGH DEORA	N.T. NANA	94149-24837		88907-78912
SH. FATEH SINGH	N.T. BERA	80057-62769		94131-63934
SH. DILIP SINGH	N.T. BAGRI			77377-89931
SH. MADAN SINGH	N.T. KHIWARA			98294-03939
SH. DASRATH SINGH	N.T. TAKHATGARH			80032-27009
SDM OFFICE				

SH. UMA RAM	N.T. SOJAT SDM			94146-13611
SH. DASHRATH SINGH	N.T.SUMERPUR SDM			80032-27009
SH. RAMSAWAROOP JOHAR	SUB REG. PALI I			75974-54635
SH. RAMSAWAROOP JOHAR	SUB REG. PALI II			75974-54635
AGRICULTURE				
SH. RAMESH CHAND AMETA	J.D. AGRICULTURE	221341		94603-42555
SH.MANOJ AGRAWAL	DY. DIR HORTICULTURE	222073		97999-62677
ANIMAL HUSBANDRY				
DR. MANOJ KUMAR PANWAR	JOINT DIRECTOR	222227	94141-57141	94145-92475
BSNL				
SH. DINESH CHAUHAN	TDM BSNL	220900		94261-89955
SH. PRITAM	SDM PHONES	250400/225000	232999 Regarding Bill	94617-10219
SH. RAMESH MEENA	SUP. POST OFF. 221397	250008		94146-77024
CAZRI				
DR. A.K. SUKL	HEAD OF THE RRS PALI	258578, 256098		97992-71082
CIRCUIT HOUSE				
SH. NARESH VERMA	MANAGER CIRCUITHOUSE	284299		94148-58586
COMERCIAL TAX				
SH. VIJAY RAWAL	D. C.SAL.TAX	220339	231116	90792-05461
COOPERATIVES				
SH. JITENDRA KUMAR	DY.REGISTRAR COOP.	256531		96800-99246
CHIEF PLANNING OFFICER				
SH. VED PRAKASH	C.P.O. (deputy director)	225380		94132-02688
DAIRY				
SH. MADAN LAL	M.D., DAIRY	280139, 280379	280208	98292-87770
DEVASTHAN				
DR. PRIYANKA BHATT	ASST. COMMI. UDAIPUR	0294-2420546		94616-59777

SH. OM PRAKASH PALIWAL	ASST. COMM. JODHPUR	0291-2650361		94140-43696
EDUCATION				
SH. RICHHALPAL SINGH JI	JOINT DIRECTOR			94148-07692
SH. RAHUL KUMAR RAJPUROHIT	CDEO	221077		94602-33018
SH. RAHUL KUMAR RAJPUROHIT	D.E.O SEC. H.Q.PALI	220440		94602-33018
SH. RAHUL KUMAR RAJPUROHIT	D.E.O. ELE. H.Q.PALI	221690		94602-33018
SH. DILIP KARMCHANDANI	CBEO PALI	221690		94146-10523
SH. RICHHALPAL SINGH JI	DD mahatama gandhi shiksha prakoshth office JD office	250690		
SH. GJAENDRA SINGH RANAWAT	ADPC (SAMSA)			9414608112
EMPLOYMENT				
SH.MANISH VISHNOI	EMPLOYMENT OFFICER	220404		94130-85029
EXCISE				
SH. MANOJ BISSA	DISTT. EXCISE OFFICER			98288-31701
FACTORIES & BOILERS				
SH.SOURABH CHOUDHARY	SR.INSPECTOR FACTORIES			99833-83318
SH. ATUL UBANA	INSPECTOR FACTORIES	222299		-
FISHERIES				
DR. RAJU RAM	FISHERIES OFFICER	226404		81041-38835
FOREST				
SH. P. BALAMURUGAN	D.F.O. PALI	280798	280736	99629-16162
GPF & SI				
SH.HARI HAR SINGH	D.D. GPF & INSURANCE PALI	221524		97721-95531
GWD				
SH. ASHOK SINGH	XEN GWD, PALI	257664,280664	office : jai nagar, near vandematram school, pali	94625-84266
ICDS				

SH. RAJESH KUMAR	AD I.C.D.S.PALI	223995		94600-52013
MR. BHAGIRATH	MISSION POORNA SHAKTI MAHILA ADHIKARITA VIBHAG			94623-80109
SH. ALOK SHARMA	DD CDPO PALI			89499-32105
INDUSTRIES				
SH. SAYED RAJAK ALI	G.M.DIC 230860	230213		98293-00511

IRRIGATION(WATER RESORT) WRD

SH. RAM NARAYAN CHOUDHARY	S.E., IRRIGATION, PALI	222147	222167	80002-44864 94145-25069
INCOME TAX				
SH. R.H.GOYE	JOINT COMMISSIONER	220396		95304-00118

<u>J.V.V.N.L</u>				
<u>SH. AJAY MATHUR</u>	S.E.,J.V.V.N.LTD; PALI	281270,280402	82092-22939	94133-59299
<u>KARSHI UPAJ MANDI SAMITI</u>				
<u>SH. BHAGIRATH PARJAPAT</u>	SEC. K.U.M. PALI	257138		77918-39923
<u>DR. MANOJ GURJAR</u>	K.V.K. Programme Coordinator	256771		78912-10511
<u>LABOUR</u>				
<u>SH. AASHKARAN MALVIY</u>	DY.LABOUR COM.	294592		81122-41890
<u>LEAD BANK</u>				
SH. KAILASH MEENA	L.B.O.	280429		95880-98250
<u>MEDICAL</u>				
DR. VIKASH MARWAL	CMHO PALI	257555	256384	97848-59777
DR. DILIP SINGH CHAUHAN	PRINCIPAL MEDICAL COLL	285002		90019-91078
DR. KAILASH PARIHAR	office superindent bangur hospital			94146-78301
DR. BAJRANG SHARMA	DISTT.AYURVEDIC OFFIC.	250026		94145-49287
SH. BRIJESH	HOMEOPATHIC			78220-04004
<u>MINING</u>				
SH. VINIT GEHLOT	M E . SOJAT	02960-222202		88245-24894
<u>MINORIY WELFARE</u>				
<u>SH. J.P.ARORA</u>	DISTT MINORITY WEL. OFFICER	252019		81122-53772
<u>M-POWER</u>				
<u>SH. DINESH BOHRA</u>	MANAGER M POWER BALI			80030-00151
<u>MUNCIPAL COUNCIL</u>				
<u>SH. NAVEEN BHARDWAJ</u>	COMMISNOR M.C.PALI	221301	221343	94132-50135
<u>MUNICIPALITIES</u>				
<u>SH. MAGRAJ CHOUDHARY</u>	E.O.M.B. TAKHATGARH	02933-220133		98293-12819
<u>SH. SUDARSHAN JANGU</u>	E.O.M.B. RANI	02934-222084		98296-01989
<u>SH. NARPAT SINGH RAJPUROHIT</u>	E.O.M.B. SUMERPUR	02933-252925	254396	94144-92677
<u>SH. NEELKAMAL SINGH</u>	E.O.M.B. SADRI	02934-285022		89495-95919
SH. PUROSHATTAM	E.O.M.B. SOJAT	02960-222028		97821-20809

<u>SH. SUNIL VISHNOI</u>	E.O.M.B. SOJAT ROAD			96809-78507
<u>SMT. RAJAN RAO</u>	E.O.M.B. BALI	02938-222045		94137-38325
<u>SH. VINAYPAL</u>	E.O.M.B. FALNA	02938-236170	97998-89980	77928-36100
<u>SH. VIKRAM SINGH</u>	E.O.M.B. MARWAR JN.			99282-09888
<u>N.I.C.</u>				
<u>SH. KAPIL UJJWAL</u>	DIO, NIC	225560	225030	97849-84417
<u>N.Y.K</u>				
SH. RAJENDRA JAKHAR	DISTT. CORD. NYK, PALI	226659	281659	94613-15912
SH. BHANWAR SINGH	ACC & PA			8239076291
N.R.L.M. (ग्रामीण आजीविका मिशन)	RGIVIKA			
SAVITA T	P.D. N.R.L.M.	220055		97993-67715
<u>P.C.C.B.</u>				
<u>SH. PRASHANT KALLA</u>	M.D. P.C.C.B. PALI	222543		94609-58686
<u>P.H.E.D</u>				
<u>SH. MANISH MATHUR</u>	S.E. PHED PALI	222678		94140-25929
<u>SH. MANISH MATHUR</u>	S.E. JAWAI PIPELINE PROJECT PALI	222678		94140-25929
<u>POLLUTION CONTROL BOARD</u> (rorpcb.pali@gmail.com)				
<u>SH. AMIT SONI</u>	R.O. POLLUTION BOARD	231616	258281	88900-75432

<u>PUBLIC RELATION</u>				
SH. SOURABH SINGARIA	P.R.O.			94600-71569
<u>P.W.D</u>				
<u>SH. DILIP PARIHAR</u>	S.E.PWD PALI	222744	222766	96722-98971
<u>RAJ. FOOD SUPPLY CORPORATION LTD.</u>				
<u>SH. RAMESH BISHNOI</u>	MANAGER	220086		96602-02929
<u>RAJASTHAN FINANCE CORPORATION (RFC)</u>				

<u>SH. SALIL AMBER</u>	DY. MANAGER pali@rfc.rajasthan.gov.in	231262		9414014367
<u>RIICO</u>				
<u>SH. P.K. GUPTA</u>	S.R.M. RIICO PALI	280630	280770	94140-60058
<u>ROADWAYS</u>				
SH. MOHAN MEENA	CHIEF MANAGER PALI	232778, 284522 (Enq) 284622	02932-357296	95496-53276
SH. MAHENDRA KUMAR AJMERIYA	MANAGER TRANSPORT			9549653277
SH. RAJENDRA PRASAD MEENA	MANAGER OPERATION			9773358462
RUCHI PANWAR	CHIEF MANAGER FALNA			9549653273
RAJESH CHOUDHARY	MANAGER TRANSPORT			9549653274
NARAYAN LAL MALI	MANAGER OPERATION			9549653275
<u>R.S.L.D.C.</u>				
<u>SH. VIRENDRA SINGH</u>	R.S.L.D.C.(CORDINATOR)	220135		77423-32989
<u>R.S.C.D.C.</u>				
<u>SH. JYOTI PRAKASH ARORA</u>	P.M R.S.C.D.C. PALI	223944		81122-53772
<u>R.U.I.D.P.</u>				
SH.LAXMAN PANWAR	S.E.RUIDP PALI			70140-22881
<u>SAINIK KALYAN</u>				
<u>SH. G.S.RATHORE</u>	SANIK KALYAN OFFICER	225230		78914-26335
<u>SOCIAL WELFARE SJE</u>				
<u>SH. JYOTI PRAKASH ARORA</u>	AD Social Justice	257706		81122-53772
<u>SPORTS</u>				
<u>SH. LEHRI DAS</u>	DISTT.SPORTS OFFICER	280427		76655-09909
<u>STATISTICS</u>				
<u>SH. VED PRAKASH</u>	DD STATISTICS	227512		94132-02688
<u>TOURISM</u>				
<u>DR. SARITA FIRODA</u>	DD TOURISM JODHPUR	2545083	96809-88936	94143-80192
<u>TRANSPORT</u>				
<u>SH. ARJUN SINGH RATHORE</u>	R.T.O., PALI	257445		94613-91001

B.D.O. ALL				
SH. BHAGWAN SINGH	B.D.O. PALI	221415		94144-40551
SH. BHOPAL SINGH JODHA	B.D.O BALI	02938-222030	223230	94608-08051
SH. PRAMOD DAVE	B.D.O, SUMERPUR	02933-252943		90014-90537
DR. SURESH KAVIYA	B.D.O SOJAT	02960-222026		94137-45328
SH. BHOPAL SINGH JODHA _(ad.ch)	B.D.O DESURI	02934-254128	254401	94608-08051
SH. NARAYAN SINGH	B.D.O RANI	02934-222007		80037-72128
SH Bhagirath singh	B.D.O M.J.	02935-252209	253258	98282-15815
SH. Man Mohan Meena	OHAT	02936-268229	268826	94144-23656

परिशिष्ट 16

आपदा नियंत्रण कक्ष

आपदा नियंत्रण कक्ष की सूची जिला – पाली

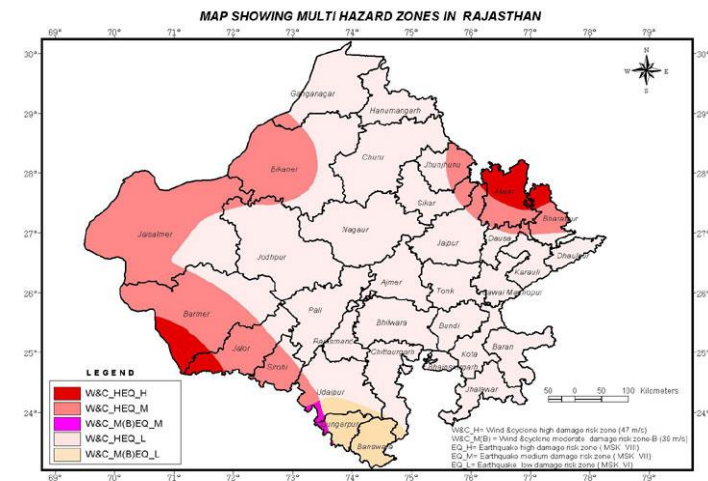
क्र. सं.	तहसील का नाम	आपदा नियंत्रण कक्ष/बाढ़ नियंत्रण कक्ष का दुरभाष न.	प्रभारी का नाम	प्रभारी का मोबाईल न.	सहायक प्रभारी का नाम	मोबाईल न.
1	पाली	02932-222252	श्री बाबू लाल चौहान (नायब तहसीलदार)	9413854905	—	—
2	रोहट	02936-268281	श्री राजेश पेडिवाल (सहा.प्रशा.अधि.)	8005842688	—	—
3	मा. जक्शन	02935-252236	श्री फुलाराम मीणा (नयाब तहसीलार)	9929414800	श्री लक्ष्मीचन्द (ऑफिस कानूनगो)	9413916408
4	सोजत	02960-222013	श्री भवानीसिंह (अति.प्रशा.अधि.)	9414124322	श्री श्यामसिंह लखावत (सहा.प्रशा.अधि.)	9783324900
5	बाली	02938-222071	मनमोहन सिंह (नयाब तहसीलार)	9871703908	श्री नेमपुरी (ऑफिस कानूनगो)	9460342072
6	सुमेरपुर	02933-254939	श्री प्रतीक शर्मा (नायब तहसीलदार)	9168691402	श्री दिनेश मेघवाल (ऑफिस कानूनगो)	9449269966
7	देसूरी	02934-254126	श्री नथाराम (ऑफिस कानूनगो)	7340353366	—	—
8	रानी	02934-220126	श्री मोहनलाल मेघवाल	9928866848	—	—

मानचित्र

जिले का राजनैतिक भौतिक और प्रशासनिक नक्शा



जोखिम क्षेत्र के साथ जोखिम मानचित्र GIS आधारित



Disclaimer: This map was collated based on the data/information compiled by the Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation, UNDP has not verified the accuracy of information of the Map Sources B01002 (Part 1) 2002, BMTRC, India

महत्वपूर्ण प्रशासनिक भवनों, अस्पतालों, स्कूलों को दर्शाता पाली शहर मानचित्र

